

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्थान
भारत

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

1956 का अधिनियम 15

- 7 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित
- 7 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ
- [यह इस दस्तावेज़ का 7 अक्टूबर 2014 का संस्करण है।]
- [नोट: मूल प्रकाशन दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है और इस सामग्री को सत्यापित नहीं किया जा सका।]

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का अधिनियम 15

[013.](#)

भूमि से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम; राजस्व न्यायालयों, राजस्व अधिकारियों और ग्राम सेवकों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य; मानचित्रों और भूमि अभिलेखों की तैयारी और रखरखाव; राजस्व और किराए का निपटान; संपदाओं का विभाजन; राजस्व का संग्रह और उसके आनुषंगिक मामले। भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाएगा:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

[1.](#) संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(1) इस अधिनियम को "राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956" कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य तक है। (3) यह उस तारीख को लागू होगा जिसे राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी।

[2.](#) अधिनियम से अप्रभावित अधिनियम।

- इस अधिनियम की किसी बात की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि वह राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 (राजस्थान अधिनियम VI, 1952) या अजमेर मध्यस्थ उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1955 (अजमेर अधिनियम 3, 1955) या बॉम्बे विलीन राज्यक्षेत्र और क्षेत्र (जागीर उन्मूलन) अधिनियम, 1953 (बॉम्बे अधिनियम XXXIX, 1954) के उपबंधों के संचालन को प्रभावित या प्रतिबंधित करे, जहां तक वह आबू क्षेत्र पर लागू होता है या मध्य भारत जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, संवत् 2008 (मध्य भारत अधिनियम 28, 1954) जहां तक वह सुनेल क्षेत्र पर लागू होता है या राजस्थान भूमि सारांश बंदोबस्त अधिनियम,

1953 (राजस्थान अधिनियम XIX, 1953) या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) या राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम XXI, 1953) या कोई अन्य कानून या अधिनियम जो धारा 263 द्वारा निरसित न हो।

3. व्याख्या.

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(मैं) "भूमि अभिलेख अधिकारी" से तात्पर्य कलेक्टर से होगा और इसमें अतिरिक्त या सहायक भूमि अभिलेख अधिकारी शामिल होंगे; (आइए) "नगरपालिका" का वही अर्थ होगा जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1951 (राजस्थान अधिनियम 23, 1951) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नगरपालिका कानून द्वारा उसे दिया गया है; (ब) "नजूल भूमि" का तात्पर्य नगरपालिका या पंचायत सर्किल या गांव, कस्बे या शहर की सीमा के भीतर आबादी भूमि से है, जो राज्य सरकार में निहित है; (आईसी) "पंचायत सर्किल" का वही अर्थ होगा जो राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम 21, 1953) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य पंचायत कानून द्वारा उसे दिया गया है;

(ii) "निर्धारित" का तात्पर्य इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से होगा;

(iii) किसी पक्षकार के "मान्यता प्राप्त अभिकर्ता" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत होगा जिसे ऐसे पक्षकार द्वारा लिखित रूप में उसकी ओर से उपस्थित होने, आवेदन करने तथा अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो; (iii-क) "राजस्व अपील प्राधिकारी" से धारा 20-ए के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत होगा; (चतुर्थ) "निपटान अधिकारी" में सहायक निपटान अधिकारी शामिल होगा, (वी) "गांव" से तात्पर्य उस भूमि क्षेत्र से है जिसे मान्यता दी गई है और दर्ज किया गया है, या इसके बाद उसे गांव के रूप में मान्यता दी जाएगी और दर्ज किया जाएगा; (छठी) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के प्रति "निर्देशों" का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसमें उसी श्रेणी के किसी अतिरिक्त अधिकारी के प्रति निर्देश भी सम्मिलित हैं, जिसे इसी प्रकार नियुक्त किया गया है; (सात) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) में परिभाषित "शब्दों और अभिव्यक्तियों" का, जहां कहीं भी इसमें प्रयोग किया जाए, वहीं अर्थ लगाया जाएगा जो उक्त अधिनियम द्वारा उन्हें दिया गया है; तथा (आठ) किसी अधिकार, शीर्षक या हित के स्वामी को सूचित करने के लिए प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों में ऐसे व्यक्ति के अधिकार, शीर्षक या हित के पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी भी सम्मिलित माने जाएंगे।

अध्याय 2 राजस्व बोर्ड

4. बोर्ड की स्थापना एवं संरचना।

(1) राजस्थान राज्य के लिए एक राजस्व बोर्ड की स्थापना की जाएगी जिसे आगे बोर्ड कहा जाएगा। (2) बोर्ड में एक अध्यक्ष, तथा कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक [बीस] [शब्द पन्द्रह राजस्थान भू राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित। (सं.) 14 सन् 2011) अधिसूचना संख्या एफ. 2(12) विधि/2.2011 दिनांक 1.4.2011, राजस्थान राजपत्र अतिरिक्त

भाग IV-ए, दिनांक 1.4.2011 पृष्ठ 1 में प्रकाशित द्वारा] राज्यपाल की 31 मार्च, 2011 को अनुमति प्राप्त करके] अन्य सदस्य होंगे।(3) उपधारा (2) के अधीन की गई सभी नियुक्तियां राजपत्र में अधिसूचित की जाएंगी।

(4) राज्य सरकार उन व्यक्तियों की योग्यताएं निर्धारित करेगी जो बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, नियुक्ति के लिए उनके चयन की विधि और उनकी सेवा की शर्तें: परन्तु जब तक बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की योग्यताएं सरकार द्वारा निर्धारित नहीं कर दी जाती हैं और उसके अनुसार नियुक्तियां नहीं कर दी जाती हैं, तब तक उनकी योग्यताएं वही रहेंगी जो उपधारा (4) द्वारा निर्धारित की गई थीं, जैसा कि वह राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1969 के प्रारंभ होने से ठीक पहले थी।

(5) यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र, नियुक्ति की समाप्ति या समाप्ति या अस्थायी अनुपस्थिति के कारण कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो बोर्ड का गठन अवैध नहीं माना जाएगा।

5. सदस्यों का कार्यकाल.

- बोर्ड के सभी सदस्य राज्यपाल की इच्छा पर्यन्त पद धारण करेंगे।

6. बैठने का स्थान.

राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में होगा, किन्तु राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, बोर्ड के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर बैठक करना वैध होगा।

7. अनुसन्धान अधिकारी.

(1) बोर्ड के लिए एक रजिस्ट्रार और ऐसे अन्य अनुसचिवीय अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे, जो इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, नियम या आदेश द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हों।(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी, राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जैसा बोर्ड निर्देशित करे।

8. बोर्ड की शक्तियां।

(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) या किसी अन्य प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड राजस्थान में अपील, पुनरीक्षण और संदर्भ का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय होगा: परन्तु उन सभी मामलों में, जहां किसी सिविल या राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के निर्धारण के संबंध में कोई संदेह या विवाद है, उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा तथा बोर्ड सहित राज्य के सभी सिविल और राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।(2) उपधारा (1) में उल्लिखित शक्तियों के अतिरिक्त, बोर्ड ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं अथवा जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

9. अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का सामान्य अधीक्षण।

- इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी राजस्व न्यायालयों और सभी राजस्व अधिकारियों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण बोर्ड में निहित होगा तथा ऐसे सभी न्यायालय और अधिकारी बोर्ड के अधीन होंगे।

10. बोर्ड का अधिकार क्षेत्र किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा।

(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय और उस निमित्त बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए, बोर्ड का अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित के अधीन प्रयोग किया जा सकेगा - (ए) बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य द्वारा अकेले बैठकर, या (बी) बोर्ड की एक पीठ द्वारा, जिसमें दो या अधिक सदस्य होंगे: परंतु एकल सदस्य के निर्णय से व्यथित पक्ष को एकल सदस्य के निर्णय की तारीख से एक माह के भीतर बोर्ड के दो या अधिक सदस्यों वाली न्यायपीठ के समक्ष विशेष अपील करने का अधिकार होगा, यदि निर्णय पारित करने वाला सदस्य और यदि निर्णय पारित करने वाला सदस्य बोर्ड से संबद्ध नहीं रह जाता है, तो कोई अन्य सदस्य यह घोषित कर देता है कि मामला अपील के लिए उपयुक्त है। (2) इस संबंध में बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष बोर्ड के कार्य को वितरित कर सकेगा और उसके अधिकार क्षेत्र के ऐसे प्रादेशिक या अन्य विभाजन कर सकेगा जैसा वह उचित समझे। (3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश या किया गया कार्य या उपधारा (2) के अधीन किए गए वितरण या विभाजन के अनुसार किया गया प्रत्येक आदेश या किया गया कार्य, यथास्थिति, बोर्ड का आदेश या किया गया कार्य समझा जाएगा।

11. न्यायपीठ को संदर्भित करने की शक्ति।

- किसी मामले या कार्यवाही के निपटान के लिए अकेले बैठे बोर्ड का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, यदि वह ठीक समझे, कारणों को लेखबद्ध करके, ऐसे मामले या कार्यवाही में उसके समक्ष उठने वाले विधि या रीति-रिवाज के किसी प्रश्न को, जो विधि का बल रखता हो, या किसी दस्तावेज के अर्थ को, न्यायपीठ की राय के लिए निर्देशित कर सकेगा और मामले या कार्यवाही का निपटारा ऐसी राय के अनुसार किया जाएगा।

12. प्रश्न को उच्च न्यायालय को संदर्भित करने की शक्ति..

(1) यदि किसी मामले में किसी न्यायपीठ को यह प्रतीत होता है कि धारा 11 में निर्दिष्ट कोई प्रश्न लोक महत्व का है और उस पर उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो न्यायपीठ उस प्रश्न को उस न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकेगी,

(2) उच्च न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात्, जैसा वह ठीक समझे, इस प्रकार निर्दिष्ट प्रश्न पर अपनी राय अभिलिखित कर सकेगा और मामले का निर्णय ऐसी राय के अनुरूप होगा।

13. मतभेद की स्थिति में निर्णय।

(1) जहां किसी मामले की सुनवाई बोर्ड की पीठ द्वारा की जाती है, वहां ऐसे मामले का निर्णय उसे सुनने वाले सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार होगा।

(2) जहां ऐसे सदस्य ऐसे मामले में किए जाने वाले आदेश के संबंध में समान रूप से विभाजित हों, वहां मामला अन्य सदस्यों को भेजा जाएगा और उस पर निर्णय सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, जिसमें ऐसे अन्य सदस्य भी सम्मिलित होंगे जिन्होंने इसे सुना था।

14. रजिस्टर आदि रखे जाने होंगे।

बोर्ड ऐसे रजिस्टर, बहियाँ और खाते रखवाएगा और बनाए रखेगा जो विहित किए जाएं या जो उसके कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक हों।

अध्याय 3

राजस्व न्यायालय और अधिकारी

ए. प्रादेशिक प्रभाग(धारा 15 और 16)

15. प्रादेशिक प्रभाग।

(1)राज्य के राजस्व और सामान्य प्रशासन के प्रयोजनों के लिए, संपूर्ण राज्य में उतने संभाग और जिले होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

(2)प्रत्येक प्रभाग, समान प्रयोजन के लिए, एक जिला होगा या एक से अधिक जिलों से मिलकर बनेगा, जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करेगी।

(3)राज्य सरकार किसी जिले को उतने उप-प्रभागों में विभाजित कर सकेगी, जितने वह उचित समझे, तथा प्रत्येक प्रभाग एक तहसील या एक से अधिक तहसीलों से मिलकर बनेगा।

(4)राज्य सरकार किसी भी तहसील को उतनी उप-तहसीलों में विभाजित कर सकेगी, जितनी वह उचित समझे।

(5)राज्य सरकार इस धारा के अंतर्गत गठित प्रत्येक मण्डल, जिला, उप-मण्डल, तहसील या उप-तहसील की सीमाएं निर्धारित करेगी।

(6)इस धारा के अंतर्गत गठित सभी मण्डल, जिले, उप-मण्डल, तहसील और उप-तहसीलें राजपत्र में अधिसूचित की जाएंगी।

(7)इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान खण्ड, जिले, उप-खण्ड, तहसील और उप-तहसील, चाहे वे किसी भी नाम से स्थानीय रूप से पदाभिहित हों, क्रमशः खण्ड, जिले, उप-खण्ड, तहसील और उप-तहसील बने रहेंगे, मानो वे इस अधिनियम के अधीन गठित किए गए हों, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में उनके संबंध में कोई अन्य उपबंध नहीं किया जाता है।

16. प्रभाग क्षेत्र आदि बनाने, समाप्त करने या परिवर्तित करने की शक्ति।

- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,

(ए)नये डिवीजन, जिले, उप-डिवीजन तहसील, उप-तहसील और गांव बनाएं या मौजूदा को समाप्त करें, और

(बी)उनमें से किसी की भी सीमा में परिवर्तन न करें।बी. न्यायालय और अधिकारी(धारा 17 और 21)

17. आयुक्त एवं अपर आयुक्त।

- राज्य सरकार प्रत्येक संभाग में एक आयुक्त नियुक्त करेगी और एक संभाग में अथवा दो या अधिक संभागों अथवा उनके भागों में जितने आवश्यक हों उतने अपर आयुक्त नियुक्त कर सकेगी।

18. निपटान आयुक्त एवं अपर निपटान आयुक्त।

- राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य के लिए बंदोबस्त आयुक्त की नियुक्ति करेगी तथा वह जितने आवश्यक समझे उतने अतिरिक्त बंदोबस्त आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगी।

19. निदेशक एवं अपर निदेशक, भूमि अभिलेख।

भूमि अभिलेख निदेशक की नियुक्ति - राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य के लिए एक भूमि अभिलेख निदेशक की नियुक्ति करेगी तथा वह आवश्यक समझे जाने पर उतने अपर एवं सहायक भूमि अभिलेख निदेशकों की नियुक्ति कर सकेगी।

20. अन्य अधिकारियों की नियुक्ति।

- (i) राज्य सरकार (क) प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी, जो जिले का भूमि अभिलेख अधिकारी भी होगा, और (ii) प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार; (बी) (i) किसी जिले में एक अतिरिक्त भूमि अभिलेख अधिकारी नियुक्त कर सकता है, (ii) एक जिले का निपटान अधिकारी, (iii) एक जिले में उतने सहायक कलेक्टर जितने वह उचित समझे, तथा (चतुर्थ) एक तहसील में उतने नायब तहसीलदार जितने वह उचित समझे; (सी) (i) किसी जिले के एक या अधिक उप-प्रभागों का प्रभारी सहायक कलेक्टर नियुक्त करेगा, (ii) किसी तहसील की एक या अधिक उप-तहसीलों का प्रभारी तहसीलदार या नायब तहसीलदार; तथा (डी) (i) किसी जिले में या दो या अधिक जिलों में संयुक्त रूप से एक अपर कलेक्टर नियुक्त कर सकेगा, तथा (ii) एक तहसील में या दो या अधिक तहसीलों में संयुक्त रूप से एक अतिरिक्त तहसीलदार।

20ए. राजस्व अपील प्राधिकरण।

राज्य सरकार राजस्व न्यायिक मामलों और विधि द्वारा विशिष्ट रूप से उपबंधित अन्य विषयों में अपीलों, पुनरीक्षणों और निर्देशों को प्राप्त करने, सुनने और निपटाने के लिए उतनी संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जो आवश्यक समझे जाएं। (2) इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक अधिकारी को राजस्व अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाएगा और वह अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग तथा अपने कर्तव्यों के पालन के लिए ऐसे स्थान या स्थानों पर बैठेगा, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश दे।

21. नियुक्ति पदेन।

- धारा 17 या धारा 18 या धारा 19 या धारा 20 या धारा 203-ए के तहत कोई नियुक्ति पद के आधार पर की जा सकेगी।

22. नियुक्तियों की अधिसूचना।

- धारा 17 से 21 के अधीन की गई सभी नियुक्तियां राजपत्र में अधिसूचित की जाएंगी, परंतु नायब तहसीलदारों की नियुक्ति को अधिसूचित करना आवश्यक नहीं होगा। सी. शक्तियां (धारा 23 से 29)

23. नियंत्रण शक्ति.

(1) राज्य में राजस्व से संबंधित सभी गैर-न्यायिक मामलों का नियंत्रण, निपटान से संबंधित मामलों को छोड़कर, राज्य सरकार में निहित है और सभी न्यायिक मामलों और निपटान से संबंधित सभी मामलों का नियंत्रण बोर्ड में निहित है।

(2) "न्यायिक मामला" से तात्पर्य ऐसी कार्यवाही से है जिसमें राजस्व न्यायालय या अधिकारी को पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करना होता है तथा कार्यवाही और आदेशों के

साथ-साथ अपील भी करनी होती है। प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मामलों में पुनरीक्षण और निर्देश इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए न्यायिक मामले माने जाएंगे।

24. राजस्व न्यायालयों और अधिकारियों की अधीनता।

- धारा 9 और 23 के उपबंधों के अधीन रहते हुए —

(1) संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, उप-विभागीय अधिकारी, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार उस संभाग के आयुक्त के अधीनस्थ होंगे;

(2) किसी जिले के सभी अपर कलेक्टर, उप-विभागीय अधिकारी, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार उस जिले के कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे;

(3) किसी उप-मंडल में सभी तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार ऐसे उप-मंडल के उप-मंडल अधिकारी के अधीनस्थ होंगे;

(4) किसी तहसील के सभी अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार उस तहसील के तहसीलदार के अधीनस्थ होंगे;

(5) सभी अपर बंदोबस्त आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, तहसीलदार, अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार बंदोबस्त आयुक्त के अधीनस्थ होंगे;

(6) किसी तहसील के सभी तहसीलदार, अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार उस तहसील में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले बंदोबस्त अधिकारी के अधीनस्थ होंगे;

(7) सभी अपर एवं सहायक निदेशक, भूमि अभिलेख, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, भूमि अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार भूमि अभिलेख निदेशक के अधीनस्थ होंगे;

(8) किसी तहसील के सभी तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार उस तहसील में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले भूमि अभिलेख अधिकारी के अधीनस्थ होंगे, तथा

(9) अध्याय VII के तहत किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए विशेष रूप से नियुक्त सभी अधिकारी भूमि अभिलेख अधिकारी के अधीन होंगे, या अध्याय VIII के तहत ऐसे क्षेत्र के लिए बंदोबस्त अधिकारी के अधीन होंगे।

25. न्यायालयों और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य।

1) आयुक्त या कलेक्टर या उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार अपने खण्ड या जिले या उपखण्ड या तहसील के भीतर इस अधिनियम या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(2) बंदोबस्त आयुक्त पूरे राज्य में बंदोबस्त से संबंधित सभी मामलों का प्रभारी होगा और उसके संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम या किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किए गए हों या उस पर अधिरोपित किए गए हों।

(3) भूमि अभिलेख निदेशक, राज्य भर में सर्वेक्षण तथा भूमि अभिलेखों की तैयारी, पुनरीक्षण और रखरखाव से संबंधित सभी मामलों का प्रभारी होगा और उसके संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग

करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

(4) भूमि अभिलेख अधिकारी या अध्याय 7 के अधीन नियुक्त अधिकारी उस क्षेत्र के भीतर, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किए गए हैं और उस पर अधिरोपित किए गए हैं।

(5) एक बंदोबस्त अधिकारी या अध्याय VIII के तहत नियुक्त एक अधिकारी, उस क्षेत्र के भीतर जिसके लिए उसे नियुक्त किया जाता है, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत प्रदान किए गए हैं और लगाए गए हैं।

(6) कोई अपर आयुक्त या कोई अपर बंदोबस्त आयुक्त या भूमि अभिलेख का कोई अपर या सहायक निदेशक या अपर कलेक्टर या अपर तहसीलदार उस क्षेत्र के भीतर, जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और इस अधिनियम या किसी अन्य समय प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसे मामलों, मामलों या वर्गों के मामलों में आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या भूमि अभिलेख निदेशक या कलेक्टर या कलेक्टर या तहसीलदार के क्रमशः ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट कर सकती है, और प्रत्येक अपर आयुक्त या अतिरिक्त बंदोबस्त आयुक्त या भूमि अभिलेख का अतिरिक्त या सहायक निदेशक या अपर कलेक्टर या अपर तहसीलदार ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी कर्तव्य का पालन करते समय, सभी प्रयोजनों के लिए उस क्षेत्र का आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या भूमि अभिलेख निदेशक या कलेक्टर या तहसीलदार, जैसा भी मामला हो, समझा जाएगा जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है।

(7) सहायक कलेक्टर या नायब तहसीलदार, यथास्थिति, उस जिले या तहसील के भीतर, जिसमें वह नियुक्त किया गया है, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त कानून द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किए गए हैं या जो राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे सौंपे गए हैं।

26. न्यायालयों और अधिकारियों की अतिरिक्त शक्तियां।

(1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, (ए) नायब तहसीलदार पर तहसीलदार की सभी या कोई भी शक्तियां, (बी) तहसीलदार पर सहायक कलेक्टर की सभी या कोई भी शक्तियां, (सी) सहायक कलेक्टर पर, उप-विभागीय अधिकारी या भूमि अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी या कलेक्टर की सभी या कोई भी शक्तियां, (डी) उप-विभागीय अधिकारी पर, भूमि अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी या कलेक्टर की सभी या कोई भी शक्तियां, (इ) भूमि अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी पर, उप-विभागीय अधिकारी या सहायक कलेक्टर या कलेक्टर की सभी या कोई भी शक्तियां, (एफ) कलेक्टर पर निपटान अधिकारी की सभी या कोई भी शक्तियां लागू होंगी। (जी) आयुक्त पर, निपटान आयुक्त या भूमि अभिलेख निदेशक की सभी या कोई भी शक्तियां, और (एच) निपटान आयुक्त को भूमि अभिलेख निदेशक की सभी या कोई भी शक्तियां प्रदान की जाएंगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ऐसे क्षेत्रों में तथा ऐसे मामलों और विषयों या मामलों और विषयों के वर्गों के संबंध में किया जाएगा जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

(3) इस धारा के अधीन शक्तियां प्रदान करते समय राज्य सरकार व्यक्तियों को नाम से या अधिकारियों के वर्गों को सामान्यतः उनके पदनामों से सशक्त कर सकेगी।

(4) यदि किसी तहसील, उप-मंडल, जिला संभाग या अन्य क्षेत्र का कोई अधिकारी, जिसे इस धारा के अधीन नाम से कोई शक्तियां प्रदान की गई हैं, किसी अन्य तहसील, उप-मंडल, जिला संभाग या क्षेत्र में उसी प्रकृति के समतुल्य कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, उसे ऐसी अन्य तहसील, उप-मंडल, जिला संभाग या क्षेत्र में इस धारा के अधीन समान शक्तियां प्रदान की गई मानी जाएंगी।

27. न्यायालयों और अधिकारियों की अंतर्निहित शक्तियां .

- धारा 25 और 26 में विनिर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त -(ए) आयुक्त को धारा 26 के खंड (जी) के तहत शक्तियां प्रदान किए जाने पर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी और भूमि रिकॉर्ड अधिकारी के अधीनस्थ अधिकारियों की सभी शक्तियां होंगी (आ) राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के पास कलेक्टर, उप-विभागीय अधिकारी, सहायक कलेक्टर और तहसीलदार की सभी शक्तियां होंगी। (बी) कलेक्टर के पास उप-विभागीय अधिकारी, सहायक कलेक्टर और तहसीलदार की सभी शक्तियां होंगी, (सी) उप-विभागीय अधिकारी को सहायक कलेक्टर और तहसीलदार की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। (डी) सहायक कलेक्टर के पास तहसीलदार और नायब तहसीलदार के समान शक्तियां होंगी। (इ) तहसीलदार को नायब तहसीलदार की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी; तथा (एफ) भूमि अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी के पास तहसीलदार या नायब तहसीलदार या अध्याय VII या अध्याय VIII के तहत नियुक्त अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी।

28. स्थायी रिक्तियों पर अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाले अधिकारी।

जब कभी आयुक्त या कलेक्टर या उप-मंडल अधिकारी या तहसीलदार का पद स्थायी रूप से रिक्त हो जाने के परिणामस्वरूप, कोई अधिकारी, यथास्थिति, खण्ड, जिला, उप-मंडल या तहसील के मुख्य कार्यकारी प्रशासन में अस्थायी रूप से उत्तराधिकारी बनता है, तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार के आदेश तक, राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन आयुक्त या कलेक्टर या उप-मंडल अधिकारी या तहसीलदार को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे प्रदत्त हैं या उस पर अधिरोपित हैं।

29. अधिकारियों की अस्थायी अनुपस्थिति।

- जहां कोई अधिकारी अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहता है - (ए) उसके मुख्यालय में कार्यरत समान ग्रेड का कोई अन्य अधिकारी या यदि वहां समान ग्रेड का कोई अधिकारी न हो तो इस प्रकार कार्यरत उच्चतर ग्रेड का कोई अन्य अधिकारी या यदि वहां ऐसा कोई उच्चतर अधिकारी न हो तो इस प्रकार कार्यरत निम्नतर ग्रेड का कोई अन्य अधिकारी, अपना सामान्य कर्तव्य छोड़े बिना अनुपस्थित अधिकारी के पद का प्रभार ग्रहण करेगा और तब तक उसका प्रभार संभालता रहेगा जब तक कि उस पर विधिवत् नियुक्त कोई अन्य अधिकारी उस पद को ग्रहण नहीं कर लेता है और ऐसे प्रभार में रहते हुए अनुपस्थित अधिकारी के नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करेगा, और (बी) यदि कोई समान, वरिष्ठ या निम्न श्रेणी का अधिकारी ऐसे मुख्यालय में कार्य नहीं कर रहा है या स्वयं भी अनुपस्थित है, तो कार्यालय का मुख्य मंत्री

अधिकारी समय-समय पर किसी मामले, मुकदमे या कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति रखेगा।D. पटवारी, कानूनगो और इंस्पेक्टर

30. पटवारी सर्किलों का गठन एवं परिवर्तन।

- भूमि अभिलेख निदेशक, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, समय-समय पर प्रत्येक जिले के गांवों को पटवारी हलकों में व्यवस्थित कर सकेगा तथा ऐसे हलकों की संख्या और सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा।

31. पटवारियों की नियुक्ति।

- इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, कलेक्टर प्रत्येक सर्किल के लिए एक पटवारी की नियुक्ति करेगा, जो अध्याय 7 के अधीन वार्षिक रजिस्ट्रों और अभिलेखों का रखरखाव और सुधार करेगा, उस सर्किल के भू-धारकों और काश्तकारों से देय सभी लगान, राजस्व और अन्य मांगों का संग्रहण करेगा, तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा राज्य सरकार विहित करे।

32. भूमि अभिलेख निरीक्षण सर्किलों का गठन एवं परिवर्तन।

- राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, भूमि अभिलेख निदेशक प्रत्येक जिले के पटवारी हलकों को भूमि अभिलेख निरीक्षण हलकों में व्यवस्थित कर सकेंगे।

33. गिरदावर, कानूनगो या भू-अभिलेख निरीक्षकों की नियुक्ति।

- इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, कलेक्टर प्रत्येक भूमि अभिलेख निरीक्षण सर्किल में अध्याय VII के अधीन वार्षिक रजिस्ट्रों और अभिलेखों के उचित पर्यवेक्षण, रखरखाव और सुधार के लिए एक गिरदावर कानूनगो या भूमि अभिलेख निरीक्षक की नियुक्ति करेगा।

34. सदर कानूनगोस.

- इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, भूमि अभिलेख निदेशक प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक सदर कानूनगो की नियुक्ति करेगा, जो गिरदावर कानूनगो या भूमि अभिलेख निरीक्षकों और पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे, जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करे।

35. पटवारियों और कानूनगो की योग्यता आदि।

- पटवारियों, गिरदावर कानूनगो या भू-अभिलेख निरीक्षकों और अदर कानूनगो की योग्यताएं, सेवा की शर्तें और कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा तत्संबंधी बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किए जाएंगे।

36. अभिलेख तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने का दायित्व।

कोई व्यक्ति जिसके अधिकार, हित या दायित्व किसी अधिनियमिति द्वारा या किसी ऐसे अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा पटवारी या गिरदावर कानूनगो या भू-अभिलेख निरीक्षक या सदर कानूनगो द्वारा किसी सरकारी रजिस्टर में दर्ज किए जाने अपेक्षित हैं, वह उसके मांगे जाने पर उसके सही संकलन के लिए आवश्यक सभी सूचनाएं देने के लिए बाध्य होगा।ई. गांव निरस्त

37. से 40. निरसित।

40ए. लम्बरदारों की सेवाओं की समाप्ति।

- राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 या 1955 के राजस्थान अधिनियम 8 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या नियुक्त समझे गए सभी लम्बरदार, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1963 के प्रारम्भ की तारीख से उस गांव या गांव समूह के लम्बरदार नहीं रहेंगे, जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया था और वे इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे; और राजस्व या लगान या कोई अन्य राजकीय मांग एकत्रित करने का कर्तव्य, जब तक राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, सर्किल के पटवारी द्वारा किया जाएगा।

41. ग्राम सेवक.

-छोड़ा गया.

42. रिक्तियां.

-छोड़ा गया.

43. ग्राम सेवकों का रजिस्टर।

-छोड़ा गया.

44. ग्राम सेवकों का पारिश्रमिक।

-छोड़ा गया.

45. पारिश्रमिक का अन्य संक्रामण या कुर्की हेतु दायित्व न होना।

-छोड़ा गया.

46. ग्राम सेवकों के कर्तव्य.

-छोड़ा गया.

47. नियुक्तियाँ किस प्रकार की जाएँगी।

-छोड़ा गया.

48. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं।

-छोड़ा गया.

49. ग्राम सेवकों और लम्बरदारों को दण्डित करना, निलम्बन और हटाया जाना।

-छोड़ा गया.

50. ग्राम चौकीदार को पुलिस प्राधिकारियों के अधीन रखने की शक्ति।

-छोड़ा गया.

अध्याय 4

राजस्व न्यायालयों और अधिकारियों की प्रक्रिया

51. न्यायालय लगाने या पूछताछ करने का स्थान।

(1) अध्याय III के तहत नियुक्त प्रत्येक अधिकारी धारा 20-ए में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी स्थान पर अदालत लगा सकता है और जांच कर सकता है।

(2) लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के सिवाय, कोई भी ऐसा अधिकारी ऐसी सीमाओं के बाहर किसी स्थान पर किसी मामले की सुनवाई या जांच नहीं करेगा।

52. भूमि पर प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने की शक्ति।

- सभी राजस्व और ग्राम अधिकारी तथा उनके सेवक और कर्मकार, जब मौखिक या लिखित रूप से प्राधिकृत किए जाएं, तो भूमि पर प्रवेश कर सकेंगे, उसका सर्वेक्षण कर सकेंगे, सीमाओं का सीमांकन कर सकेंगे तथा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से संबंधित अन्य कार्य कर सकेंगे: परन्तु कोई भी व्यक्ति किसी भवन में या किसी संलग्न प्रांगण या आवास गृह से संलग्न बगीचे में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि उसके अधिभोगी की सहमति न हो, ऐसे अधिभोगी को कम से कम चौबीस घंटे का नोटिस दिए बिना और ऐसा प्रवेश करते समय अधिभोगी की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का समुचित ध्यान रखा जाएगा।

53. सरकार, बोर्ड आदि की मामलों को अन्तरित करने की शक्ति

- राज्य सरकारें या भूमि अभिलेख निदेशक या आयुक्त किसी गैर-न्यायिक मामले या गैर-न्यायिक मामलों के किसी वर्ग को, जो बंदोबस्त से संबंधित नहीं है, स्थानांतरित कर सकते हैं और बोर्ड या बंदोबस्त आयुक्त या भूमि अभिलेख निदेशक किसी न्यायिक या बंदोबस्त मामले या ऐसे मामलों के किसी वर्ग को किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी से किसी अन्य ऐसे न्यायालय या अधिकारी को स्थानांतरित कर सकते हैं जो उससे निपटने में सक्षम हो।

54. अधीनस्थों से मामले स्थानांतरित करने की शक्ति।

1. राजस्व अधिकारी को जांच या निर्णय के लिए सौंपने का अधिकार-- कोई आयुक्त, कोई कलेक्टर, कोई संभागीय अधिकारी, कोई तहसीलदार, कोई भूमि अभिलेख अधिकारी या कोई बंदोबस्त अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या अन्यथा उत्पन्न होने वाले किसी मामले या मामलों के वर्ग को अपनी फाइल से जांच या निर्णय के लिए अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को सौंप सकेगा जो ऐसे मामले या मामलों के वर्ग से निपटने के लिए सक्षम हो, या किसी ऐसे राजस्व अधिकारी से कोई मामला या मामलों के वर्ग को वापस ले सकेगा और ऐसे मामले या मामलों के वर्ग से स्वयं निपट सकेगा, या उसे निपटान के लिए किसी अन्य ऐसे राजस्व अधिकारी को संदर्भित कर सकेगा जो उससे निपटने के लिए सक्षम हो: परन्तु जब किसी मामले में जांच के पश्चात् राजस्व अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश के लिए वरिष्ठ राजस्व प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो वरिष्ठ राजस्व प्राधिकारी अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दे सकेगा।

55. मामलों का समेकन।

- जहां एक या अधिक राजस्व न्यायालयों में निर्धारण के लिए एक ही प्रश्न से संबंधित तथा एक ही वाद हेतुक पर आधारित एक से अधिक मामले लंबित हैं, वहां किसी भी पक्षकार द्वारा उस न्यायालय में आवेदन किए जाने पर, जिसके अधीन वह न्यायालय या न्यायालय सभी अधीनस्थ हैं, उन्हें एक न्यायालय में समेकित किया जाएगा तथा एक ही निर्णय द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। ऐसे मामले उच्च न्यायालय में दायर किए जा सकेंगे।

56. उपस्थिति, आवेदन आदि किसके द्वारा किये गये।

राजस्व न्यायालय या अधिकारी के समक्ष समस्त उपस्थिति, आवेदन और किए जाने वाले कार्य - इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी के समक्ष समस्त उपस्थितियां, आवेदन और किए जाने वाले कार्य -

(i) पक्षकारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से, या

(ii) उनके मान्यता प्राप्त एजेंटों द्वारा, या

(iii) पक्षकारों द्वारा विधिवत् प्राधिकृत तथा ऐसे न्यायालय या अधिकारी के समक्ष अभ्यास करने में सक्षम विधि व्यवसायियों द्वारा: बशर्ते कि राजस्व न्यायालय या अधिकारी किसी कार्यवाही में किसी पक्षकार की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा, भले ही उसके द्वारा कोई अभिकर्ता या विधि व्यवसायी नियोजित किया गया हो।

56ए. आवेदन, अपील आदि प्रस्तुत करना।

- (एल) सभी आवेदन, अपील और कार्यवाही, विपरीत प्रभाव के किसी प्रावधान के अभाव में, उस न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएंगी, जिसके समक्ष इस अधिनियम या इसके अधीन नियमों या किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून या ऐसे कानून के अधीन बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान के अधीन ऐसा आवेदन, अपील या कार्यवाही आती है: बशर्ते कि, यदि किसी ऐसे प्रावधान के तहत कोई आवेदन, अपील या कार्यवाही राजस्व अपील प्राधिकरण के पास है, तो ऐसा आवेदन, अपील या कार्यवाही उस जिले के कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी और उसके द्वारा प्राप्त की जा सकेगी जिसमें ऐसे आवेदन, अपील या कार्यवाही के लिए कार्रवाई का कारण पूर्णतः या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है।

(2) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन आवेदन, अपील या कार्यवाही प्राप्त होने पर, कलेक्टर यह देखने के लिए उसकी जांच करेगा कि क्या उस पर उचित न्यायालय फीस है, क्या वह ऐसी प्रस्तुति के लिए विहित समय-सीमा, यदि कोई हो, के भीतर उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, निर्णयों, डिक्री और आदेशों की सभी आवश्यक प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं और धारा 56 के अधीन ऐसा करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा उचित रूप में प्रस्तुत किया गया है; और उसके पश्चात् यदि आवेदन, अपील या कार्यवाही ठीक पाई जाती है या कलेक्टर द्वारा अधिसूचित दोषों, यदि कोई हों, को जहां कहीं संभव हो दूर कर दिया गया है, तो कलेक्टर आवेदन, अपील या कार्यवाही को मामले के अभिलेख सहित उस समय सक्षम राजस्व अपील प्राधिकारी को भेजेगा जो उसकी सुनवाई और निपटान करने के लिए सक्षम है।

57. राजस्व न्यायालयों या अधिकारियों की व्यक्तियों की उपस्थिति और दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने तथा साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति।

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम V, 1908) की धारा 132 और 133 के उपबंधों और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राजस्व

न्यायालय या अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी, जिसकी उपस्थिति या तो पक्षकार के रूप में परीक्षा करने के लिए या साक्षी के रूप में साक्ष्य देने के लिए या इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन उठने वाली किसी जांच या मामले के प्रयोजनार्थ कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझी जाती है।

(2) दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सम्मन कुछ निर्दिष्ट दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए या सम्मन किए गए व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में एक निश्चित प्रकार के सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए हो सकता है।

(3) इस प्रकार समन किए गए सभी व्यक्ति, या तो स्वयं या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से, जैसा न्यायालय या अधिकारी निर्देश दे, उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे, तथा जिस विषय के संबंध में उनकी परीक्षा की जा रही हो, उस पर सत्य कथन करेंगे या कथन देंगे, तथा ऐसे दस्तावेज और अन्य चीजें प्रस्तुत करेंगे, जिनकी आवश्यकता हो।

(4) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर समन की तामील की गई है, समन का पालन करने में विफल रहता है, तो वह न्यायालय या अधिकारी जिसके द्वारा समन जारी किया गया है, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जमानतीय वारंट जारी कर सकता है।

(5) किसी भी उपस्थित व्यक्ति से किसी भी राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा साक्ष्य देने या उसके कब्जे या शक्ति में मौजूद कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकती है।

58. सम्मन लिखित रूप में हस्ताक्षरित एवं सीलबंद होना चाहिए।

- प्रत्येक समन लिखित रूप में दो प्रतियों में होगा और उस पर उसे जारी करने वाले कार्यालय या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह इस निमित्त सशक्त करे, हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाएगी तथा उसमें वह समय और स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर समन किए गए व्यक्ति को उपस्थित होना अपेक्षित है और यह भी निर्दिष्ट किया जाएगा कि क्या उससे साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

59. सम्मन की तामील।

- प्रत्येक सम्मन की तामील की जाएगी

(1) इसकी एक प्रति प्रस्तुत करके या वितरित करके (ए) बुलाए गए व्यक्ति को, या (बी) अपने मान्यता प्राप्त एजेंट या कानूनी व्यवसायी को, या (सी) उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को, जो सामान्यतः उसके साथ रहता है; या

(2) यदि उपर्युक्त व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति न मिल सके या वह समन की तामील स्वीकार करने से इंकार कर दे, तो उसकी एक प्रति उसके सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाकर; या

(3) यदि ऐसा व्यक्ति किसी अन्य जिले में निवास करता है, तो खंड (i) या खंड (ii) के अनुसार तामील के लिए उस जिले के कलेक्टर को डाक द्वारा समन भेजकर; या

(4) यदि राजस्व न्यायालय या अधिकारी ऐसा निदेश दे, तो उसके कारणों को लेखबद्ध करके, उसमें नामित व्यक्ति को समन किसी अन्य प्रकार की सेवा के अतिरिक्त या उसके स्थान पर पंजीकृत लिफाफे में डाक द्वारा भेजा जा सकता है।

60. नोटिस देने की विधि.

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक सूचना की तामील या तो उसकी एक प्रति प्रस्तुत करके या परिदत्त करके या ऐसी प्रति को भारतीय डाकघर अधिनियम के अधीन पंजीकृत लिफाफे में डाक द्वारा भेजकर की जा सकेगी।

1898. (1898 का केन्द्रीय अधिनियम VI) के तहत, उस व्यक्ति को, जिस पर सूचना की तामील की जानी है या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को, या यदि पूर्वोक्त तरीके से तामील नहीं की जा सकती है, तो उसकी एक प्रति उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर या उस गांव में, जिसमें वह भूमि स्थित है, जिससे सूचना संबंधित है, किसी सार्वजनिक समागम स्थान पर चिपकाकर भेजी जाएगी।

61. उद्घोषणाएं जारी करने की पद्धति।

जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई उद्घोषणा जारी की जाती है, तब उसकी प्रतियां उसे जारी करने वाले अधिकारी के न्यायालय में, उस तहसील के मुख्यालय में, जिसके अंतर्गत वह भूमि स्थित है, जिसके संबंध में वह निर्दिष्ट है, तथा उस भूमि पर या उसके समीप किसी सार्वजनिक समागम स्थान पर, जिसके संबंध में वह निर्दिष्ट है, पोस्ट की जाएंगी और यदि उसे जारी करने वाला अधिकारी ऐसा निदेश दे, तो उद्घोषणा को उस भूमि पर या उसके निकट, जिसके संबंध में वह निर्दिष्ट है, ढोल बजाकर आगे प्रकाशित किया जाएगा।

62. नोटिस या उद्घोषणा गलती के कारण अमान्य नहीं होगी।

- किसी व्यक्ति के नाम, विवरण या पदनाम में या उसमें निर्दिष्ट किसी भूमि के विवरण में किसी त्रुटि के कारण कोई नोटिस या उद्घोषणा शून्य नहीं मानी जाएगी, जब तक कि ऐसी त्रुटि से पर्याप्त अन्याय न हुआ हो।

63. पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई।

(1) यदि राजस्व न्यायालय या अधिकारी के समक्ष किसी मामले या कार्यवाही का कोई पक्षकार सुनवाई के लिए नियत तिथि को या किसी पश्चातवर्ती तिथि या तिथियों को, जिनके लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई हो, उपस्थित नहीं होता है, तो मामले या कार्यवाही की सुनवाई और निर्धारण उसकी अनुपस्थिति में किया जा सकेगा या चूक होने पर खारिज किया जा सकेगा।

(2) यदि किसी मामले या कार्यवाही की सुनवाई के लिए नियत तिथि पर राजस्व न्यायालय या अधिकारी यह पाता है कि विरोधी पक्ष द्वारा ऐसी सेवा के लिए अपेक्षित प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करने में विफलता के कारण किसी पक्ष पर समन या नोटिस की तामील नहीं हुई है, तो ऐसे प्रक्रिया शुल्क का भुगतान न करने पर मामला या कार्यवाही खारिज की जा सकेगी।

64. सुनवाई का स्थगन।

- (1) राजस्व न्यायालय या अधिकारी समय-समय पर किसी मामले या कार्यवाही की सुनवाई स्थगित कर सकता है।

(2) किसी मामले या कार्यवाही की स्थगित सुनवाई का समय और स्थान स्थगन के समय उपस्थित पक्षकारों और साक्षियों को सूचित किया जाएगा।

65. धारा 63 के अंतर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

(1) सिवाय इसके कि जहां किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी के समक्ष कोई मामला या कार्यवाही गुण-दोष के आधार पर विनिश्चित हो गई हो, धारा 63 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

(2) वह पक्षकार, जिसके विरुद्ध धारा 63 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर, इस आधार पर उसे अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा कि उसे किसी पर्याप्त कारण से सुनवाई में उपस्थित होने से या विरोधी पक्षकार पर समन या नोटिस की तामील के लिए अपेक्षित आदेशिका-फीस का भुगतान करने से रोका गया था, और राजस्व न्यायालय या अधिकारी, विरोधी पक्षकार को नोटिस देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी आवश्यक समझी जाए, पारित आदेश को अपास्त कर सकेगा।

66. खर्च देने और विभाजन करने की शक्ति।

(1) राजस्व न्यायालय या अधिकारी इस अधिनियम के अधीन उत्पन्न किसी मामले या कार्यवाही में उपगत लागतों को ऐसी रीति से और ऐसी सीमा तक दे सकेगा और बांट सकेगा, जैसा उचित समझा जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार से भिन्न किसी पक्षकार को खर्च का अधिनिर्णीत करने वाला आदेश उसी प्रकार निष्पादनीय होगा मानो वह राजस्व न्यायालय द्वारा पारित धन के लिए डिक्री हो।

67. भूल या चूक का सुधार।

कोई राजस्व न्यायालय या अधिकारी, जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में कोई आदेश पारित किया गया है, स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर, मामले के किसी सारवान भाग पर प्रभाव न डालने वाली किसी भूल या चूक को, पक्षकारों को ऐसी सूचना देने के पश्चात्, जैसा आवश्यक हो, सुधार सकेगा।

68. विवादों को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करने की शक्ति..

- बोर्ड एवं आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, बंदोबस्त आयुक्त, अतिरिक्त बंदोबस्त आयुक्त, भूमि अभिलेख निदेशक, भूमि अभिलेख अतिरिक्त या सहायक निदेशक, समाहर्ता, अतिरिक्त समाहर्ता, उप-मंडल अधिकारी, सहायक समाहर्ता, भूमि अभिलेख अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी, तहसीलदार या अतिरिक्त तहसीलदार, पक्षों की सहमति से आदेश द्वारा अपने समक्ष किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकते हैं।

69. मध्यस्थता हेतु संदर्भित मामलों में प्रक्रिया।

धारा 68 के अधीन मध्यस्थता के संदर्भ के सभी मामलों में मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम X) के उपबंध लागू होंगे, जहां तक वे इस अधिनियम की किसी बात से असंगत न हों।

70. पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन।

- किसी निर्णय को रद्द करने के लिए आवेदन, निर्णय दाखिल करने की सूचना की तामील के पश्चात् बीस दिन के भीतर किया जाएगा।

71. पंचाट के अनुसार निर्णय।

- यदि राजस्व न्यायालय या संदर्भ देने वाला अधिकारी पंचाट या मध्यस्थता को संदर्भित किसी मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का कारण नहीं देखता है, और यदि पंचाट को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, या यदि ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, तो ऐसा न्यायालय या अधिकारी पंचाट के अनुसार विवाद का निर्णय करेगा या यदि पंचाट विशेष मामले के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे मामले में अपनी राय के अनुसार।

72. सिविल न्यायालय में अपील और वाद का निषेध

- ऐसा निर्णय तुरन्त लागू किया जाएगा और उस पर अपील नहीं की जा सकेगी जब तक कि निर्णय अधिनिर्णय से अधिक न हो या उसके अनुरूप न हो या जब तक कि निर्णय इस आधार पर चुनौती न दिया जाए कि विधि या तथ्य में कोई वैध अधिनिर्णय नहीं है: और कोई भी व्यक्ति मध्यस्थों के निर्णय को रद्द करने या उनके विरुद्ध उनके निर्णय के आधार पर कोई वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेगा।

73. अचल संपत्ति का कब्जा सौंपना।

यदि स्थावर सम्पत्ति पर कब्जे का निर्णय किया जाता है, तो न्यायालय या आदेश देने वाला अधिकारी उसी रीति से, तथा समस्त अंतर्वस्तु, प्रतिरोध आदि के संबंध में उन्हीं शक्तियों के साथ कब्जा प्रदान कर सकेगा, जैसा कि सिविल न्यायालय द्वारा अपनी डिक्री के निष्पादन में विधिपूर्वक प्रयोग किया जा सकता है।

अध्याय 5

अपील, संदर्भ, संशोधन और समीक्षा

74. अपील इस अधिनियम द्वारा अनुज्ञात होगी।

- तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के होते हुए भी, इस अधिनियम में उपबंधित के सिवाय, किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

75. प्रथम अपीलें।

- इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रथम अपील निम्नलिखित स्थानों पर होगी -
(ए) बंदोबस्त या भूमि अभिलेखों से संबंधित न होने वाले मामलों में तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश से कलेक्टर को आदेशित किया जा सकता है। (बी) निपटान से संबंधित न होने वाले मामलों में सहायक कलेक्टर या उप-विभागीय अधिकारी या कलेक्टर द्वारा पारित मूल आदेश से राजस्व अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकेगी। (सी) राजस्व न्यायालय या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश से निपटान अधिकारी को भेजा जाना। (डी) राजस्व न्यायालय या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश से भूमि अभिलेख अधिकारी को भेजी जाने वाली रसीद। (इ) निपटान से संबंधित मामलों में निपटान अधिकारी या कलेक्टर द्वारा पारित मूल आदेश से निपटान आयुक्त को, (एफ) भूमि अभिलेखों से संबंधित मामलों में भूमि अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश से भूमि अभिलेख निदेशक को, तथा (जी) आयुक्त या अपर आयुक्त या राजस्व अपीलीय प्राधिकरण या निपटान आयुक्त द्वारा पारित मूल आदेश से बोर्ड को भेजी गई प्रति।

76. द्वितीय अपीलें।

- अपील में पारित आदेश के विरुद्ध अपील निम्नलिखित आधार पर होगी--[\(ए\)](#) निपटान या भूमि अभिलेखों से संबंधित न होने वाले मामलों में कलेक्टर द्वारा राजस्व अपीलीय प्राधिकारी को, या [\(बी\)](#) धारा 181 के अंतर्गत कार्यरत निपटान अधिकारी या कलेक्टर द्वारा निपटान आयुक्त को, या [\(डी\)](#) आयुक्त या राजस्व अपीलीय प्राधिकरण या निपटान आयुक्त द्वारा बोर्ड को भेजा जाएगा।

77. कुछ मामलों में अपील नहीं होगी।

[\(1\)](#) कोई अपील नहीं की जाएगी - (क) भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम IX) की धारा 5 में निर्दिष्ट आधार पर समीक्षा के लिए अपील या आवेदन स्वीकार करने वाले आदेश से, या [\(बी\)](#) पुनरीक्षण या समीक्षा के लिए आवेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश से, या [\(सी\)](#) किसी ऐसे आदेश से, जिसे इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से अंतिम घोषित किया गया है, या [\(डी\)](#) एक अंतरिम आदेश द्वारा।

[\(2\)](#) उप-धारा (1) के प्रावधान राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 13, 1975) के प्रारंभ की तारीख को प्रस्तुत सभी आवेदनों या कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

[\(3\)](#) अन्तरिम आदेश के विरुद्ध सभी लम्बित अपीलों, चाहे धारा 75 के अन्तर्गत हों या धारा 76 के अन्तर्गत, राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 13, 1975) के प्रारम्भ की तारीख से समाप्त हो जाएंगी।

78. अपील की सीमा.

- कोई अपील नहीं होगी - [\(ए\)](#) जिस आदेश पर आपत्ति की गई है, उसकी तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात कलेक्टर या भूमि अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा; या [\(बी\)](#) ऐसी तारीख से साठ दिन की समाप्ति के पश्चात राजस्व अपील प्राधिकरण या बंदोबस्त आयुक्त या भूमि अभिलेख निदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा; या [\(सी\)](#) ऐसी तारीख से नब्बे दिन की समाप्ति के पश्चात बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

79. आपत्ति किये गये आदेश की प्रति, याचिका के साथ।

- अपील के लिए प्रत्येक याचिका के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी, जिस पर आपत्ति की गई है, जब तक कि ऐसी प्रति प्रस्तुत करने से छूट न दे दी गई हो।

80. अपील प्राधिकारी की शक्तियां

[\(1\)](#) अपीलीय प्राधिकारी या तो अपील स्वीकार कर सकता है, या रिकॉर्ड मंगाने और अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद उसे सरसरी तौर पर खारिज कर सकता है; परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी अभिलेख मांगने के लिए बाध्य नहीं होगा, जहां अपील समय-बाधित हो चुकी हो या उस पर विचार नहीं किया जा सकता हो।

[\(2\)](#) यदि अपील स्वीकार कर ली जाती है तो सुनवाई के लिए तारीख तय की जाएगी और इसकी सूचना प्रत्यर्थी को दी जाएगी।

[\(3\)](#) पक्षकारों को सुनने के पश्चात, यदि वे उपस्थित होते हैं, तो अपील प्राधिकारी, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसे पुष्ट, परिवर्तित या उलट सकता है; या ऐसी अतिरिक्त जांच करने का निर्देश दे सकता है या ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश दे सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे; या स्वयं ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है; या मामले को ऐसे निर्देशों के साथ निपटान के लिए वापस भेज सकता है, जैसा वह ठीक समझे।

81. अवर न्यायालय के आदेशों के निष्पादन को रोकने की शक्ति

- (1) यदि कोई अपील स्वीकार कर ली जाती है, तो अपील प्राधिकारी अपील का परिणाम लंबित रहने तक, उस आदेश के निष्पादन पर रोक लगाने का निर्देश दे सकेगा, जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

(2) कोई भी राजस्व न्यायालय या अधिकारी, कोई भी आदेश पारित करते समय, अपील के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय ऐसे आदेश के निष्पादन पर रोक लगाने का निर्देश दे सकता है, यदि कोई अपील दायर नहीं की गई है।

(3) यदि किसी आदेश का निष्पादन उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रोका जाता है, तो ऐसी सुरक्षा ली जा सकेगी या शर्तें लगाई जा सकेंगी, जैसी अपील प्राधिकारी या राजस्व न्यायालय या अधिकारी ठीक समझे।

82. अभिलेख और कार्यवाही मंगाने तथा राज्य सरकार या बोर्ड को निर्देश देने की शक्ति।

- बंदोबस्त आयुक्त या भूमि अभिलेख निदेशक या कलेक्टर किसी राजस्व न्यायालय या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विनिश्चित किसी मामले या की गई कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है, ताकि पारित आदेश की वैधता या औचित्य तथा कार्यवाही की नियमितता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर सके; और यदि उसकी यह राय है कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही या पारित आदेश में परिवर्तन किया जाना चाहिए, उसे रद्द किया जाना चाहिए या उलट दिया जाना चाहिए, तो वह मामले को अपनी राय के साथ बोर्ड के आदेश के लिए निर्देशित करेगा, यदि मामला न्यायिक प्रकृति का है या समझौते से संबंधित है, या यदि मामला गैर-न्यायिक प्रकृति का है जो समझौते से संबंधित नहीं है, तो राज्य सरकार के आदेश के लिए निर्देशित करेगा; और बोर्ड या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, उसके बाद ऐसा आदेश पारित करेगी जो वह ठीक समझे।

83. अभिलेख मंगाने और आदेशों को संशोधित करने की सरकार की शक्ति

राज्य सरकार अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी गैर-न्यायिक कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगी, जो समझौते से संबंधित न हो, तथा उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

84. अभिलेख मंगाने और आदेशों को संशोधित करने की बोर्ड की शक्ति

बोर्ड न्यायिक प्रकृति के या समझौते से संबंधित किसी मामले का अभिलेख मांग सकता है जिसमें बोर्ड के पास कोई अपील नहीं है, यदि न्यायालय या अधिकारी जिसके द्वारा मामला विनिश्चित किया गया था, के बारे में प्रतीत होता है कि उसने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या वह ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, या उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्त्विक अनियमितता के साथ किया है, और मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह ठीक समझे।

84ए. कुछ मामलों में पुनरीक्षण नहीं किया जा सकेगा।

- इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में पारित अन्तरिम आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं किया जा सकेगा और ऐसे आदेश के विरुद्ध सभी लम्बित पुनरीक्षण, राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 13) के प्रारम्भ की तारीख से उपेक्षित हो जाएंगे।

85. सुनवाई.

धारा 82 या धारा 83 या धारा 84 के अधीन कोई भी आदेश किसी व्यक्ति के प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए।

85ए. राज्य सरकार द्वारा समीक्षा..

राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या कार्यवाही के किसी पक्षकार के आवेदन पर इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगी, उसे विखंडित, परिवर्तित या पुष्ट कर सकेगी।

86. बोर्ड एवं अन्य न्यायालयों द्वारा समीक्षा।

(1) बोर्ड स्वप्रेरणा से या किसी वाद या अन्य कार्यवाही में किसी पक्ष के आवेदन पर स्वयं या अपने किसी सदस्य द्वारा दिए गए किसी आदेश की समीक्षा कर सकता है, उसे निरस्त कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है।

(2) प्रत्येक अन्य राजस्व न्यायालय या अधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर स्वयं द्वारा या अपने या अपने पूर्ववर्ती अधिकारियों द्वारा पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगा और उसके संदर्भ में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे: उसे उपलब्ध कराया -

(i) किसी भी आदेश में तब तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा या उसे उलटा नहीं जाएगा जब तक कि इच्छुक पक्षकारों को ऐसे आदेश के समर्थन में उपस्थित होने और सुनवाई के लिए नोटिस नहीं दे दिया गया हो;

(ii) किसी भी आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो या जो किसी पुनरीक्षण कार्यवाही का विषय हो, समीक्षा नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाही लंबित है;

(iii) निजी व्यक्ति के बीच किसी प्रश्न या अधिकार को प्रभावित करने वाले किसी आदेश की समीक्षा कार्यवाही में किसी पक्ष के आवेदन के अलावा नहीं की जाएगी और ऐसे आदेश की समीक्षा के लिए कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह आदेश पारित होने से नब्बे दिनों के भीतर नहीं किया जाता है।

(3) इस धारा के अधीन पुनर्विलोकन के लिए आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम V, 1908) की प्रथम अनुसूची के आदेश XLVII के नियम I में उल्लिखित किसी भी आधार पर किया जा सकेगा और उक्त आदेश के उपबंध उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए लागू होंगे।

87. 1908 के अधिनियम IX का अनुप्रयोग।

भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम IX) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन सभी अपीलों और पुनर्विलोकन आवेदनों पर लागू होंगे।

अध्याय 6

भूमि

88. सभी सड़कें आदि तथा सभी भूमि जो दूसरों की संपत्ति नहीं हैं, राज्य की हैं।

(1) सभी सार्वजनिक सड़कें, गलियां, रास्ते, पुल और खाइयां; उन पर या उनके किनारे सभी बाड़ें, सभी नदियां, नदियां, नाले, झील और टैंक, सभी नहरें और जलमार्ग, सभी स्थिर और बहते पानी, और सभी भूमि जहां कहीं भी स्थित हैं, जो व्यक्तियों की संपत्ति या व्यक्तियों के निकायों की संपत्ति नहीं हैं, जो कानूनी रूप से संपत्ति रखने में सक्षम हैं, वहां तक को छोड़कर जहां तक ऐसे व्यक्तियों या निकायों के किसी भी अधिकार उसमें या उसके ऊपर स्थापित हो सकते हैं और किसी भी समय लागू कानून में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, और इसके द्वारा, उनमें या उनके संबंध में सभी अधिकारों के साथ, राज्य की संपत्ति घोषित की जाती है; और यह [आयुक्त के आदेश] के अधीन कलेक्टर के लिए वैध होगा कि वह उन्हें इस तरह से निपटाए जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, हमेशा रास्ते के अधिकारों और जनता या व्यक्तियों के कानूनी रूप से अस्तित्व में सभी अन्य अधिकारों के अधीन।

(2) जहां किसी संपत्ति या किसी संपत्ति में या उस पर किसी अधिकार का दावा राज्य द्वारा या उसकी ओर से या राज्य के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां कलेक्टर के लिए, जिसकी समुचित सूचना दी गई हो, औपचारिक जांच के पश्चात दावे पर निर्णय देने के लिए आदेश पारित करना वैध होगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या यदि परिसीमा अवधि के भीतर ऐसे आदेशों के विरुद्ध एक या अधिक अपीलें की गई हैं तो अंतिम अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी सिविल न्यायालय में संस्थित कोई वाद खारिज कर दिया जाएगा (यद्यपि परिसीमा अवधि को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया है) यदि वाद ऐसे आदेश को अपास्त करने के लिए लाया गया है या यदि दावा किया गया अनुतोष ऐसे आदेश से असंगत है, परंतु उपधारा (2) के अधीन आदेश की दशा में वादी को ऐसे आदेश की सम्यक् सूचना मिल गई हो।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को इस धारा के अधीन किसी जांच या आदेश की सम्यक् सूचना मिल गई मानी जाएगी, यदि उसकी सूचना इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार दी गई है।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अंतर्गत पारित कोई भी आदेश कलेक्टर द्वारा निर्धारित तरीके से प्रवर्तनीय होगा।

89. खनिजों, खानों, खदानों और मत्स्य पालन का अधिकार।

(1) सभी खनिजों, खानों और खदानों का तथा नदी में सभी मत्स्य पालन, नौवहन और सिंचाई का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा और राज्य सरकार के पास ऐसे अधिकार के उपभोग के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी।

(2) सभी खानों और खदानों के अधिकार में खनन और उत्खनन के प्रयोजन के लिए भूमि तक पहुंच का अधिकार और ऐसी अन्य भूमि पर कब्जा करने का अधिकार शामिल है जो उसके सहायक प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, जिसके अंतर्गत कार्यालयों, श्रमिकों के आवास और मशीनरी का निर्माण, खनिजों का जमाव और कचरा जमा करना, सड़कों, रेलमार्गों या ट्राम लाइनों का निर्माण और कोई अन्य प्रयोजन शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकार खनन और उत्खनन के सहायक घोषित कर सकती है।

(3) यदि राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को किसी खनिज, खान या खदान पर अपना अधिकार सौंपा है और यदि ऐसे अधिकार के समुचित उपभोग के लिए यह आवश्यक है कि उपधारा (1)

और (2) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, तो कलेक्टर लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों और आरक्षणों के अधीन, जैसा वह विहित करे, ऐसी शक्तियों को उस व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जिसे अधिकार सौंपा गया है: परन्तु ऐसा कोई प्रत्यायोजन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रभावित भूमि पर अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों को नोटिस की तामील नहीं कर दी गई हो तथा उनकी आपत्तियों पर सुनवाई नहीं कर ली गई हो तथा उन पर विचार नहीं कर लिया गया हो।

(4) यदि किसी भूमि पर इसमें निर्दिष्ट अधिकार के प्रयोग में, किसी व्यक्ति के अधिकारों का ऐसी भूमि की सतह पर कब्जे या विक्षोभ द्वारा अतिक्रमण होता है, तो राज्य सरकार या उसका समनुदेशिती ऐसे व्यक्तियों को ऐसे अतिक्रमण के लिए प्रतिकर का भुगतान करेगा और ऐसे प्रतिकर की राशि की गणना कलेक्टर द्वारा, या यदि उसका पंचाट स्वीकार नहीं किया जाता है, तो सिविल न्यायालय द्वारा, यथासम्भव, राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम XXIV, 1953) के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।

(5) राज्य सरकार का कोई भी समनुदेशिती कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भूमि पर प्रवेश नहीं करेगा या उस पर कब्जा नहीं करेगा, जब तक कि मुआवजा निर्धारित न कर दिया गया हो तथा उस व्यक्ति को न दे दिया गया हो जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

(6) यदि राज्य सरकार का कोई समनुदेशिती उपधारा (4) में उपबंधित प्रतिकर का संदाय करने में असफल रहता है, तो कलेक्टर उस प्रतिकर को उसके हकदार व्यक्ति की ओर से उससे वसूल कर सकेगा, मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो।

(7) कोई व्यक्ति जो विधि सम्मत प्राधिकार के बिना किसी खान या खदान से खनिज निकालता है या हटाता है, जिसका अधिकार राज्य सरकार में निहित है और उसे सरकार द्वारा नहीं सौंपा गया है, वह अपने विरुद्ध की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर के लिखित आदेश पर, निकाले गए या निकाले गए खनिजों के प्रति टन पचास रुपए या उसके अंश की दर से संगणित राशि से अधिक नहीं, जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा: परन्तु यदि इस प्रकार गणना की गई राशि एक हजार रुपए से कम है तो जुर्माना ऐसी बड़ी राशि हो सकेगी जो एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, जैसा कलेक्टर अधिरोपित करे। स्पष्टीकरण--इस धारा में खनिजों के अंतर्गत कोई रेत या मिट्टी सम्मिलित है, जिसके बारे में राज्य सरकार यह घोषित कर सकती है कि उसका वाणिज्यिक मूल्य है या वह किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

90. समस्त भूमि का राजस्व या किराये के भुगतान हेतु दायित्व।

(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, समस्त भूमि, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हो और जहां कहीं भी स्थित हो, राज्य सरकार को राजस्व या लगान के भुगतान के लिए दायी होगी, सिवाय उस भूमि के जो राज्य सरकार के विशेष अनुदान या उसके साथ संविदा द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी भूमि के उपबंधों द्वारा ऐसे दायित्व से पूर्णतया छूट प्राप्त कर दी गई हो।

(2) किसी भूमि पर कब्जे की कोई अवधि या संपदा-धारक द्वारा दिया गया भूमि का कोई अनुदान, उस भूमि को राजस्व या किराया देने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

(3) राज्य सरकार किसी भूमि को विशेष अनुदान या अनुबंध के माध्यम से या किसी भी समय लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार ऐसे भुगतान के दायित्व से छूट दे सकती है। (3-ए) राज्य

सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भूमि या भूमि के किसी वर्ग को, चाहे भविष्यव्यापी या भूतलक्षी प्रभाव से, लगान या भू-राजस्व के भुगतान से छूट दे सकेगी।

(4) भूमि पर राजस्व या किराया निर्धारित किया जा सकता है, भले ही ऐसा राजस्व या किराया, उसके समनुदेशित, निर्मुक्त, प्रशमन या मोचन के कारण राज्य सरकार को देय न हो।

90ए. कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग।

-(एल) कृषि के प्रयोजन के लिए कोई भूमि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, और ऐसी भूमि या उसके किसी भाग का कोई हस्तान्तरितकर्ता, उसे या उसके किसी भाग को, उस पर भवन निर्माण करके या अन्यथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं करेगा, सिवाय इसके कि इसके लिए राज्य सरकार की लिखित अनुमति इसमें इसके पश्चात अधिकथित तरीके से प्राप्त की गई हो और ऐसी अनुमति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही हो।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसी भूमि या उसके किसी भाग का उपयोग कृषि के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए करना चाहता है, तो वह निर्धारित तरीके से अपेक्षित अनुमति के लिए निर्धारित अधिकारी या प्राधिकारी को आवेदन करेगा और ऐसे प्रत्येक आवेदन में निर्धारित विवरण दिया जाएगा।

(3) राज्य सरकार, निर्धारित तरीके से सम्यक जांच करने या करवाने के पश्चात, या तो आवेदित अनुमति देने से इंकार कर देगी या निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अधीन उसे प्रदान कर देगी।

(4) जब किसी ऐसी भूमि या उसके किसी भाग को कृषि के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाने की अनुमति दी जाती है, तो वह व्यक्ति जिसे ऐसी अनुमति दी जाती है, उसके संबंध में राज्य सरकार को निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा-(ए) ऐसी दर पर और ऐसी रीति के अनुसार लगाया गया नगरीय कर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों में अधिकथित किया जाए; या (बी) प्रीमियम के रूप में ऐसी राशि, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है; या (सी) दोनों।

(5) यदि ऐसी कोई भूमि इस प्रकार उपयोग में लाई जाती है -(ए) राज्य सरकार की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना, या (बी) ऐसी अनुमति के नियमों और शर्तों के अनुसार नहीं, या (सी) उपधारा (3) के अधीन ऐसी अनुमति देने से इंकार कर दिए जाने के पश्चात्, या (डी) उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई भी भुगतान किए बिना, कृषि के प्रयोजन के लिए उक्त भूमि को मूल रूप से धारण करने वाला व्यक्ति और साथ ही सभी बाद के अंतरिती, यदि कोई हों, यथास्थिति, अतिचारी या अतिचारी समझे जाएंगे और धारा 91 के अनुसार ऐसी भूमि से बेदखल किए जाने के दायी होंगे, मानो उन्होंने विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि पर कब्जा किया था या करते रहे हैं और प्रत्येक ऐसी कार्यवाही पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) की धारा 212 के उपबंध लागू होंगे, मानो ऐसी भूमि खतरे में हो या बर्बाद, क्षतिग्रस्त या अन्यत्र स्थानांतरित की जा रही हो: परंतु राज्य सरकार, ऐसे व्यक्ति और पश्चातवर्ती अंतरितियों को प्रश्रुत भूमि से इस प्रकार बेदखल करने के बदले में, उन्हें, यथास्थिति, ऐसी भूमि को अपने पास रखने और कृषि के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करने की अनुमति राज्य सरकार को उपधारा (4) के अधीन देय नगरीय मूल्यांकन और प्रीमियम के अतिरिक्त, विहित किए जाने वाले जुर्माने का भी भुगतान करने पर दे सकेगी। (5ए) इस धारा के किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, कृषि भूमि का उपयोग बिना अनुमति के ऐसे गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसा कि

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।] [2014 के अधिनियम संख्या 17 द्वारा दिनांक 7.10.2014 को डाला गया।]

(6) जहां इस धारा के अधीन अनुमति किसी शहरी क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में मांगी जाती है, वहां अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब वांछित गैर-कृषि प्रयोजन उस क्षेत्र में लागू कानून के अनुसार अनुमेय हो और उस क्षेत्र में लागू मास्टर प्लान या किसी अन्य विकास योजना या स्कीम, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, के अनुरूप हो।

(7) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जब किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने वाला आदेश पारित किया जाता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से ही, - (ए) इस धारा के अधीन अनुमति प्रदान किए गए व्यक्ति के ऐसी भूमि पर काश्तकारी अधिकार समाप्त हो जाएंगे, तथा (बी) भूमि धारा 102-ए के अधीन स्थानीय प्राधिकरण के अधीन रखी गई समझी जाएगी और वह उस व्यक्ति को, जिसे इस धारा के अधीन अनुमति दी गई है, या ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारियों, समनुदेशितियों या अन्तरितियों को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकरण को लागू विधि के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों के अनुसार किसी अनुमेय गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए आबंटन के लिए उपलब्ध होगी, बशर्ते कि स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा (4) के अधीन उद्घहणीय और वसूली योग्य नगरीय मूल्यांकन या प्रीमियम या दोनों का भुगतान किया जाए।

(8) इस अधिनियम और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, जहां 17 जून, 1999 से पहले किसी व्यक्ति ने, नगरीय क्षेत्र में या नगरीयकरणीय सीमा या नगरीय क्षेत्र की परिधीय पट्टी के भीतर कृषि प्रयोजनों के लिए कोई भूमि धारण की हो, ऐसी भूमि या उसके किसी भाग का उपयोग गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए किया हो या उपयोग करने दिया हो, या बिक्री या विक्रय करार के माध्यम से और/या पावर ऑफ अटॉर्नी और/या वसीयत निष्पादित करके या किसी अन्य तरीके से कथित गैर-कृषि उपयोग के लिए प्रतिफल के लिए ऐसी भूमि या उसके किसी भाग का कब्जा छोड़ दिया हो, ऐसे व्यक्ति के उक्त भूमि या जोत या उसके किसी भाग में, जैसा भी मामला हो, अधिकार और हित समाप्त किए जाने योग्य होंगे और राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने और ऐसा करने के लिए लिखित में कारण दर्ज करने के पश्चात ऐसी भूमि में उसके अधिकारों और हित को समाप्त करने का आदेश देगा और तत्पश्चात भूमि राज्य सरकार में स्वतंत्र रूप से निहित हो जाएगी। सभी भारग्रस्तों से मुक्त हो जाएगी और धारा 102-ए के अधीन स्थानीय प्राधिकरण के अधीन रखी गई समझी जाएगी और स्थानीय प्राधिकरण को लागू कानून के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उप-नियमों के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अनुमेय गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी। स्थानीय प्राधिकरण रखने वाले व्यक्तियों को, ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को, जैसा भी मामला हो, किसी आवास सहकारी समिति द्वारा किए गए आबंटन या दिए गए पट्टे के आधार पर या किसी बिक्री के दस्तावेज या बिक्री के लिए करार या मुख्तारनामा या वसीयत या किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर भूमि का हस्तांतरण उस व्यक्ति द्वारा जिसके अधिकारों और हितों को इस उप-धारा के अधीन समाप्त करने का आदेश दिया गया है या ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, स्थानीय

प्राधिकरण को उप-धारा (4) के अधीन लगाए जाने योग्य और वसूली योग्य शहरी मूल्यांकन या प्रीमियम या दोनों के भुगतान के अधीन:उसे उपलब्ध कराया -

(i) इस उपधारा की कोई बात किसी देवता, देवस्थान विभाग, किसी सार्वजनिक न्यास या किसी धार्मिक या धर्मार्थ संस्था या वक्फ की भूमि पर लागू नहीं होगी;

(ii) इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही या आदेश उन भूमियों के संबंध में आरंभ नहीं किए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे जिनके लिए नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 33/1976), राजस्थान कृषि जोत पर अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या 11, 1973) और राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की संपदा अर्जन अधिनियम, 1963 (अधिनियम संख्या 11, 1964) के उपबंधों के अधीन कार्यवाही लंबित है।

(9) इस धारा के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर कलेक्टर के पद से नीचे का न होने वाले ऐसे अधिकारी को अपील कर सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया जाए, जो यथासंभव ऐसी अपील को उसके प्रस्तुत किए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटाएगा और यदि वह पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील का निपटारा करने में असमर्थ है, तो वह इसके लिए कारण दर्ज करेगा। इस उपधारा के अधीन पारित आदेश अंतिम होगा। स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -(ए) स्थानीय क्षेत्र के संबंध में "स्थानीय प्राधिकरण" का अर्थ उस क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए गठित या नामित प्राधिकरण है या उसे उसका कार्य सौंपा गया है और इसमें राजस्थान नगरीय सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) के अंतर्गत गठित नगरीय सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) के अंतर्गत गठित जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) के अंतर्गत गठित जोधपुर विकास प्राधिकरण या राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) के अंतर्गत गठित नगर पालिका शामिल हैं; (बी) "नगरीय क्षेत्र" से तात्पर्य जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) की धारा 2 के खंड (8) में परिभाषित जयपुर क्षेत्र, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की धारा 2 के खंड (8) में परिभाषित जोधपुर क्षेत्र या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 2 के खंड (xxix) में परिभाषित नगरपालिका क्षेत्र या राजस्थान नगरीय सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना में इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जिसके लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण का गठन किया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत उसे नामित किया गया है; (सी) "शहरीकरण योग्य सीमा" से तात्पर्य किसी शहर या कस्बे की मास्टर प्लान या मास्टर विकास योजना में दर्शाई गई शहरीकरण योग्य सीमाओं से है, जो कि वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत तैयार की गई है और जहां कोई मास्टर प्लान या मास्टर विकास योजना नहीं है, वहां नगरपालिका क्षेत्र की बाहरी सीमाएं; (डी) "परिधीय बेल्ट" से तात्पर्य किसी शहर या कस्बे के मास्टर प्लान या मास्टर विकास योजना में दर्शाई गई परिधीय बेल्ट से है, जो कि वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत तैयार की गई है और जहां कोई मास्टर प्लान या मास्टर विकास योजना नहीं है या जहां परिधीय बेल्ट ऐसी योजना में दर्शाई नहीं गई है, वहां वह क्षेत्र जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।

90बी. [छोड़ा गया]

हटाई गई धारा 90बी इस प्रकार पढ़ी जाएगी; "90बी. कुछ मामलों में अधिकारों की समाप्ति और भूमि का पुनर्ग्रहण। - (1) काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं.3) में निहित विपरीत के बावजूद, जहां राजस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम सं.21) के प्रारंभ से पहले, किसी व्यक्ति ने, ऐसे शहरीकरण योग्य सीमाओं में, या किसी शहरी क्षेत्र व इसके लिए कोई भूमि धारण की है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अथवा ऐसी भूमि या उसके हिस्से को, जैसा भी मामला हो, गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया है या उपयोग करने की अनुमति दाने वाले हिस्से के कब्जे को, जैसा भी मामला हो, बिक्री या बिक्री के लिए समझौते के माध्यम से और/या पावर ऑफ अटॉर्नी और/या किसी अन्य तरीके से, कथित गैर-कृषि उपयोग के लिए विचार के लिए छोड़ दिया है, उक्त भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकारों को कोई भाग, जैसा भी मामला हो, समाप्त किया जा सकेगा और ऐसी भूमि पुनः प्राप्त की जा सकेगी।(2) जहां कोई भूमि उपधारा (1) के अधीन पुनःग्रहण योग्य हो गई है, वहां कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्तियों से कारण बता करेगा कि उक्त भूमि को संक्षेप में पुनःग्रहण क्यों न कर लिया जाए और अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे नोटिस में भूमि का स्थान, स्थान, समय और तारीख, जहां और कब मामले की सुनवाई होगी, अंतर्विष्ट हो सकेगी।(3) जब ऐसी भूमि का किसी अधिकृत कोई व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी को आवेदन देकर वाणिज्यिक, संस्थागत, अर्ध-वाणिज्यिक, औद्योगिक, सिनेमा या पेट्रोल पंप के प्रयोजनों के लिए या मल्टीप्लेक्स इकाइयों, या पर्यटन परियोजनाओं के प्रयोजन के लिए या अन्य सामुदायिक सुविधाओं या सार्वजनिक उपयोगिता के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जा सकता है, ऐसी भूमि में अपने अधिकारों को समर्पित करने की इच्छा व्यक्त करता है, कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी, ऐसे व्यक्ति की इच्छा के बारे में संतुष्ट होने पर, उक्त भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हितों को सुरक्षा फ़िर से लेने का आदेश देगा।(4) मामले में कार्यवाही संक्षिप्त रूप से संचालित की जाएगी और सामान्यतः उपधारा (2) के अधीन में विनिर्दिष्ट सुनवाई की प्रथम तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर समाप्त कर ली जाएगी।(5) जहां पक्षकारों की सुनवाई राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की यह राय है कि भूमि उपधारा (1) के अधीन पुनःग्रहण योग्य है, वहां वह भूमि को पुनःग्रहण करने के पश्चात् उक्त भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हितों की समाप्ति का आदेश देगा तथा उक्त भूमि को पुनःग्रहण उपधारा (3) और (5) के अधीन इस प्रकार पुनःग्रहण की गई भूमि सभी भारग्रस्तताओं से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जाने करने की तारीख से इस अधिनियम की धारा 102-क के अधीन संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के अधीन रखी गई समझी जाएगी। अधीन अभ्यर्पित भूमि, उस व्यक्ति को, जो अभ्यर्पित करता है, संबंधित स्थानीय निकाय पर लागू नियमों, विनियमों और उपधारा (3) के अधीन वाणिज्यिक, संस्थागत, अर्ध-वाणिज्यिक, औद्योगिक, सिनेमा या पेट्रोल पंप प्रयोजनों के लिए या मल्टीप्लेक्स इकाइयों, अवधारणा परियोजनाओं के प्रयोजनों के लिए या अन्य सामुदायिक सुविधाओं या सार्वजनिक उपयोगिता प्रयोजनों के लिए नियोजित किया जाएगा।(7) उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति, उपधारा (5) के अधीन आदेश पारित होने के तीस दिनों में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा।(8) संभागीय आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्, उसके समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसी उक्त भूमि करेगा।(9) इस धारा के अधीन अपील में संभागीय आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश किसी भी सिविल न्यायालय को उपधारा (5) के अधीन कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश संभागीय आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश पर प्रश्न उठाने वाले किसी वाद या कार्यवाही निर्णय देने की अधिकारिता नहीं होगी।(11) इस धारा की कोई बात देवता, देवस्थान विभाग, किसी सार्वजनिक न्यास या धर्मार्थ वक्फ की भूमि पर लागू नहीं होगी।परन्तु जहां राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 के अधीन पंजीकृत कोई लोक न्यास संस्था अपनी भूमि या जोत या उसके किसी भाग को तथा वहां से प्राप्त आय/आय को अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए का आशय रखती है, वहां वह ऐसी भूमि या जोत या उसके किसी भाग में अपने अधिकारों को समर्पित करने के लिए उपधारा (3) सकेगी और उस स्थिति में इस धारा के उपबंध इस संशोधन के साथ लागू होंगे कि ऐसे प्रयोजनों के लिए उपधारा (3) और उपबंध किया गया समझा जाएगा।स्पष्टीकरण.- इस परन्तुक के प्रयोजन के लिए, भूमि या जोत में राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पट्टे पर आबंटित भूमि शामिल नहीं है, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा अनुमति न दे।(12) इस धारा के अधीन कोई कार्य संबंध में आरंभ नहीं किए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे जिनके लिए नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम सं. 33, 1976), राजस्थान कृषि जोत पर अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम, 1973 (अधिनियम सं. 11, 1973) और राजस्थान स्वामियों की संपदा अर्जन अधिनियम, 1963 (अधिनियम सं. 11, 1964) के उपबंधों के अधीन कार्यवाही निम्नलिखित है:स

प्रयोजनों के लिए भूमि का आंशिक उपयोग जैसे कि काश्तकार का आवासीय मकान (उसकी जोत के 1/50वें भाग या 50 जो भी कम हो), मवेशी प्रजनन, डेयरी फार्मिंग, चारा भंडारण, मुर्गीपालन, बागवानी, वानिकी विकास, पानी की टंकी, कुआरे, ऐसे अन्य सहायक या उससे जुड़े प्रयोजनों का निर्माण गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण 11.- उपनगरीय क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत होगा, जिसके लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) के अधीन नगरीय सुधार न्यायिक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) के अधीन जयपुर विकास प्राधिकरण गठित किया गया के प्रयोजनों के लिए, शहरीकरण योग्य सीमाओं से तात्पर्य किसी शहर या कस्बे की उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मास्टर विकास योजना में उपदर्शित शहरीकरण योग्य सीमाओं से है, और जहां कोई मास्टर प्लान या मास्टर विकास योजना नगरपालिका सीमाएं हैं। स्पष्टीकरण VI.-(i) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, परिधीय बेल्ट का तात्पर्य किसी शहर या कस्बे के विकास योजना में दर्शाई गई परिधीय बेल्ट से है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तैयार की गई है, और जहां कोई योजना नहीं है या जहां परिधीय बेल्ट ऐसी योजना में दर्शाई नहीं गई है, वहां वह क्षेत्र है, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देखा जा सकता है। (ii) जहां किसी गांव का कोई भाग परिधीय पट्टी के अंतर्गत आता है, वहां संपूर्ण गांव परिधीय पट्टी के अंतर्गत माना जाएगा।

91. भूमि पर अनाधिकृत कब्जा।

(1) कोई भी व्यक्ति जो विधि सम्मत प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या कब्जा करना जारी रखता है, उसे अतिचारी माना जाएगा और उसे तहसीलदार द्वारा उसके प्रस्ताव पर या स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, जिसके अधीन ऐसी भूमि रखी गई है, किसी भी समय सरसरी तौर पर बेदखल किया जा सकता है; और ऐसी भूमि पर खड़ी कोई फसल, या बनाया गया कोई भवन या अन्य निर्माण, या जमा की गई कोई वस्तु, यदि ऐसे उचित समय के भीतर नहीं हटाई जाती, जिसे तहसीलदार समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित करे, तो राज्य को जब्त कर ली जाएगी और ऐसी किसी भी फसल के मामले में उसका निपटान उस तरीके से किया जाएगा, जैसा वह ठीक समझे और अन्य मामलों में, जैसा कलेक्टर निर्देश दे: परन्तु तहसीलदार किसी ऐसे भवन या अन्य निर्माण को जब्त करने के आदेश देने के बदले में उसके सम्पूर्ण भाग या उसके किसी भाग को ध्वस्त करने का आदेश दे सकेगा।

(2) ऐसा अतिचारी प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए, जिसके दौरान वह पूरी भूमि या उसके किसी भाग पर ऐसे अनधिकृत कब्जे में रहा है, जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अतिचार के प्रथम कृत्य के लिए, वार्षिक किराए या मूल्यांकन, जैसा भी मामला हो, के पचास गुना तक हो सकता है। अतिचार के प्रत्येक बाद के कृत्य के मामले में, वह तहसीलदार के आदेश से, तीन महीने तक की अवधि के लिए सिविल जेल में जाने और पूर्वोक्त सीमा तक जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे जुर्माने की राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन सिविल कारागार में भेजे जाने का आदेश दिया गया अतिचारी उस तहसीलदार को, जिसके द्वारा उसे सिविल कारागार में भेजे जाने का आदेश दिया गया है, यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करने का आशय रखता है, वहां तहसीलदार आदेश देगा कि ऐसे अतिचारी को उसके स्वयं के बंधपत्र पर, ऐसी अवधि के लिए रिहा कर दिया जाए, जितनी अवधि के लिए उसे अपील प्रस्तुत करने और अपील न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा और ऐसा आदेश, जब तक वह बंधपत्र पर इस प्रकार रिहा रहता है, निलंबित समझा जाएगा। (3-क) उपधारा (2) के अधीन बेदखली की कार्यवाही करने से पूर्व, तहसीलदार, विहित रीति से, उस व्यक्ति पर, जिसके बारे में रिपोर्ट की गई है कि वह विधिसम्मत प्राधिकार के बिना भूमि पर कब्जा कर रहा है या कब्जा जारी रखे हुए है, एक नोटिस तामील कराएगा जिसमें ऐसी भूमि को विनिर्दिष्ट किया जाएगा और उसे एक

निश्चित तारीख तक या तो ऐसी भूमि खाली करने के लिए कहा जाएगा या उपस्थित होकर कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि उसे वहां से क्यों न बेदखल कर दिया जाए।

(4) निम्नलिखित में से किसी भी मामले में, अर्थात् -(1) जहां अतिचारी न तो भूमि खाली करता है और न ही उपधारा (3) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में उपस्थित होता है, या (2) जहां ऐसे नोटिस के प्रत्युत्तर में अतिचारी भूमि खाली नहीं करता है और उपस्थित होता है, किन्तु -(ए) ऐसा कोई कारण नहीं दर्शाता है, या (बी) कोई अभ्यावेदन करता है जिसे मामले की परिस्थितियों में आवश्यक जांच और सुनवाई के पश्चात् अस्वीकृत कर दिया जाता है, वहां तहसीलदार, जब तक कि खंड (ii) के अंतर्गत आने वाले मामले में अतिचारी एक सप्ताह के भीतर भूमि खाली करने का वचन नहीं देता है और ऐसी समयावधि के भीतर उसे खाली नहीं कर देता है, अतिचारी को ऐसी भूमि से हटाने का आदेश देगा और उसे वहां से हटाएगा या हटाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त करेगा और उस पर कब्जा लेगा; और यदि तहसीलदार या इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति का ऐसी भूमि पर कब्जा लेने में विरोध किया जाता है या उसे फंसाया जाता है, तो तहसीलदार अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट भूमि को तहसीलदार के अधीन समर्पित करने के लिए बाध्य करेगा।

(5) पूर्वगामी उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसी कोई भूमि धारा 97 के परन्तुक के खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट श्रेणी की है, तो तहसीलदार उसे उप-विभागीय अधिकारी के अनुमोदन से अतिचारी को बेच सकेगा, बशर्ते कि वह उसके लिए धारा 96 के अधीन नियत दर पर प्रीमियम का भुगतान कर दे और जो ऐसी भूमि पर लागू हो, तथा इसके अतिरिक्त उप-धारा (2) के अधीन उससे अवैध कब्जे की सम्पूर्ण अवधि के लिए वसूलनीय मूल्यांकन और शास्ति भी हो।

(6) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, -(ए) जो कोई विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 के लागू होने से पूर्व ऐसी भूमि पर कब्जा कर चुका है, और तहसीलदार द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित नोटिस दिए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर ऐसा कब्जा हटाने में असफल रहता है, तो उसे दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, तथा जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा; तथा (बी) जो कोई, राज्य सरकार का नियोजक होते हुए, जिसे कलेक्टर के लिखित आदेश द्वारा इस उपधारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध को रोकने या निवारण करने का कर्तव्य विनिर्दिष्ट रूप से सौंपा गया है, ऐसे अपराध को रोकने या निवारण करने में जानबूझकर या जानबूझकर उपेक्षा करेगा या लोप करेगा, वह दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा; परंतु, खंड (क) के अधीन अपराध के मामले में, न्यायालय निर्णय में उल्लिखित किसी पर्याप्त या विशेष कारण से एक मास से कम अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा: यह भी प्रावधान है कि इस उपधारा (क) के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के पद के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा: आगे यह भी प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना खंड (ख) के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। स्पष्टीकरण.- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "भूमि" से तात्पर्य है -

(i) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) में परिभाषित चरागाह भूमि; तथा

(ii) धारा 103 के खंड (क) के उपखंड (iii) और (iv) में परिभाषित भूमि, जिसमें सार्वजनिक कुआं, नाडी, जोहड़ और तालाब से संलग्न भूमि शामिल है

92. भूमि को विशेष प्रयोजनों के लिए अलग रखा जा सकता है।

(1) राज्य सरकार के सामान्य आदेशों के अधीन रहते हुए, कलेक्टर किसी विशेष प्रयोजन के लिए भूमि अलग रख सकेगा, जैसे कि पशुओं के मुफ्त चरागाह के लिए, वन आरक्षित क्षेत्र के लिए, आबादी के विकास के लिए, या किसी अन्य सार्वजनिक या नगरपालिका प्रयोजन के लिए; और कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी भूमि का उपयोग ऐसे प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

(2) छोड़ा गया।

93. चारागाह के उपयोग का विनियमन।

- चारागाह भूमि पर चरने का अधिकार केवल उस गांव या गांवों के मवेशियों तक ही विस्तारित होगा जिसके लिए ऐसी भूमि अलग रखी गई है और इसे राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

94. वन वृद्धि के नियंत्रण और प्रबंधन को विनियमित करने की शक्तियां।

(1) राज्य सरकार, वनों की कटाई को रोकने की दृष्टि से, किसी संपदा या गांव की भूमि पर वन-विकास के नियंत्रण और प्रबंधन को तथा ऐसे वन-विकास पर उपयोग के किसी अधिकार के प्रयोग को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी और ऐसे नियमों के भंग होने पर एक हजार रुपए से अनधिक शास्ति या, यदि भंग निरन्तर हो तो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा भंग जारी रहता है, पचास रुपए से अनधिक शास्ति लगा सकेगी: बशर्ते कि नियमों में निर्धारित दंड केवल सक्षम अधिकारिता वाले आपराधिक न्यायालय द्वारा ही लगाया जाएगा।

(2) ऐसा न्यायालय निदेश दे सकेगा कि उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन वसूल की गई पूरी धनराशि या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा, जिन्हें हानि या चोट पहुंची है या उसे ऐसे तरीकों से खर्च किया जाएगा, जिसे कलेक्टर वन-विकास के फायदे के लिए ठीक समझे।

(3) उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में काटी गई या हटाई गई किसी इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज को जब्त कर सकेगा और बेच सकेगा तथा बिक्री से प्राप्त राशि को उपधारा (2) में वर्णित किसी एक या दोनों प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगा।

(4) यदि कोई संपदा धारक या कोई अन्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के किसी भौतिक उल्लंघन का दोषी है, तो कलेक्टर, जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे संपदा धारक या अन्य व्यक्ति ने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सावधानियां बरती हैं और पूरी जांच के बाद तथा संपदा धारक या अन्य व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, ऐसा नहीं करेगा। (5) घोषणा करें कि संपदा या गांव के वन-विकास को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया जाएगा, या (बी) ऐसे संपदा-धारक या अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी कर, नोटिस में निर्दिष्ट उचित समय के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि उसे वन भूमि के कब्जे से क्यों न बाहर कर दिया जाए।

(5) जब तक उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन की गई घोषणा वापस नहीं ले ली जाती, तब तक किसी भी व्यक्ति द्वारा गांव के क्षेत्र के बाहर बिक्री या परिवहन या उपयोग के लिए कोई

इमारती लकड़ी या झाड़-झंखाड़ काटना या कटवाना, कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना और उसके द्वारा अनुज्ञात तरीके और सीमा तक, गैर-कानूनी होगा।

(6) यदि उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन आदेश के विरुद्ध पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया जाता है, तो कलेक्टर ऐसे संपदा-धारक या अन्य व्यक्ति को वन भूमि के कब्जे से बाहर कर सकेगा तथा उसके द्वारा निश्चित अवधि तक उसका प्रत्यक्ष प्रबंधन अपने हाथ में ले सकेगा: परन्तु उस वन भूमि की सकल आय, जिसका प्रत्यक्ष प्रबंधन इस प्रकार ग्रहण किया गया है, कलेक्टर द्वारा संपदा-धारक या उससे संबंधित अन्य व्यक्ति को, ऐसे प्रबंधन में उपगत व्यय के रूप में ऐसी राशि काटने के पश्चात् दी जाएगी, जिसे कलेक्टर द्वारा संपदा-धारक या अन्य व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् अवधारित किया जाए।

(7) प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन धारित वन भूमि के संबंध में कोई पट्टा, ग्रहणाधिकार, भार या अनुबंध राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा।

94ए. सड़क किनारे के पेड़.

(1) सभी सड़क किनारे के वृक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा या उसके आदेश के अधीन या उसके व्यय पर लगाए गए हैं और सभी वृक्ष, जो किसी सड़क के किनारे स्थानीय निधि के व्यय पर लगाए गए हैं और जो राज्य सरकार में निहित है, राज्य सरकार में निहित होंगे।

(2) ऐसे वृक्षों के मर जाने, उखड़ जाने या कलेक्टर के आदेश से काट दिए जाने की स्थिति में, लकड़ी राज्य सरकार की संपत्ति होगी।

94बी. अनाधिकृत रूप से विनियोजित वृक्षों आदि के मूल्य की वसूली।

(1) कोई भी व्यक्ति जो अनाधिकृत रूप से किसी सड़क किनारे के वृक्ष या उसके किसी भाग को बेचेगा या हड़प लेगा या उसके किसी अन्य प्राकृतिक उत्पाद को हटाएगा, तो वह उसके मूल्य के लिए राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा, जो उससे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा, तथा इसके अतिरिक्त वह किसी भी कानून के अधीन जुर्माना भी दे सकेगा।

(2) ऐसे वृक्षों या उनके भाग या उत्पाद के मूल्य के संबंध में कलेक्टर का निर्णय निर्णायक होगा।

95. आबादी का विकास।

(1) राज्य सरकार आबादी के विकास के लिए अलग रखी जाने वाली भूमि के आरक्षण, नजूल भूमि के आबंटन तथा ऐसी भूमि के संबंध में किए जाने वाले किसी भुगतान के लिए अलग रखी गई भूमि के आरक्षण तथा ऐसे आबंटितियों के अधिकारों की घोषणा के लिए नियम बना सकेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रीमियम के रूप में धनराशि का भुगतान किए बिना आबादी क्षेत्र में किसी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा।

(3) आबादी भूमि पर पूर्ण अधिकार केवल प्रीमियम का भुगतान करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

(4) इस धारा की कोई बात आबादी क्षेत्र की उस भूमि पर लागू नहीं होगी जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी व्यक्ति के वैध कब्जे में है।

(5) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ पर कोई व्यक्ति आबादी क्षेत्र में किसी भूमि पर सीमित अधिकारों के साथ अधिभोग कर रहा है, वहां वह इस अधिनियम के अधीन निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करने पर ऐसी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार अर्जित कर सकेगा।

(6) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् आबादी क्षेत्र में किसी भूमि पर उपधारा (2) के उपबंधों या उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार या समुचित प्राधिकार के बिना कब्जा करता है, ऐसी भूमि पर पृथक् रूप से या पहले से विद्यमान भवन के विस्तार के रूप में या अपनी समीपवर्ती भूमि पर निर्माण करता है, या जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात् उचित प्राधिकार के बिना उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी भूमि पर या ऐसी भूमि पर और वैध रूप से या अन्यथा उसके कब्जे में अन्य भूमि पर कोई निर्माण करता है, उसे अतिचारी माना जाएगा और उसके साथ इस प्रकार व्यवहार किया जाएगा मानो वह कोई व्यक्ति हो जो वैध प्राधिकार के बिना भूमि पर कब्जा कर रहा हो या कब्जा करना जारी रखे हुए है।

(7) धारा 91 के प्रावधान उपधारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति, भूमि और निर्माण पर लागू होंगे: उसे उपलब्ध कराया-

(मैं) धारा 91 की उपधारा (1), (2), (3) और (4) के अधीन तहसीलदार द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा आबादी में किसी भूमि या मवेशियों के स्वतंत्र चरागाह के लिए या आबादी के विकास के लिए या किसी अन्य सार्वजनिक या नगरपालिका प्रयोजन के लिए अलग रखी गई किसी भूमि के मामले में किया जाएगा, जिसे धारा 102-ए के अधीन या अन्यथा किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या नगरपालिका अधिकारी द्वारा उसको आवेदन किए जाने पर रखा गया है, और जहां तहसीलदार स्वप्रेरणा से कार्य करने का प्रस्ताव करता है, वहां वह ऐसे आशय की सूचना संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को देगा; (ii) इस उपधारा के अधीन अतिचारी पर लगाया गया मूल्यांकन और जुर्माना ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की निधि में जमा किया जाएगा, तथा (iii) धारा 91 की उपधारा (5) के अधीन तहसीलदार द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियों का प्रयोग, पूर्वोक्त स्थानीय प्राधिकरण के निपटानाधीन रखी गई किसी भूमि की दशा में, ऐसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अधिकारी के अनुमोदन के बिना स्वयं किया जाएगा।

96. कलेक्टर द्वारा प्रीमियम की दरें निर्धारित करना।

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आबादी क्षेत्र के भीतर नजूल और अन्य भूमि पर वसूले जाने वाले प्रीमियम की दरें निर्धारित कर सकेगी तथा समय-समय पर उनमें संशोधन भी कर सकेगी।

(2) ऐसी दरें भूमि के स्थल मूल्य को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप निर्धारित की जाएंगी तथा एक ही गांव, कस्बे या शहर या गांवों, कस्बों या शहरों के समूह में विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की जा सकेंगी।

97. आबादी भूमि की नीलामी।

- ऐसे सभी मामलों में जहां आबादी क्षेत्र में एक ही भूमि के लिए एक से अधिक आवेदक हों, उसे सार्वजनिक नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेचा जाएगा: उसे उपलब्ध कराया -

(मैं) कलेक्टर को यह स्वतंत्रता होगी कि वह उच्चतम बोली को भी कारण बताकर अस्वीकार कर दे। (ii) विद्यमान भवनों से लगी हुई भूमि की छोटी पट्टियां, उप-विभागीय अधिकारी की पूर्व मंजूरी से, धारा 96 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन निर्धारित दरों पर दी जाएंगी; और (iii) इस धारा के अधीन नीलामियां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होंगी।

98. घरेलू कूड़ा-कचरा आदि के पात्र तथा चारा भंडारण के लिए दी गई भूमि।

(1)राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, उप-विभागीय अधिकारी गांवों, कस्बों या शहरों में ऐसे आयामों की भूमि मुफ्त प्रीमियम या किराए पर दे सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, घरेलू कचरा, अस्तबल और मवेशियों के मल और अन्य कूड़ा-कचरा और खाद के लिए पात्र के रूप में और मवेशियों के लिए चारा भंडारण के लिए:उसे उपलब्ध कराया-(मैं)ऐसी भूमि पर अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जाएगा, तथा उसे केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब वह उपलब्ध हो;(ii)कलेक्टर को बिना कोई मुआवजा दिए ऐसी किसी भी भूमि को अपने अधिकार में लेने का अधिकार होगा;(iii)जिस व्यक्ति को भूमि दी जा सकती है, उसे विनिमय, बंधक, बिक्री, उपहार या वसीयत द्वारा उसमें कोई हस्तांतरण का अधिकार नहीं होगा; तथा(चतुर्थ)वह व्यक्ति, जिसे ऐसी भूमि प्रदान की गई है, इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन पारित आदेशों का पालन करेगा।

(2)उपधारा (1) के अधीन दी गई भूमि, तहसीलदार से नीचे की पंक्ति के राजस्व अधिकारी के आदेश से पुनः प्राप्त की जा सकेगी, यदि और जब वह व्यक्ति, जिसे वह भूमि दी गई है, इस धारा या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है।

99. गांव में भवन निर्माण को विनियमित करने का अधिकार।

- राज्य सरकार, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा, ऐसे गांवों या कस्बों में मकानों और अन्य भवनों के निर्माण, रखरखाव, ध्वस्तीकरण, मरम्मत और विस्तार को विनियमित कर सकेगी, जिनके लिए कोई स्थानीय प्राधिकरण स्थापित नहीं किया गया है।

100. औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में भूमि की बिक्री।

- राज्य सरकार औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में भूमि की बिक्री को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी और जहां आवश्यक हो, ऐसी भूमि पर वार्षिक मूल्यांकन भी लगा सकेगी।

101. कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन।

(1)इस अधिनियम द्वारा अन्यत्र जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि ऐसे प्राधिकारी द्वारा तथा ऐसी रीति से आवंटित की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

(2)इस धारा के अधीन भूमि के सभी आवंटन ऐसी दरों पर निर्धारित किराये के भुगतान के अधीन होंगे, जो प्रथा या प्रयोग या विषय पर किसी कानून के अनुसार निर्धारित किए जा सकते हैं।

(3)छोड़ा गया.

(4)यदि एक ही भूमि की आवश्यकता एक से अधिक व्यक्तियों को हो तो आवंटन निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा -(मैं)यदि जोत एक सघन खंड का भाग है या एक ही स्रोत से सिंचित है, तो ऐसे सह-हिस्सेदारों में से उस सह-हिस्सेदार को वरीयता दी जाएगी, जिसके पास राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल से कम भूमि है।(ii)उस गांव में रहने वाले व्यक्तियों को, जिसमें भूमि स्थित हो, ऐसे व्यक्तियों में से उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास कोई भूमि नहीं है या जिनके पास उक्त नियमों द्वारा निर्धारित क्षेत्र से कम भूमि है;(iii)लॉटरी द्वारा :बशर्ते कि इस प्रकार लिया गया क्षेत्र, उसके द्वारा धारित क्षेत्र सहित, उक्त नियमों द्वारा निर्धारित क्षेत्र से अधिक न हो।

102. कृषि प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए तथा विशेष शर्तों पर भूमि आवंटित करने की सरकार की शक्ति।

भूमि आवंटित करने की शक्ति- इसमें प्रवृत्त किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को किसी उद्योग के प्रयोजन के लिए या किसी सार्वजनिक उपयोगिता के प्रयोजन के लिए ऐसी शर्तों पर, जैसी वह ठीक समझे, भूमि आवंटित करने की शक्ति होगी।

102ए. वह भूमि जो स्थानीय प्राधिकारियों को सौंपी जा सकेगी।

किसी नजूल भूमि या धारा 92 के अधीन अलग रखी गई भूमि को राज्य सरकार द्वारा अधिकारिता रखने वाले किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन रखा जा सकेगा और ऐसा स्थानीय प्राधिकारी इस प्रकार अपने अधीन रखी गई भूमि को राज्य सरकार की ओर से अपने अधीन ले सकेगा तथा उस विशेष प्रयोजन के लिए उसका उपयोग कर सकेगा जिसके लिए वह अलग रखी गई है, उस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर अधिकथित करे तथा ऐसी रीति से, जैसा वह समय-समय पर विहित करे।

103. अध्याय VI के प्रयोजनों के लिए भूमि और आबादी की परिभाषा।

- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(ए) "भूमि" से तात्पर्य निम्नलिखित सभी या किसी भी श्रेणी की भूमि से है:

(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) की धारा 5 के खंड (24) में परिभाषित भूमि

(2) राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम 24, 1953) के उपबंधों के अधीन सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी शैक्षणिक संस्था के प्रयोजन के लिए अर्जित भूमि, जबकि ऐसी भूमि, यथास्थिति, सरकार या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या शैक्षणिक संस्था की संपत्ति बनी रहती है;

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में, सर्वेक्षण और अभिलेख तैयार करने या अन्यथा से संबंधित किसी कार्यवाही के दौरान, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व वाली सर्वेक्षण और अभिलेखित भूमि, जिसका उपयोग सड़क या पथ जैसे किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाता है,

(4) समुदाय के उपयोग के लिए पूर्वोक्त रूप से सर्वेक्षण की गई और दर्ज की गई भूमि जैसे गोचर, श्मशान या कब्रिस्तान,

(5) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में भूमि, हस्तांतरण या अन्यथा द्वारा प्राप्त की गई हो,

(6) धारा 3 के खंड (iv) में परिभाषित नजूल भूमि, और

(7) आबादी क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारी में निहित भूमि या धारा 92 के अधीन विशेष प्रयोजनों के लिए आरक्षित और अलग रखी गई भूमि, और इसमें ऐसी भूमि के काटने से उत्पन्न होने वाले लाभ और जमीन से जुड़ी हुई चीजें या जमीन से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजें शामिल हैं; और (बी) "आबादी" या "आबादी क्षेत्र" या "आबादी भूमि" का अर्थ किसी गांव, कस्बे या शहर का आबादी वाला क्षेत्र है, और इसमें ऐसे गांव, कस्बे या शहर का स्थल, उसमें आबादी के विकास के लिए धारा 92 के तहत आरक्षित और अलग रखी गई भूमि

और भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए वहां रखी गई भूमि शामिल है, चाहे उस पर कोई भवन बना हो या नहीं।

104. ऐसे मामले जिनमें राजस्व अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।

जहां कोई नजूल भूमि या किसी गांव या शहर की आबादी में की भूमि या मवेशियों के मुफ्त चरागाह के लिए या आबादी के विकास के लिए या किसी अन्य सार्वजनिक या नगरपालिका प्रयोजन के लिए अलग रखी गई कोई भूमि धारा 102-ए के तहत या अन्यथा स्थानीय प्राधिकारी के निपटान में रखी गई है, वहां कलेक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा धारा 97 या धारा 98 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से किया जाएगा।

105. राजस्थान अधिनियम 3, 1955 की धारा 31 के अधीन काश्तकारों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

- धारा 95, 96, 97, 98 और 102 की कोई बात किसी भी तरह से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) की धारा 31 द्वारा काश्तकारों को प्रदत्त किसी गांव की आबादी में आवासीय मकान के लिए निःशुल्क स्थल पर कब्जा करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, छीनेगी या न्यून नहीं करेगी।

अध्याय 7

सर्वेक्षण और अभिलेख संचालन

ए. सामान्य

106. सर्वेक्षण या पुनः सर्वेक्षण।

सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रियाओं के अधीन माना जाएगा - राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि किसी स्थानीय क्षेत्र का सर्वेक्षण या पुनः सर्वेक्षण किया जाएगा और प्रत्येक ऐसा स्थानीय क्षेत्र, उक्त अधिसूचना की तारीख से, तब तक सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रियाओं के अधीन माना जाएगा जब तक कि ऐसी संक्रियाओं को उसमें बंद घोषित करने वाली कोई अन्य अधिसूचना जारी न कर दी जाए।

107. रिकॉर्ड संचालन.

अभिलेखों का सामान्य या आंशिक पुनरीक्षण - राज्य सरकार इसी प्रकार, किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में, जिसका पहले ही सर्वेक्षण किया जा चुका है, निदेश दे सकेगी कि ऐसे स्थानीय क्षेत्र के अभिलेखों का सामान्य या आंशिक पुनरीक्षण किया जाएगा और तत्पश्चात् ऐसा स्थानीय क्षेत्र तब तक अभिलेख प्रचालन के अधीन माना जाएगा जब तक कि ऐसे प्रचालन उसी प्रकार बंद न कर दिए जाएं।

108. अभिलेख अधिकारी।

- राज्य सरकार, धारा 106 या धारा 107 के अधीन अधिसूचना जारी करने पर, (मैं) इसमें निर्दिष्ट कार्यों के प्रभारी के रूप में एक अतिरिक्त भूमि अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जब तक कि ऐसे कार्यों के अंतर्गत लाए गए क्षेत्र में एक स्थायी अतिरिक्त भूमि अभिलेख अधिकारी

की नियुक्ति नहीं की गई हो, और(ii)सरकार उतने सहायक भूमि अभिलेख अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जितने उचित समझे जाएं।

109. संक्रिया संचालन का तरीका।

धारा 106 और 107 में निर्दिष्ट कार्य भूमि अभिलेख निदेशक के भारसाधक होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से संचालित किए जाएंगे।बी. सीमा चिह्न

110. सीमाओं के सर्वेक्षण में सहायता।

(1)जब कोई क्षेत्र सर्वेक्षण और अभिलेख प्रचालन के अधीन हो, तो भूमि अभिलेख अधिकारी एक उद्घोषणा जारी करेगा जिसमें ऐसे क्षेत्र के सभी संपदा-धारकों और काश्तकारों को सूचित किया जाएगा कि वे गांव की सीमाओं के साथ-साथ उसमें स्थित खेतों की सीमाओं के सर्वेक्षण में, जैसी भी उनसे अपेक्षा की जाए, सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

(2)भूमि अभिलेख अधिकारी एक उद्घोषणा जारी कर सकता है जिसमें सर्वेक्षण और अभिलेख प्रचालन के अधीन क्षेत्र के सभी संपदा धारकों और काश्तकारों को निर्देश दिया जाएगा कि वे पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे सीमा चिह्नों को सही कर लें जिन्हें वह उनके गांवों, संपदाओं या खेतों की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए आवश्यक समझे, और उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उनका अनुपालन न करने पर वह स्वयं ऐसे सीमा चिह्नों को अपने खर्च पर बनवा सकता है।

111. सीमाओं से सम्बन्धित विवादों का विनिश्चय

विवाद का निपटारा-(1) किसी सीमा से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में भूमि अभिलेख अधिकारी ऐसे विवाद का निपटारा, जहां तक संभव हो, विद्यमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर करेगा और जहां यह संभव न हो या ऐसे मानचित्र उपलब्ध न हों, वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा।

(2)यदि इस धारा के अधीन किसी विवाद की जांच के दौरान भूमि अभिलेख अधिकारी स्वयं को इस बात के संबंध में संतुष्ट करने में असमर्थ है कि कब्जा किस पक्षकार के पास है या यदि यह दर्शित हो जाता है कि जांच प्रारंभ होने से पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर वैध अधिभोगियों को गलत तरीके से बेदखल करके कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, तो भूमि अभिलेख अधिकारी संक्षिप्त जांच द्वारा यह पता लगाएगा कि कब्जे का सर्वाधिक हकदार पक्षकार कौन है और तत्पश्चात् तदनुसार सीमा निर्धारित करेगा।सी. मानचित्र और फील्ड बुक

112. मानचित्र और फील्ड बुक तैयार करना..

- सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रियाओं के अधीन प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र या उसके भाग के संबंध में, भूमि अभिलेख अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार, ऐसे क्षेत्र या भाग में समाविष्ट प्रत्येक गांव या गांव के भाग के लिए एक मानचित्र और एक फील्ड बुक तैयार करेगा,डी. अधिकारों का अभिलेख

113. अधिकारों का अभिलेख तैयार करना।

- सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रियाओं के अधीन या केवल अभिलेख संक्रियाओं के अधीन प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के संबंध में भूमि अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक गांव या गांव के भाग के लिए अधिकारों का अभिलेख तैयार करेगा।

114. अधिकारों के अभिलेख की अंतर्वस्तु।

- अधिकारों का अभिलेख ऐसी रीति से तैयार किया जाएगा जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात् -(ए)खेवत, अर्थात् सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रियाओं या अभिलेख संक्रियाओं के अधीन क्षेत्र के सभी संपदा-धारकों का रजिस्टर, जिसमें प्रत्येक संपदा-धारक और उसके सह-हिस्सेदारों, कब्जे में बंधकों और उससे काश्तकार के अलावा अन्य रूप में भूमि रखने वाले व्यक्तियों, यदि कोई हों, के हित की प्रकृति और सीमा निर्दिष्ट की जाएगी;(बी)खतौनी, अर्थात् ऐसे क्षेत्र में खेती करने वाले या अन्यथा भूमि धारण करने वाले या उस पर कब्जा करने वाले सभी व्यक्तियों का रजिस्टर, जिसमें धारा 121 द्वारा अपेक्षित विशिष्टियां निर्दिष्ट की जाएंगी;(सी)ऐसे क्षेत्र में लगान या राजस्व से मुक्त भूमि रखने वाले सभी व्यक्तियों का रजिस्टर; तथा(डी)ऐसे अन्य रजिस्टर जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

115. ऐसी भूमि पर दावा आमंत्रित करना जिसका कोई स्वामी न हो।

1) जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रियाओं के अधीन हो या केवल अभिलेख संक्रियाओं के अधीन हो, तब भूमि अभिलेख अधिकारी ऐसे क्षेत्र की सभी भूमियों की सूची बनाएगा, जिनके बारे में उसे प्रतीत होता है कि उनका कोई विधिक स्वामी नहीं है और तत्पश्चात् वह एक उद्घोषणा जारी करेगा, जिसमें वह ऐसी भूमियों को राज्य की संपत्ति के रूप में सीमांकित करने के अपने आशय की घोषणा करेगा और उन पर या उन पर दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को, ऐसी उद्घोषणा की तारीख से तीन मास के भीतर, ऐसे दावों और उनके लिए आधारों को बताते हुए एक लिखित याचिका प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा।

(2)यदि ऐसी कोई याचिका प्रस्तुत की जाती है तो भूमि अभिलेख अधिकारी आवश्यक समझे जाने वाली जांच करने के पश्चात् उस पर शीघ्र निर्णय करेगा।

116. जब अदावाकृत भूमि का उपयोग सामान्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है तो प्रक्रिया।

यदि धारा 115 में वर्णित भूमि पर कोई दावा नहीं किया जाता है या यदि ऐसी भूमि राज्य की संपत्ति मानी जाती है, किन्तु निकटवर्ती गांव या गांव के निवासी यह साबित कर देते हैं कि उन्होंने पूर्व में ऐसी भूमि का उपयोग चारागाह या अन्य कृषि प्रयोजनों के लिए किया है, तो भूमि अभिलेख अधिकारी ऐसे गांव या गांवों को उतनी भूमि सौंप सकेगा जितनी वह ऐसे प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे और शेष भूमि को राज्य की संपत्ति के रूप में चिह्नित करेगा और घोषित करेगा।

117. जब ऐसी भूमि पर सीमित अधिकार स्थापित हो जाए तो प्रक्रिया।

- यदि धारा 115 के अधीन उद्घोषणा जारी करने में समाविष्ट किसी भूमि पर या उस पर किसी ऐसे अधिकार के प्रयोग या उपभोग का दावा, जो अनन्य कब्जे के अधिकार की कोटि में नहीं आता है, स्थापित हो जाता है, तो भूमि अभिलेख अधिकारी दावेदार को ऐसी भूमि का एक निश्चित भाग उसकी सम्पत्ति के रूप में समनुदेशित कर सकेगा या राज्य सरकार की मंजूरी से, राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम XXIV, 1953) के उपबन्धों के अनुसार दावेदार को अन्यथा प्रतिकर दे सकेगा और ऐसा समनुदेशन या प्रतिकर ऐसे प्रयोग या उपभोग के कारण उत्पन्न सभी दावों का निर्वापन माना जाएगा।

118. खुदकाश्त भूमि का निर्धारण और अभिलेख।

- भूमि अभिलेख अधिकारी खुदकाशत के अंतर्गत धारित समस्त भूमि की सीमा का पता लगाएगा और उसका निर्धारण करेगा तथा उसे उसी रूप में अभिलेखित करेगा।

119. किसी गांव की आबादी का निर्धारण।

भूमि अभिलेख अधिकारी, प्रत्येक आबाद गांव के मामले में, उसके निवासियों के निवास के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए आरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र का पता लगाएगा और उसका अवधारण करेगा तथा ऐसा क्षेत्र ऐसे गांव की आबादी समझा जाएगा।

120. गांवों का रजिस्टर।

- भूमि अभिलेख अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रियाओं या अभिलेख संक्रियाओं के अधीन क्षेत्र के सभी गांवों की सूची तैयार करेगा, जिसमें निर्धारित तरीके से दर्शाया जाएगा। (ए) नदीय क्रिया के लिए उत्तरदायी क्षेत्र, (बी) अनिश्रित खेती वाला क्षेत्र, (सी) उस पर निर्धारित राजस्व या किराया तथा वह व्यक्ति जिसके माध्यम से वह देय है, और (डी) वह क्षेत्र जिसका राजस्व या किराया पूर्णतः या आंशिक रूप से जारी, प्रेषित, मोचित, समनुदेशित या संयोजित किया गया है, तथा इसके लिए प्राधिकार और उसकी शर्तें निर्दिष्ट की गई हैं।

121. खतौनी में वर्णित की जाने वाली विशिष्टियां।

(1) धारा 114 के खंड (ख) द्वारा निर्धारित भूमि पर खेती करने वाले या अन्यथा कब्जा करने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर प्रत्येक किरायेदार के लिए निम्नलिखित विवरण निर्दिष्ट करेगा, अर्थातः - (ए) राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) या सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अवधारित उसके कार्यकाल की प्रकृति और श्रेणी, (बी) खातेदारी अधिकारों के अधिग्रहण के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम की राशि, यदि कोई हो, (सी) खातेदारी पर्ची की तारीख, तथा उसके द्वारा किए गए हस्तांतरण, यदि कोई हों, तथा ऐसे हस्तांतरणों का समस्त विवरण, (डी) उसके स्वामित्व में सम्मिलित प्रत्येक दायर का खसरा नंबर और उसका क्षेत्रफल, (इ) उसके द्वारा देय वार्षिक किराया, (एफ) पट्टे की कोई अन्य शर्त चाहे लिखित पट्टे में निहित हो या नहीं, (जी) खातेदार काशतकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, वह भूमि कितने वर्षों तक उसके कब्जे में रही, तथा (एच) ऐसे अन्य विवरण जो समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे।

(2) रजिस्टर में राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) (या सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या अधिनियम) के उपबंधों के अनुसार खुदकाशत के रूप में भूमि धारण करने वाले संपदा-धारकों (यदि कोई हो) को भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा ऐसी भूमि के संबंध में यह भी बताया जाएगा कि उन्होंने कितने वर्षों तक उसे खुदकाशत के रूप में धारण किया है।

122. प्रविष्टियों का सत्यापन।

- अधिकारों के अभिलेख में सभी निर्विवाद प्रविष्टियों को हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, -

123. हटाया गया।

124. जब किराया या देय राजस्व विवादित हो तो प्रक्रिया

- देय किराया या राजस्व के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, भू-अभिलेख अधिकारी विवाद का निपटारा नहीं करेगा, बल्कि उस वर्ष के लिए देय किराया या राजस्व को, जिसमें अधिकार का अभिलेख तैयार किया गया है, अभिलेखित करेगा, जब तक कि उसे इस अधिनियम या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) के अधीन किसी डिक्री, आदेश या करार द्वारा बढ़ाया या कम नहीं किया गया हो।

125. हटाया गया।

126. विद्यमान अभिलेखों पर कार्रवाई की जाएगी।

- जब तक धारा 112 के अधीन नया मानचित्र और दायर पुस्तक तैयार नहीं कर ली जाती या धारा 114 के अधीन नया अधिकार अभिलेख तैयार नहीं कर लिया जाता, तब तक विद्यमान मानचित्र, क्षेत्र पुस्तक और अधिकार अभिलेख, यदि कोई हो, संबंधित क्षेत्र का मानचित्र, क्षेत्र पुस्तक और अधिकार अभिलेख होगा।

127. सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रियाओं के समापन पर लंबित कार्यवाहियां।

जब सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रियाएं, या, यथास्थिति, अभिलेख संक्रियाएं धारा 106 या धारा 107 के अधीन अधिसूचना द्वारा बंद कर दी जाती हैं, तब अपर भू-अभिलेख अधिकारी के समक्ष लंबित सभी आवेदन और कार्यवाही, यदि ऐसा अधिकारी स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया गया है, कलेक्टर को अंतरित कर दी जाएंगी।ई. मानचित्रों और अभिलेखों का रखरखाव

128. सीमा विवाद।

- सीमाओं से संबंधित सभी विवादों का निर्णय भूमि अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित तरीके से किया जाएगा:परन्तु खेतों की सीमाओं के सम्बन्ध में आवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा उनका निपटारा उन मामलों में किया जा सकेगा जहां ऐसी सीमाओं के सम्बन्ध में कोई विवाद विद्यमान नहीं है, किन्तु समुचित सीमा-चिह्नों के अभाव के कारण ऐसा विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना है।

129. सीमा चिह्नों के संबंध में धारकों का दायित्व

(1) गांवों, संपदाओं या खेतों के सभी धारक अपने स्वयं के खर्च पर उन पर विधिपूर्वक बनाए गए स्थायी सीमा चिह्नों का रखरखाव और मरम्मत करने के लिए बाध्य होंगे, और भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय ऐसे धारकों को आदेश दे सकेगा -(ए) ऐसे गांवों, संपदाओं या खेतों पर उचित सीमा चिह्न स्थापित करना, या (बी) उस पर विधिपूर्वक बनाए गए सभी सीमा चिह्नों की मरम्मत या नवीनीकरण ऐसे रूप और सामग्री में करना जैसा वह निर्धारित करे।

(2) यदि ऐसे आदेश का अनुपालन उसके संसूचित होने के तीस दिन के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसा अधिकारी ऐसे सीमा चिह्नों को बनवाएगा, उनकी मरम्मत करेगा या उनका नवीकरण कराएगा तथा संबंधित धारकों से उपगत व्यय को ऐसे अनुपात में वसूल करेगा, जैसा वह उचित समझे।

(3) खेतों की सीमाओं के मामलों में, जहां ऐसी सीमाओं के बारे में कोई विवाद नहीं है, उपधारा (1) और (2) के अधीन कार्रवाई तहसीलदार द्वारा उसको आवेदन किए जाने पर या अन्यथा की जा सकेगी।

130. चिह्नों को क्षति पहुंचाने या हटाने के लिए दंड।

भूमि अभिलेख अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि यदि उसे जानबूझकर सीमा चिन्ह या सर्वेक्षण चिन्ह को मिटाने, हटाने या क्षतिग्रस्त करने का दोषी पाया जाता है तो वह प्रत्येक मिटाए गए, हटाए गए या क्षतिग्रस्त किए गए चिन्ह के लिए पचास रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करे, जो उसे पुनः स्थापित करने और सूचना देने वाले को पुरस्कृत करने के लिए आवश्यक हो। जब ऐसी राशि वसूल नहीं की जा सकती है, या यदि अपराधी का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो भूमि अभिलेख अधिकारी, यथास्थिति, सीमांत गांवों, सम्पदाओं या खेतों के ऐसे भू-स्वामियों से चिन्ह को पुनः स्थापित करेगा और उसकी लागत वसूल करेगा, जैसा वह ठीक समझे।

131. मानचित्र और फील्ड बुक का रखरखाव।

सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात्, मानचित्र और फील्ड बुक को भूमि अभिलेख अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार बनाए रखा जाएगा, और वह प्रत्येक गांव या गांव के भाग, संपदा या खेत की सीमाओं में हुए सभी परिवर्तनों को प्रतिवर्ष या ऐसे दीर्घ अंतरालों पर, जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, उसमें दर्ज कराएगा और ऐसी किसी भी त्रुटि को ठीक करेगा, जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई दिखाई गई हो। एफ. वार्षिक रजिस्टर

132. वार्षिक रजिस्टर।

(1) भूमि अभिलेख अधिकारी अधिकारों का अभिलेख रखेगा और उस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष या ऐसे दीर्घ अंतरालों पर, जैसा राज्य सरकार विहित करे, धारा 114 और 120 में प्रगणित रजिस्ट्रों का, यथास्थिति, एक सेट या संशोधित सेट तैयार कराएगा और इस प्रकार तैयार किए गए रजिस्ट्रों को वार्षिक रजिस्टर कहा जाएगा।

(2) हस्त अभिलेख अधिकारी निर्धारित तरीके से वार्षिक रजिस्ट्रों में सभी परिवर्तनों को तथा किसी भी लेन-देन को, जो दर्ज किए गए अधिकारों या हितों पर प्रभाव डालता हो, दर्ज कराएगा।

133. उत्तराधिकार और कब्जे के अंतरण की रिपोर्ट।

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो उत्तराधिकार, अंतरण या अन्यथा किसी सम्पत्ति या अन्य अधिकार या किसी भूमि या उसके लाभ में हित का कब्जा प्राप्त करता है, जिसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा वार्षिक रजिस्ट्रों में दर्ज किया जाना अपेक्षित है, वह इस तथ्य को ग्राम पटवारी के ध्यान में लाएगा और उस तहसील के तहसीलदार को, जिसमें ऐसी भूमि स्थित है, या तो ग्राम पटवारी के माध्यम से निदेशक या भूमि अभिलेख निरीक्षक को, उस तारीख से तीन मास के भीतर रिपोर्ट करेगा, जिसको वह ऐसा कब्जा प्राप्त करता है।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति नाबालिग है या अन्यथा अयोग्य है, तो अभिभावक या अन्य व्यक्ति जिसके पास ऐसे व्यक्ति की संपत्ति का प्रभार है, ऐसी रिपोर्ट करेगा।

134. रिपोर्ट देने में उपेक्षा के लिए जुर्माना।

- धारा 133 द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट देने में उपेक्षा करने वाला कोई भी व्यक्ति दस रुपये से अधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

135. रिपोर्ट पर प्रक्रिया।

(1) तहसीलदार, अपने ज्ञान में अन्यथा आने वाले तथ्यों पर ऐसा रिपोर्टर प्राप्त करने पर, ऐसी जांच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो और निर्विवाद मामलों में, यदि उत्तराधिकार या अंतरण या अन्य अधिग्रहण हुआ प्रतीत होता है, तो उसे वार्षिक रजिस्ट्रों में दर्ज करेगा।

(2) यदि उत्तराधिकार या अंतरण या अन्य अर्जन के संबंध में कोई विवाद है तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून के अधीन सक्षम है, तो ऐसे विवाद का विधि के अनुसार निर्णय करेगा और यदि वह सक्षम नहीं है तो विवाद को निर्णय के लिए किसी अन्य सक्षम अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।

136. त्रुटियों का सुधार।

भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय त्रुटि को तथा अधिकारों के अभिलेख या रजिस्टर में की गई किसी त्रुटि को, जिसे हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करते हैं, या जिसे राजस्व अधिकारी किसी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करता है, विहित रीति से ठीक कर सकता है या ठीक करवा सकता है: परन्तु जब राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी अधिकार अभिलेख में कोई त्रुटि पाई जाती है तो तब तक कोई त्रुटि ठीक नहीं की जाएगी जब तक कि पक्षकारों को कारण बताओ नोटिस न दे दिया गया हो।

137. संपदा का उत्तराधिकार।

- इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी संपदा का उत्तराधिकार और अंतरण उस स्थानीय क्षेत्र के कानून, प्रथा या प्रथा के अनुसार शासित और विनियमित होगा तथा उसके अनुसार निर्धारित किया जाएगा जिसमें ऐसी संपदा स्थित है, और ऐसी कानून, प्रथा या प्रथा, धारा 263 के उपबंधों के होते हुए भी, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए लागू रहेंगे। जी. विविध

138. अभिलेखों का निरीक्षण।

निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।- इस अधिनियम के अधीन तैयार किए गए सभी मानचित्र, फील्ड बुक और रजिस्टर, ऐसे समय, ऐसे स्थानों और ऐसी शर्तों पर, जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करे, जनता के निःशुल्क निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

139. प्रविष्टियों की प्रतियां।

पटवारी, जब भी अपेक्षित हो, इस अध्याय के अधीन रखे गए रजिस्ट्रों और अभिलेखों से प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां तैयार करेगा और ऐसी प्रतिलिपि फीस का भुगतान करके जारी करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए और ऐसी प्रतियां निर्धारित तरीके से सत्यापित की जाएंगी।

140. प्रविष्टियों के संबंध में उपधारणा।

- अधिकारों के अभिलेख में की गई सभी प्रविष्टियाँ तब तक सत्य मानी जाएंगी जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए।

140ए. खुदकाशत प्रविष्टियों से संबंधित विवाद में प्रक्रिया।

(1) धारा 125 और 136 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी बीड़ या जोरे के संबंध में खुदकाशत से संबंधित अधिकारों के अभिलेख में किसी प्रविष्टि की शुद्धता या अन्यथा के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग किसी जागीरदार द्वारा घास के संरक्षण के रूप में किया जाता था और जिसे घास काटने या हटाने के बाद या पहले, किसी चराई शुल्क के साथ या

उसके बिना, चराई के लिए छोड़ दिया गया था, ऐसे विवाद का निर्णय खुदकाशत के रूप में भूमि के आवंटन और सीमांकन को विनियमित और शासित करने वाले समय में लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार खुदकाशत के रूप में भूमि के विशेष टुकड़े के कब्जे पर आधारित होगा:परन्तु यदि जागीरदार के कब्जे में खुदकाशत का कुल क्षेत्रफल राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) की धारा 180 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए विहित न्यूनतम क्षेत्रफल के दोगुने से अधिक नहीं है, तो ऐसी कोई प्रविष्टि प्रश्रुत नहीं होगी।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1959 के प्रारम्भ होने पर या उसके पूर्व अधिकारों के अभिलेख में की गई खुदकाशत से संबंधित प्रविष्टि के शुद्धिकरण के लिए उप-धारा (1) के अधीन आवेदन या कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ होने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर प्रस्तुत या प्रारम्भ की जा सकेगी, उसके पश्चात नहीं।

141. राजस्व न्यायालयों पर निर्णयों का बाध्यकारी होना।

धारा 125 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विवाद के मामलों में इस अध्याय के अधीन सभी विनिश्चय विवाद की विषय-वस्तु के संबंध में सभी राजस्व न्यायालयों पर आबद्ध कर होंगे, जब तक कि ऐसा विवाद किसी किरायेदार द्वारा देय किराए या राजस्व के संबंध में न हो।

अध्याय 7

ए-आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण

141ए. परिभाषाएँ.

- इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो (ए) "आबादी क्षेत्र" का वही अर्थ है जो धारा 103 के खंड (ख) में दिया गया है; (बी) "भूमि" का वही अर्थ है जो धारा 103 के खंड (क) में दिया गया है; (सी) "स्वामी" में शामिल हैं - (मैं) किसी भूमि या परिसर में स्थायी हित रखने वाला व्यक्ति, या (ii) ऐसे व्यक्ति का एजेंट या उसकी ओर से प्रबंधक, या (iii) ऐसे व्यक्ति का ट्रस्टी, या (चतुर्थ) कोई निगमित निकाय जिसमें कोई भूमि या परिसर कुछ समय के लिए निहित है, या (वी) किसी भूमि या परिसर का वर्तमान में अधिभोगी; (डी) "परिसर" से तात्पर्य किसी भूमि या भवन से है, जिसका इस अध्याय के अधीन तैयार किए गए किसी अभिलेख में या किसी अन्य पूर्व विद्यमान अभिलेख में इस प्रकार वर्णन किया गया है; तथा (इ) "सर्वेक्षण" में सीमाओं की पहचान तथा सर्वेक्षण से पूर्व या उससे संबंधित सभी अन्य कार्य शामिल हैं।

141बी. सर्वेक्षण का आदेश देने की शक्ति।

सर्वेक्षण का कार्य-

(1) राज्य सरकार, जब कभी वह ठीक समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आदेश दे सकेगी कि राज्य के भीतर किसी आबादी क्षेत्र या ऐसे आबादी क्षेत्र के किसी भाग का सर्वेक्षण किया जाएगा और तदुपरि ऐसा प्रत्येक आबादी क्षेत्र या उसका भाग सर्वेक्षण के अधीन समझा जाएगा।

(2) राज्य सरकार उसी अधिसूचना या पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसे आबादी क्षेत्र या उसके किसी भाग पर अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी इस प्रकार आदेशित सर्वेक्षण का प्रभारी होगा।

(3) ऐसे सर्वेक्षण का भारसाधक स्थानीय प्राधिकारी, उसके संबंध में, इस अध्याय के अधीन या अन्यथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) जहां किसी स्थानीय प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन आदेशित किसी सर्वेक्षण का प्रभारी होने का निर्देश नहीं दिया गया है, वहां जिले का कलेक्टर ऐसे सर्वेक्षण का प्रभारी होगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन आदेशित सर्वेक्षण, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अपर भूमि अभिलेख अधिकारी से नीचे की पंक्ति के अधिकारी द्वारा विहित रीति से किया जाएगा और ऐसे अधिकारी को इसमें इसके पश्चात् सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी कहा जाएगा।

(6) राज्य सरकार, सर्वेक्षण करने के लिए उपधारा (5) के अधीन नियुक्त अधिकारी की सहायता के लिए उतने सहायक अभिलेख अधिकारी तथा अन्य अधिकारी और सेवक नियुक्त कर सकेगी, जितने वह आवश्यक समझे।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या सेवक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं या सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा उसे सौंपे जाएं।

141सी. भूमि पर प्रवेश

सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी को, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, स्वयं या सर्वेक्षण में नियोजित अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा, सर्वेक्षण के अधीन अदादी क्षेत्र या उसके किसी भाग के भीतर किसी भूमि या परिसर में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच प्रवेश करने की शक्ति होगी, तथा ऐसे प्रवेश के कारण या इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में ऐसी भूमि या परिसर पर की गई किसी बात के कारण उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी :परन्तु किसी भूमि या परिसर पर, जो उस समय अधिभोग में हो, ऐसा प्रवेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके अधिभोगी की सहमति न हो, या उक्त अधिभोगी को ऐसा करने के आशय की चौबीस घंटे पूर्व सूचना न दी गई हो।

141डी. सर्वेक्षण की सूचना पहले दी जा सकती है।

सर्वेक्षण के प्रयोजनों के लिए किसी भूमि या परिसर में प्रवेश करने से पहले, सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी, सर्वेक्षण की जाने वाली भूमि या परिसर के स्वामी और सीमांत भूमि या परिसर के स्वामियों पर अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना तामील करवा सकेगा, जिसमें उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वे ऐसी भूमि या परिसर पर उसके समक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष विनिर्दिष्ट मद के भीतर (जो ऐसी सूचना की तामील के पश्चात् तीन दिन से कम नहीं होगी) सीमाओं को इंगित करने और इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए आवश्यक जानकारी देने के प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित हों, और प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर ऐसी सूचना तामील की जा सके, सूचना द्वारा अपेक्षित रूप से उपस्थित होने और जहां तक वह देने में समर्थ हो, अपेक्षित कोई जानकारी देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा।

141ई. धारा 14-डी के तहत नोटिस की तामील के बाद सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा सकती है

धारा 141-घ के अधीन जारी नोटिस की सम्यक् तामील के पश्चात् -(मैं) सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या सेवक सर्वेक्षण कर सकता है, चाहे वे व्यक्ति, जिनको ऐसी सूचना दी गई है, उपस्थित हों या नहीं, और (ii) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपस्थित होने में असफल रहता है या उपस्थित नहीं होता है, सर्वेक्षण के परिणामों से उसी प्रकार और उसी सीमा तक आबद्ध होगा, मानो सर्वेक्षण उसकी उपस्थिति में किया गया हो।

141एफ. सर्वेक्षण मानचित्र और रजिस्टर।

- (ठ) सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी सर्वेक्षण के अंतर्गत आबादी क्षेत्र या उसके किसी भाग का मानचित्र तैयार करेगा।

(2) ऐसे आबादी क्षेत्र या उसके भाग में स्थित भूमि और परिसर को मानचित्र पर निर्धारित तरीके से अलग से दर्शाया जाएगा।

(3) मानचित्र पर अलग से दर्शाए गए प्रत्येक भूमि के टुकड़े और प्रत्येक परिसर को एक सांकेतिक सर्वेक्षण संख्या प्रदान की जाएगी।

(4) सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी सर्वेक्षण के अंतर्गत आबादी क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए सर्वेक्षण की गई सभी भूमियों और परिसरों का एक रजिस्टर भी तैयार करेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन तैयार किया गया रजिस्टर, उपधारा (3) के अधीन निर्दिष्ट प्रत्येक सांकेतिक सर्वेक्षण संख्या के संबंध में, सर्वेक्षण के समय उसके स्वामी प्रतीत होने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम और ऐसी अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करेगा, जो विहित की जाएं।

141छ. सीमा चिह्नों का निर्माण।

सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी किसी भी समय किसी भूमि पर, जिसका इस अध्याय के अधीन सर्वेक्षण किया जाना है या किया जा चुका है, ऐसी सामग्री के अस्थायी या स्थायी सीमा चिह्न, ऐसी संख्या में और ऐसी रीति से बनवा सकेगा, जिन्हें वह सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझे: बशर्ते कि कोई स्थायी सीमा चिह्न नहीं बनाया जाएगा जिसकी सीमा किसी स्थायी भवन, दीवार या बाड़ द्वारा परिभाषित हो।

141एच. अस्थायी सीमा चिह्नों का रखरखाव।

(1) जब धारा 141-जी के अधीन कोई अस्थायी सीमा चिह्न स्थापित किया गया हो, तो सर्वेक्षण करने वाला कार्यालय उस भूमि या परिसर के स्वामी पर, जिस पर या जिसके निकट ऐसी सीमा स्थित है, अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना तामील करवा सकेगा, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सर्वेक्षण पूरा होने तक ऐसे सीमा चिह्न को बनाए रखे और उसकी मरम्मत करे।

(2) यदि ऐसा स्वामी ऐसी सूचना का अनुपालन नहीं करता है, तो सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी सीमा चिह्न की मरम्मत नहीं कर सकेगा और ऐसा करने में किया गया व्यय ऐसे स्वामी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

141इ. सीमाओं से संबंधित विवाद।

(1) यदि इस अध्याय के अधीन सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण की जाने वाली किसी भूमि या परिसर की सीमाओं के संबंध में कोई विवाद विद्यमान पाया जाता है तो ऐसे विवाद का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए इस निमित्त प्राधिकृत सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

(2) ऐसा सहायक अभिलेख अधिकारी संबंधित पक्षों को अपने हस्ताक्षर सहित लिखित नोटिस तामील कराएगा जिसमें उनसे निर्दिष्ट दिन को व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उसके समक्ष उपस्थित होने तथा विवादित भूमि या परिसर पर कब्जे का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा।

(3) विनिर्दिष्ट दिन या ऐसे अन्य दिन, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जा सके, सहायक अभिलेख अधिकारी पक्षकारों को सुनेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को क्रमशः प्राप्त करेगा, ऐसे साक्ष्य के प्रभाव पर विचार करेगा, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य लेगा जैसा वह आवश्यक समझे, तथा विवादित भूमि या परिसर पर कब्जे के अधिकार के लिए ऐसे पक्षों में से किसी के दावे के गुण-दोष पर ध्यान दिए बिना, यह विनिश्चय करेगा कि सर्वेक्षण के समय उक्त भूमि या परिसर पर किस पक्षकार का कब्जा है।

(4) उपर्युक्त जांच के प्रयोजनों के लिए सहायक अभिलेख अधिकारी को साक्षियों को बुलाने, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की शक्ति होगी, उसी तरीके से तथा उसी तरीके से जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम V, 1908) के अन्तर्गत न्यायालय के मामले में उपबन्धित है।

(5) जांच पूरी हो जाने के बाद सहायक अभिलेख अधिकारी लिखित में आदेश पारित करेगा जिसमें विवाद का विषय स्पष्ट रूप से परिभाषित होगा तथा उस पर अपना निर्णय और ऐसे निर्णय के कारण दर्ज किए जाएंगे।

141जे. कलेक्टर को अपील

अपील - सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 141-1 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील कलेक्टर को की जा सकेगी तथा ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील की जा सकेगी।

141ट. मध्यस्थता को संदर्भित करने की शक्ति।

(1) विवादित सीमाओं के प्रत्येक मामले में जांच करने के लिए प्राधिकृत सहायक अभिलेख अधिकारी, पक्षकारों के लिखित आवेदन पर, विवाद को पक्षकारों द्वारा नामित एक या अधिक मध्यस्थों को संदर्भित कर सकेगा, और ऐसा समय नियत करेगा तथा समय में ऐसा विस्तार देगा, जो पंचाट देने के लिए उचित प्रतीत हो: परन्तु यदि सहायक अभिलेख अधिकारी को यह प्रतीत हो कि राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण ऐसे किसी विवाद में हितबद्ध है तो वह ऐसा संदर्भ देने से इंकार कर देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक निर्देश और उसके अधीन नामित प्रत्येक मध्यस्थ को, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, लागू होंगे।

141एल. सर्वेक्षण से संबंधित दस्तावेजों का सर्वेक्षण के भारसाधक अधिकारी या प्राधिकारी को भेजा जाना।

सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी ऐसे सर्वेक्षण से संबंधित सभी मानचित्र, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज उसके भारसाधक अधिकारी या प्राधिकारी को भेजेगा।

(2) ऐसे मानचित्रों, रजिस्ट्रों और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति के तथ्य को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और सर्वेक्षण में रुचि रखने वाला कोई भी

व्यक्ति ऐसी अधिसूचना की तारीख से दो महीने के भीतर किसी भी समय ऐसे मानचित्रों, रजिस्ट्रों और अन्य दस्तावेजों का निःशुल्क निरीक्षण कर सकता है।

(3) यदि ऐसी अवधि के दौरान सर्वेक्षण के संबंध में कोई आक्षेप सर्वेक्षण के भारसाधक अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे आक्षेप का निर्णय ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे राज्य सरकार या जहां कोई स्थानीय प्राधिकारी सर्वेक्षण का भारसाधक है, वहां ऐसा स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार के अनुमोदन से, इस निमित्त नियुक्त करे।

(4) उपधारा (3) के अधीन दर्ज सभी आपत्तियों का विनिश्चय हो जाने के पश्चात् सर्वेक्षण का भारसाधक अधिकारी या प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, सर्वेक्षण से संबंधित मानचित्रों, रजिस्ट्रों और अन्य दस्तावेजों को ऐसे विनिश्चय के अनुसार ठीक कराएगा और सर्वेक्षण के अनुमोदन के लिए सभी कागजात अपनी सिफारिश के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि राज्य सरकार सर्वेक्षण को मंजूरी देती है तो ऐसे अनुमोदन को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

141एम. मानचित्रों और रजिस्ट्रों का रखरखाव।

सर्वेक्षण से संबंधित सभी मानचित्र, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज, जो धारा 141-एल की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हों, सर्वेक्षण के भारसाधक अधिकारी या प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएंगे।

(2) ऐसे सभी मानचित्र, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से बनाए रखे जाएंगे।

(3) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे मानचित्रों का पुनरीक्षण कराएगा और ऐसे रजिस्ट्रों की प्रविष्टियों को विहित रीति से और विहित अंतरालों पर ऐसे अधिकारी द्वारा ठीक कराएगा, जिसे इस निमित्त नियुक्त किया जाए या राज्य सरकार के अनुमोदन से नियुक्त किया जाए: परन्तु किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे पुनरीक्षण या सुधार के प्रयोजनों के लिए ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को किसी भूमि या परिसर में अपने किसी हित के अर्जन की सूचना दे।

(4) किसी मानचित्र को संशोधित करने या किसी रजिस्टर में प्रविष्टियों को सही करने के प्रयोजन के लिए उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाएं।

141एन. सर्वेक्षण शुल्क.

सर्वेक्षण फीस का भुगतान-(1) इस अध्याय के अधीन सर्वेक्षण की गई किसी भूमि या परिसर का स्वामी सर्वेक्षण के भारसाधक अधिकारी या प्राधिकारी को सर्वेक्षण फीस ऐसी दर से, ऐसी रीति से, सर्वेक्षण के पूरा होने के पश्चात् ऐसे समय के भीतर और ऐसी सीमा तक करने के लिए दायी होगा जैसा कि राज्य सरकार विहित करे और इस प्रकार न दी गई कोई सर्वेक्षण फीस भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी: उसे उपलब्ध कराया -(ए) (ए)सर्वेक्षण के अंतर्गत आदाबी क्षेत्र या उसके किसी भाग में भूमि और परिसर के मालिकों से वसूल किए जाने वाले सर्वेक्षण शुल्क की कुल राशि सर्वेक्षण की कुल लागत के $\frac{1}{3}$ से अधिक नहीं होगी, और (बी) कोई सर्वेक्षण शुल्क देय नहीं होगा -(मैं) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, या (ii) आबादी क्षेत्र या उसके सर्वेक्षणाधीन भाग में किसी भूमि या परिसर के संबंध में, जिसका

क्षेत्रफल या मूल्य ऐसी सीमाओं से अधिक हो, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, या(iii)केवल धार्मिक पूजा या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए रखी गई भूमि या परिसर के संबंध में।

(2)भूमि या परिसर का प्रत्येक स्वामी, जिसने इस धारा के अधीन सर्वेक्षण फीस का भुगतान कर दिया है, निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा और भूमि या परिसर का प्रत्येक स्वामी, जो ऐसी सर्वेक्षण फीस का भुगतान करने के लिए दायी नहीं है, ऐसे प्रभारों का भुगतान करने पर, जो विहित किए जाएं, मानचित्र से प्रमाणित उद्धरण और मानचित्र से प्रमाणित उद्धरण और इस अध्याय के अधीन तैयार किए गए रजिस्टर से प्रमाणित उद्धरण, जहां तक उनका संबंध ऐसी भूमि या परिसर से है, प्राप्त करने का हकदार होगा।

141O. सर्वेक्षण की लागत.

- धारा 141-एन में निहित प्रावधानों के अधीन, इस अध्याय के तहत किए गए प्रत्येक सर्वेक्षण की लागत को पूरा किया जाएगा -(मैं)यदि कोई स्थानीय प्राधिकारी ऐसे सर्वेक्षण का प्रभारी है, तो ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, और(ii)अन्य मामलों में राज्य सरकार द्वारा :बशर्ते कि खंड (i) के अंतर्गत आने वाले मामले में राज्य सरकार सहमत हो सकती है-(ए)राज्य की संचित निधि में से ऐसी लागत का एक भाग चुकाना, या(बी)किसी स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी लागत को पूरा करने के लिए ब्याज दर, चुकौती की अवधि, सुरक्षा और इसी प्रकार की शर्तों पर ऋण देना, जैसा कि परस्पर सहमति से तय किया जा सकता है।

141पी. नोटिस में अपेक्षित अनुपालन न करने पर जुर्माना।

जो कोई इस अध्याय के अधीन जारी की गई और सम्यक् रूप से तामील की गई किसी सूचना में अंतर्विष्ट अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहेगा, वह एक सौ रुपए से अधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

141Q. मानचित्रों, रजिस्ट्रों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण और उनके अंशों की प्रतिलिपियाँ लेना।

(1)धारा 141-एम की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी मानचित्र, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज, ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर, ऐसे स्थानों पर, ऐसी शर्तों के अधीन तथा ऐसी फीस के भुगतान पर, जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करे, सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(2)ऐसे मानचित्रों, रजिस्ट्रों और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उनके उद्धरण, प्रतिलिपि शुल्क के भुगतान पर तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से प्रदान किए जाएंगे।

141आर. नियम.

नियम बनाने की शक्ति-राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हों-(मैं)सर्वेक्षण के अधीन आबादी क्षेत्र के भीतर किसी भूमि या परिसर के संबंध में मानचित्रों और रजिस्ट्रों की तैयारी, उनके प्रारूप, तथा सूचना का संग्रह और अभिलेखन,(ii)इस अध्याय के अधीन की जाने वाली सभी कार्यवाहियों के विनियमन के लिए,(iii)इसके अंतर्गत की जाने वाली सभी जांचों के तरीके के लिए,(चतुर्थ)उन सभी विषयों के विनियमन के लिए जिन्हें इस अध्याय के अंतर्गत विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जा सकता है, और(वी)सामान्यतः इसके अधीन किए जाने वाले सभी कार्यों के समुचित निष्पादन तथा इसके प्रयोजनों और उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए।

141एस. कार्यवाही का अनौपचारिकता से प्रभावित न होना।

इस अध्याय के अधीन कोई कार्यवाही किसी अनौपचारिकता के कारण प्रभावित नहीं होगी, बशर्ते कि उसके उपबंधों का सारतः और प्रभाव से अनुपालन किया जाए और इस अध्याय के अधीन कोई कार्यवाही इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन जारी और तामील की जाने वाली अपेक्षित किसी सूचना का सर्वेक्षण करने में चूक के कारण प्रभावित नहीं होगी।

141न. मानचित्रों और रजिस्ट्रों की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा।

इस अध्याय के अधीन तैयार किए गए सभी मानचित्र और रजिस्ट्रों में की गई सभी प्रविष्टियाँ सही मानी जाएंगी जब तक कि विपरीत साबित न कर दिया जाए: बशर्ते कि ऐसा कोई मानचित्र या प्रविष्टि किसी व्यक्ति के किसी भूमि या परिसर पर अधिकार, हक या हित को प्रभावित नहीं करेगी या उसे कानून के अनुसार सक्षम न्यायालय में ऐसे अधिकार, हक या हित को लागू करने से नहीं रोकेगी।

अध्याय 8 निपटान संचालन

ए. सामान्य

142. व्यवस्थापन या पुनः व्यवस्थापन।

1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र को, यथास्थिति, बन्दोबस्त या पुनः बन्दोबस्त के अन्तर्गत लाने का आदेश दे सकेगी।

(2) प्रत्येक ऐसा जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से बन्दोबस्त संक्रियाओं के अधीन माना जाएगा, तथा ऐसी संक्रियाओं को उसमें बंद घोषित करने वाली अन्य अधिसूचना जारी होने तक बन्दोबस्त संक्रियाओं के अधीन माना जाएगा।

143. पुनः निपटान के संभावित परिणाम।

जब वह अवधि, जिसके लिए किसी जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र का भू-राजस्व बंदोबस्त किया गया है, समाप्त होने वाली हो, तो राज्य सरकार धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने से पूर्व पुनः बंदोबस्त के संभावित परिणामों का पूर्वानुमान तैयार करवा सकेगी।

144. विचार-विमर्श जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या पुनः व्यवस्थापन किया जाएगा।

- किसी जिले या किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र को पुनर्वास के अंतर्गत लाया जाए या नहीं, इसका निर्णय करते समय राज्य सरकार निम्नलिखित बातों पर विचार करेगी, -

(1) क्या राजस्व में उचित वृद्धि या कमी होने की संभावना है;

(2) यदि ऐसी वृद्धि की संभावना है तो क्या पुनर्वास को स्थगित करने के लिए संतोषजनक कारण हैं;

(3) क्या मौजूदा मूल्यांकन असमान हो गया है या अनुचित रूप से गंभीर है या क्या पुनर्वास के कार्य पर राजस्व में उचित वृद्धि की संभावना के बिना प्रवेश करने के लिए अन्य पर्याप्त कारण मौजूद हैं: परन्तु राजस्व में ऐसी वृद्धि, जो दस वर्षों में पुनर्वास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कर देगी, सामान्यतः युक्तियुक्त समझी जाएगी।

145. निपटान अधिकारी।

- राज्य सरकार, धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करके,-

(1) धारा 142 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कार्यों के प्रभारी के रूप में एक बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जब तक कि ऐसे संचालन के तहत जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र में एक स्थायी बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया हो, और

(2) सरकार आवश्यकतानुसार उतने सहायक बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

146. भू-अभिलेख अधिकारी के कर्तव्यों का बंदोबस्त अधिकारियों को हस्तांतरण।

जब कोई जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र बंदोबस्त प्रचालनों के अधीन हो, तो मानचित्रों और क्षेत्र पुस्तकों के रखरखाव तथा वार्षिक रजिस्टर तैयार करने का कर्तव्य राज्य सरकार के आदेश के अधीन भूमि अभिलेख अधिकारी से बंदोबस्त अधिकारी को हस्तांतरित किया जा सकेगा, जो तत्पश्चात् अध्याय VII द्वारा भूमि अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

147. नियम.

- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बंदोबस्त कार्यों में बंदोबस्त अधिकारी की प्रक्रिया के लिए नियम बना सकेगी। बी. किराया दरें

148. आर्थिक सर्वेक्षण।

जब किसी जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र को बंदोबस्त कार्यवाहियों के अंतर्गत लाया गया हो, तो बंदोबस्त अधिकारी ऐसे जिले या क्षेत्र में काश्तकारों की स्थिति का आर्थिक सर्वेक्षण करेगा और ऐसा करते समय निम्नलिखित मामलों पर विशेष रूप से ध्यान देगा, अर्थात्: (ए) जिला या क्षेत्र किस सीमा तक सिंचाई द्वारा संरक्षित है, तथा पिछली बंदोबस्त के बाद से सिंचाई सुविधाओं में यदि कोई वृद्धि हुई है, यदि कोई हुई है; (बी) खेती का स्तर; तथा पिछली बस्ती के बाद से खेती योग्य क्षेत्र में वृद्धि या कमी, यदि कोई हो; (सी) खेती का खर्च और किसान को अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण पर होने वाला खर्च; (डी) बस्ती के अंतर्गत जिले या क्षेत्र में या उसके आसपास बाजारों का अस्तित्व; (इ) अंतिम समझौते के बाद से संचार के साधन और सुधार, यदि कोई हो; (एफ) जोत का आकार; (जी) किरायेदारों के बीच ऋणग्रस्तता की सीमा और ऋण सुविधाएं।

149. मूल्यांकन मंडलियों या समूहों का गठन।

(1) धारा 148 में निर्दिष्ट आर्थिक सर्वेक्षण के पूरा होने के साथ ही या उसके तुरंत बाद, बंदोबस्त अधिकारी बंदोबस्त परिचालनों के अंतर्गत जिले या क्षेत्र में मूल्यांकन सर्किल या मूल्यांकन समूह का गठन करेगा।

(2) मूल्यांकन सर्किल या मूल्यांकन समूह बनाने में, निपटान अधिकारी धारा 148 में निर्दिष्ट मामलों और निम्नलिखित अन्य मामलों के संबंध में एकरूपता को ध्यान में रखेगा, अर्थात्: - (ए) भौतिक विन्यास; (बी) जलवायु और वर्षा; (सी) जनसंख्या और श्रम की उपलब्धता; (डी) कृषि संसाधन; (इ) उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों की प्रकृति, उनकी उत्पादन मात्रा तथा बाजार में प्रचलित कीमतें; (एफ) जोत के लिए भुगतान की जाने वाली दरें; तथा (जी) पिछले निपटान के दौरान गठित मूल्यांकन मंडल या मूल्यांकन समूह, यदि कोई हो।

150. मृदा वर्गीकरण।

- बंदोबस्त अधिकारी धारा 149 के अधीन गठित प्रत्येक कर निर्धारण सर्किल या कर निर्धारण समूह में गांवों को उस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित करेगा।

151. किराया दरों का विकास।

- तत्पश्चात् बंदोबस्त अधिकारी प्रत्येक मूल्यांकन सर्किल या मूल्यांकन समूह में, जैसा भी मामला हो, मिट्टी के प्रत्येक वर्ग के लिए उपयुक्त किराया-दरें विकसित करेगा।

152. किराया-दर का आधार।

- (1) धारा 151 के अधीन उचित और न्यायसंगत किराया-दर निर्धारित करने की दृष्टि से बंदोबस्त अधिकारी निम्नलिखित बातों पर ध्यान देगा -(ए)बंदोबस्त से पहले के बीस वर्षों के दौरान किराए और किराए की प्रकृति के उपकरणों से संग्रह, ऐसे वर्षों को छोड़कर जिन्हें राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा असामान्य घोषित कर सकती है;(बी)बंदोबस्त से पहले के बीस वर्षों के दौरान प्रचलित कृषि उपज की कीमतों का औसत, ऐसे वर्षों को छोड़कर जिन्हें राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा असामान्य घोषित कर सकती है;(सी)उगाई जाने वाली फसलों की प्रकृति और उपज की औसत मात्रा;(डी)खंड (ख) में निर्दिष्ट औसत मूल्य पर ऐसी उपज का मूल्य;(इ)खेती का खर्च और किसान को अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण पर होने वाला खर्च;(एफ)प्रत्येक जोत से प्रत्येक वर्ष परती रखा गया भूमि क्षेत्र, उसका चक्रण और विश्राम की अवधि;(जी)छूट, निलंबन और लघु संग्रह की आवृत्ति;(एच)अंतिम बंदोबस्त की लगान दरें, यदि कोई हों; तथा उत्पादन का हिस्सा और विनिमय मूल्य जिस पर ऐसी दरें विकसित की गई थीं; तथा(मै)समीपवर्ती क्षेत्रों में समान श्रेणी की मिट्टी के लिए स्वीकृत किराया दरें, यदि कोई हों।

(2)बंदोबस्त अधिकारी द्वारा विकसित की जाने वाली किराया दरें उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट उपज के मूल्य के छठे भाग से अनधिक ऐसे हिस्से का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो उन क्षेत्रों में प्रचलित हो जिनसे ऐसी किराया दरें संबंधित होंगी।

153. दरों में संशोधन।

- बंदोबस्त अधिकारी प्रत्येक गांव के लिए यह भी रिकार्ड करेगा कि क्या उसके द्वारा विकसित लगान दरें बिना संशोधन के लागू हैं या किस सीमा तक उनमें पूरे गांव के लिए या किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या उसमें निर्दिष्ट मृदा वर्ग के लिए संशोधन की आवश्यकता है।

154. अवधारित और अभिलिखित किये जाने वाले विषय।

- बंदोबस्त अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित का निर्धारण और अभिलेखन करेगा -(ए)किराया एक किस्त में देय होगा या अधिक किस्तों में,(बी)यदि किराया एक से अधिक किस्तों में देय हो, - (मै)ऐसी किस्तों की संख्या, और(ii)प्रत्येक किस्त में देय अनुपात,(सी)किराए के भुगतान की तारीख या किराए की प्रत्येक किस्त, जैसा भी मामला हो, और(डी)कोई अन्य विषय जिसे अवधारित करने और अभिलेखबद्ध करने के लिए उसे ऐसे नियमों द्वारा निर्देशित किया जाए।

155. प्रस्तावों का प्रकाशन एवं प्रस्तुतीकरण।

(1)जब धारा 152 और 153 के अनुसार किराया दरें विकसित कर दी गई हों, तो बंदोबस्त अधिकारी उसके संबंध में अपने प्रस्ताव, उसके द्वारा विकसित किराया दरों के आधार सहित, ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा, जैसा कि विहित किया जा सके।

(2) इसके बाद निपटान अधिकारी निर्धारित तरीके से एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा जिसमें उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित प्रस्तावों पर ऐसी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्धारित समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो निपटान अधिकारी उन पर विचार करेगा और अपने प्रस्तावों को ऐसी रीति से संशोधित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(4) इसके बाद निपटान अधिकारी प्रस्तावों को, प्राप्त आपत्तियों और उन पर पारित आदेशों सहित निपटान आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।

156. प्रस्तावों की मंजूरी।

(1) निपटान आयुक्त धारा 155 के अधीन प्राप्त प्रस्तावों की जांच करेगा तथा उनमें निहित किसी भी विषय में ऐसी जांच करेगा, जिसे वह आवश्यक समझे।

(2) इसके बाद वह बोर्ड को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, साथ ही उससे संबंधित अपनी टिप्पणियां और सिफारिशें भी प्रस्तुत करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव प्राप्त होने पर बोर्ड उसमें अंतर्विष्ट किसी भी विषय में आगे जांच का निर्देश दे सकेगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसी आगे की जांच, यदि कोई हो, किए जाने या किए जाने के पश्चात् बोर्ड, राज्य सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तावों को या तो बिना किसी संशोधन के या प्रस्तावित कर निर्धारण सर्किलों या कर निर्धारण समूहों, मृदा वर्गों और लगान दरों में ऐसे संशोधनों के साथ प्रस्तुत करेगा, जैसा वह, कारणों को लेखबद्ध करके, आवश्यक समझे।

(5) राज्य सरकार -(i) बोर्ड द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों को मंजूरी देना, या (ii) ऐसी अतिरिक्त जांच करने का निर्देश दे सकता है जिसे वह आवश्यक समझे, या (iii) बोर्ड को पुनर्विचार हेतु प्रस्ताव लौटाना, या (चतुर्थ) प्रस्तावों को ऐसे संशोधनों के साथ स्वीकृत कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे; और इस प्रकार स्वीकृत किराया-दर ही स्वीकृत किराया-दर होगी। सी. किराए का निर्धारण

157. किराये का निर्धारण।

- स्वीकृत किराया दरों के आधार पर, बंदोबस्त अधिकारी, बंदोबस्त परिचालन के अंतर्गत जिले या क्षेत्र में प्रत्येक जोत के लिए, विद्यमान किराए में कमी, वृद्धि, रूपान्तरण या अन्यथा के रूप में देय किराए का आकलन करने की कार्यवाही करेगा।

158. भूमि को कर निर्धारण से बाहर रखा जाना।

- निपटान अधिकारी निम्नलिखित प्रकार की सभी भूमि को मूल्यांकन से बाहर कर देगा, अर्थात्: -(i) भवनों एवं उनके सहायक उपकरणों द्वारा अधिगृहित भूमि; (ii) स्थायी थ्रेसिंग फ्लोर; (iii) कब्रिस्तान, श्मशान घाट और खेल के मैदान; (चतुर्थ) स्थायी सड़कें और रास्ते; और (v) कृषि योग्य भूमि नहीं है।

159. सुधार के लिए भत्ता।

- जहां किसी जोत में या उसके संबंध में किसी काश्तकार द्वारा या उसके खर्च पर विधिपूर्वक कोई सुधार किया गया है, वहां बंदोबस्त अधिकारी धारा 157 के अधीन उसके लिए इस प्रकार किराया निर्धारित करेगा जिससे ऐसे काश्तकार को ऐसे सुधार से उत्पन्न होने वाले पूर्ण लाभों का

उपभोग कुल मिलाकर बीस वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित हो सके, जो सुधार पूरा होने की तारीख से प्रारंभ होगी, और काश्तकार ऐसी अवधि के दौरान ऐसे सुधार से उत्पन्न होने वाली बढ़ी हुई उपज या अन्यथा के लिए किराए में किसी वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

160. किराया निर्धारण करते समय विद्यमान किराये को ध्यान में रखा जाएगा।

धारा 157 के अधीन किसी जोत के निर्धारणीय क्षेत्र के लिए किराया निर्धारित करते समय, बंदोबस्त अधिकारी वास्तव में दिए जा रहे किराए को भी ध्यान में रखेगा तथा ऐसे विद्यमान किराए और समुचित स्वीकृत किराया-दर पर जोत के मूल्यांकन के बीच के अंतर को भी ध्यान में रखेगा।

161. वृद्धि की सीमाएं.

जहां धारा 157 के अधीन निर्धारित किसी जोत का किराया उसके विद्यमान किराए से अधिक है, वहां ऐसे विद्यमान किराए में एक चौथाई से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी, बशर्ते कि इस प्रकार निर्धारित किराया किसी भी दशा में समुचित स्वीकृत किराया-दरों पर जोत के मूल्यांकन के तीन-चौथाई से कम नहीं होगा।

162. प्रगतिशील वृद्धि.

- जहां धारा 157 के साथ धारा 161 के अधीन निर्धारित किसी जोत का किराया उसके विद्यमान किराए के एक-चौथाई से अधिक है और समुचित स्वीकृत किराया-दरों पर उसके मूल्यांकन के तीन-चौथाई से अधिक है, वहां ऐसी अधिक राशि को तीन वर्षों से अनधिक की संख्या में वार्षिक वेतन वृद्धि द्वारा प्रभावी करने का आदेश दिया जाएगा और इस प्रकार निर्धारित पूरा किराया ऐसी वर्षों की संख्या की समाप्ति पर देय हो जाएगा।

163. चाही जोतों के मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त प्रावधान।

(1) धारा 159 से 162 में विनिर्दिष्ट तरीके से चाही (सुसिंचित) जोत के करयोग्य क्षेत्र के लिए धारा 157 के अधीन लगान का निर्धारण करते समय, प्रत्येक वर्ष चाही के रूप में खेती की जाने वाली, शुष्क के रूप में खेती की जाने वाली और परती रखी जाने वाली जोत के क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा और ऐसा लगान, पिछले पांच वर्षों के दौरान चाही, शुष्क के रूप में खेती की जाने वाली और परती रखी जाने वाली जोत के क्षेत्रों के औसत के संबंध में गणना किए गए लगान का योग होगा, जो क्रमशः चाही, शुष्क और परती भूमि के लिए उचित स्वीकृत लगान-दरों पर होगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात उन मामलों में लागू नहीं होगी जिनमें किसी जोत का क्षेत्र जानबूझ कर परती रखा गया है या उस पर शुष्क के रूप में खेती की गई है ताकि उसका उचित मूल्यांकन न किया जा सके और ऐसा क्षेत्र मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए चाही के रूप में खेती किया गया समझा जाएगा।

164. पर्चों की तैयारी एवं वितरण।

(1) जब किराये का मूल्यांकन पूर्व में दिए गए अनुसार कर दिया गया हो, तो बंदोबस्त अधिकारी बंदोबस्त प्रक्रिया के अंतर्गत जिले या अन्य क्षेत्र में सभी जोतों के लिए मूल्यांकन पर्चा तैयार करवाएगा।

(2) किसी जोत के लिए मूल्यांकन पर्ची में अलग से दर्शाया जाएगा: (ए) ऐसी होल्डिंग की अवधि, (बी) प्रत्येक खेत का खसरा नंबर और उसका क्षेत्रफल, (सी) जोत में शामिल प्रत्येक खेत

की मिट्टी की श्रेणी, (डी) प्रत्येक ऐसी मिट्टी श्रेणी के लिए स्वीकृत किराया दर, (इ) धारा 157 के अधीन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसी जोत में प्रत्येक मृदा वर्ग के संबंध में निर्धारित किराया, (एफ) सुधार, यदि कोई हो, जिसके लिए धारा 159 के अधीन भत्ता दिया गया है, और (जी) प्रत्येक होल्टिंग के लिए निर्धारित किराये की कुल राशि, साथ ही धारा 161 और 162 के तहत किए गए किसी भी समायोजन या आदेश।

(3) इस प्रकार तैयार किया गया प्रत्येक पर्चा संबंधित काश्तकार को सौंप दिया जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित भू-स्वामी को, यदि कोई हो, निर्धारित तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) जब सभी मूल्यांकन पर्चों का वितरण उपधारा (3) के अधीन निर्धारित तरीके से कर दिया गया हो, तो बंदोबस्त अधिकारी एक उद्घोषणा जारी करेगा जिसमें उस पर आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाएंगी।

165. वस्तु किराये की वसूली पर अंतरिम रोक।

(1) यदि कृषि वर्ष के प्रारंभ के पश्चात् किसी भी समय, जिसके दौरान किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में धारा 164 की उपधारा (3) के अधीन कर निर्धारण पर्चा वितरित किया जाना संभावित है, बंदोबस्त अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे जिले या क्षेत्र में भू-स्वामियों और काश्तकारों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, वहां वस्तु रूप में लगान की वसूली रोकना समीचीन है, तो वह इस संबंध में राज्य सरकार को सिफारिश कर सकेगा।

(2) निपटान आयुक्त, निपटान अधिकारी की सिफारिश को ऐसी टिप्पणियों के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिन्हें वह उचित समझे।

(3) राज्य सरकार सिफारिश को स्वीकार कर सकेगी या उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह उचित समझे।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में वस्तु के रूप में लगान की वसूली रोकने संबंधी राज्य सरकार का आदेश निर्धारित तरीके से प्रकाशित किया जाएगा और इसमें निर्देश दिया जाएगा कि- (ए) ऐसे जिले या क्षेत्र में कोई भी भू-धारक उस कृषि वर्ष के प्रारंभ से, जिसके दौरान आदेश दिया गया है, वस्तु के रूप में किराया वसूल नहीं करेगा, तथा (बी) धारा 166 के अधीन नकद लगान का निर्धारण लंबित रहने तक, ऐसे जिले या स्थानीय क्षेत्र में कोई भू-धारक, वस्तु के रूप में लगान के बदले में प्रत्येक जोत के लिए ऐसा नकद लगान वसूल कर सकेगा, जो कर निर्धारण पर्ची में उसके लिए निर्धारित कुल लगान के रूप में उल्लिखित हो: परन्तु इस प्रकार वसूल किया गया नकद किराया धारा 166 के अधीन अन्तिम रूप से अवधारित किराए के अनुसार समायोजित किया जा सकेगा।

(5) इस धारा के अधीन वस्तु रूप में लगान की वसूली रोकने का आदेश केवल तभी पारित किया जाएगा जब उस वर्ष की खरीफ फसल के लिए ऐसा लगान वसूल नहीं किया गया हो जिसमें वह लगाया गया हो।

166. आपत्तियों की सुनवाई और किराये का निर्धारण।

यदि धारा 164 की उपधारा (4) के अधीन उद्घोषणा जारी होने के तीस दिन के भीतर अभिधारी या भू-धारक कोई आपत्ति प्रस्तुत करता है तो बंदोबस्त अधिकारी उसकी सुनवाई करेगा, विधि

के अनुसार उसका निपटारा करेगा और अपना आदेश अभिलिखित करने के पश्चात जोत का किराया निर्धारित करेगा।

167. किराया किस तारीख से देय होगा।

धारा 165 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 166 के अधीन बंदोबस्त अधिकारी के आदेश द्वारा अवधारित किराया बंदोबस्त की अवधि के प्रारंभ की तारीख से देय होगा, जब तक कि बंदोबस्त अधिकारी किसी कारणवश यह निदेश देना ठीक न समझे कि किराया किसी पूर्वतर तारीख से देय होगा।

168. किरायेदार को किराया लेने से मना करने का विकल्प निर्धारित किया गया।

कोई भी किरायेदार, जिसके लिए धारा 167 के अधीन बंदोबस्त अधिकारी के आदेश द्वारा किराया निर्धारित किया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्धारित किराया स्वीकार करने से लिखित रूप में इंकार कर सकता है।

169. इनकार का प्रभाव.

(1) इस तरह के इनकार पर किरायेदार को तुरंत जमीन खाली करनी होगी।

(2) यदि वह इस प्रकार भूमि खाली नहीं करता है तो उसे अतिचारी माना जाएगा तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) की धारा 183 के उपबंधों के अनुसार उसे वहां से बेदखल किया जा सकेगा।

170. अन्य व्यक्तियों को धारिता का प्रस्ताव।

धारा 169 के अधीन किसी होल्डिंग के खाली होने या उससे बेदखल होने पर वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगी और उसे कानून के अनुसार उसका किरायेदार बनने के लिए प्रस्तावित किया जा सकेगा।

171. इनकार न करने पर प्रक्रिया।

यदि किरायेदार धारा 168 के उपबंधों के अनुसार किराया स्वीकार करने से इनकार नहीं करता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने धारा 166 के अधीन निर्धारित किराया स्वीकार कर लिया है और वह धारा 167 के अनुसार उसका भुगतान करने के लिए दायी होगा।

172. निपटान के दौरान किराये में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

धारा 166 के अधीन बंदोबस्त अधिकारी के आदेश द्वारा निर्धारित किसी जोत के किराये में, धारा 175 में अधिकथित या उसके अधीन निर्धारित बंदोबस्त की अवधि के दौरान, अधिनियम या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) के उपबंधों के अनुसार ही परिवर्तन किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

173. दस्तूर गंवई की तैयारी.

(1) बंदोबस्त अधिकारी बंदोबस्त कार्यों के अंतर्गत जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव के लिए वाजिबुल-अर्ज या दस्तूर गंवई तैयार करेगा।

(2) बंदोबस्त अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक वाजिब-उल-अर्ज या दस्तूर गणवानी में यह सुनिश्चित करेगा और दर्ज करेगा-(ए) सभी उपकर जो संबंधित गांव के काश्तकारों द्वारा भूमि पर कब्जे के कारण उन नामों के अंतर्गत लगान के

अतिरिक्त अभी भी देय हैं, जिनसे वे जाने जाते हैं; (बी) संबंधित गांव में निम्नलिखित के संबंध में प्रचलित रीति-रिवाज - (मैं) उसमें रहने वाले या उसमें सम्मिलित भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों के उसकी सामान्य भूमि और उसकी उपज तथा गांव की साइट पर अधिकार, और (ii) सिंचाई के अधिकार, मार्ग के अधिकार और अन्य सुखभोग के अधिकार, (सी) गांव के प्रशासन से संबंधित कोई अधिकार, रीति-रिवाज या अन्य मामले, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या अन्यथा राज्य सरकार द्वारा वाजिब-उल-अर्ज या दस्तूर गांववाई में सुनिश्चित और दर्ज किया जाना अपेक्षित हो।

(3) जब वाजिब-उल-अर्ज या दस्तूर-गंवई तैयार हो जाए, तो बंदोबस्त अधिकारी संबंधित गांव के निवासियों को उसे पढ़कर सुनाने के लिए एक तारीख और समय तय करेगा और निर्धारित तरीके से तय की गई तारीख से कम से कम सात दिन पहले ऐसी तारीख और समय को अधिसूचित करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियत तिथि और समय पर, बंदोबस्त अधिकारी उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वाजिब-उल-अर्ज या दस्तूर गंवई को, इस प्रयोजन के लिए एकत्रित हुए ग्रामीणों के समक्ष पढ़ेगा या पढ़वाएगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (4) के अधीन वाजिब-उल-अर्ज या दस्तूर मंजूरी पढ़ते समय उसमें निहित किसी बात पर आपत्ति उठाता है, तो बंदोबस्त अधिकारी ऐसी आपत्ति को दर्ज करेगा और उस पर निर्णय करेगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

174. निपटान प्रविष्टियों की उपधारणा।

धारा 173 के अधीन तैयार वाजिब-उल-अर्ज या दस्तूर गँवाई की सभी प्रविष्टियाँ तब तक सत्य मानी जाएँगी जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए। डी. निपटान की अवधि

175. निपटान की अवधि।

- इस अधिनियम के अधीन किए गए प्रत्येक बंदोबस्त की अवधि बीस वर्ष होगी: परन्तु राज्य सरकार भूमि पर जनसंख्या के दबाव, कृषि योग्य क्षेत्र की सीमा और किराये की सम्पूर्णता को ध्यान में रखते हुए, अवधि को बीस वर्ष से अधिक बढ़ा सकेगी: यह भी प्रावधान है कि विशेष कारणों से, जो दर्ज किए जाएंगे, जैसे गंभीर गिरावट, परिसंपत्तियों को काफी हद तक छिपाया जाना या जानबूझकर और व्यापक रूप से भूमि को खेती से बाहर कर दिया जाना, या किसी अन्य पर्याप्त कारणों से, राज्य सरकार किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए बंदोबस्त की छोटी अवधि मंजूर कर सकती है: आगे यह भी प्रावधान है कि असुरक्षित भू-भागों और कछारी क्षेत्रों के लिए प्रथम बंदोबस्त के मामले में राज्य सरकार छोटी अवधि मंजूर कर सकेगी और बंदोबस्त के मध्यवर्ती पुनरीक्षण के लिए नियम बना सकेगी।

175ए. बंदोबस्त की अवधि का प्रारंभ।

इस अधिनियम के अधीन किए गए प्रत्येक बंदोबस्त की अवधि उस तारीख से प्रारंभ होगी, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे।

176. समझौते की पूर्व समाप्ति।

(1) धारा 175 में किसी बात के होते हुए भी, जब राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कीमतों में काफी और तात्त्विक गिरावट के कारण या किसी क्षेत्र और उसके पड़ोसी क्षेत्रों की स्वीकृत लगान दरों के बीच काफी और तात्त्विक अंतर के कारण या जहां आगे की जांच में

स्वीकृत लगान दरें असमान रूप से ऊंची पाई जाती हैं या किसी अन्य पर्याप्त कारण से उस धारा के अधीन अधिकथित या नियत किसी बंदोबस्त की अवधि को उसकी समाप्ति के पूर्व समाप्त करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे बंदोबस्त की अवधि को तत्काल समाप्त करने और संबंधित क्षेत्र को पुनः बंदोबस्त के अधीन लाने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।

(2) ऐसी घोषणा के साथ ही या उसके तुरंत पश्चात् राज्य सरकार, वैसी ही अधिसूचना द्वारा, ऐसी अवधि को समाप्त घोषित कर देगी और संबंधित जिले या क्षेत्र को पुनः व्यवस्थापन के अधीन लाने का आदेश देगी; और तब इस अध्याय के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा जिला या क्षेत्र व्यवस्थापन संक्रियाओं के अधीन हो।

(3) छोड़ा गया.

(4) छोड़ा गया.

176ए. बंदोबस्त कार्रवाई के दौरान अंतरिम राहत।

(1) जब किसी जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र को धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन पुनर्वास के अधीन लाने का आदेश दिया जाता है, तो राज्य सरकार उसके काश्तकारों को ऐसी शर्तों पर, जैसी वह ठीक समझे, अंतरिम राहत देने का आदेश दे सकेगी।

(2) जब किसी जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र को धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन पुनः व्यवस्थापन के अधीन लाने का आदेश दिया जाता है, तब राज्य सरकार अपने विवेकानुसार यह भी आदेश दे सकेगी कि व्यवस्थापन अधिकारी के लिए धारा 148 द्वारा अपेक्षित आर्थिक सर्वेक्षण करना आवश्यक नहीं होगा।

177. नये बन्दोबस्त तक समाप्त बन्दोबस्त के अधीन भूमि का स्वामित्व।

- सभी व्यक्ति, जो बंदोबस्त की अवधि की समाप्ति या पराभव के पश्चात् भूमि पर कब्जा बनाए रखते हैं, धारा 176-क की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस बंदोबस्त की शर्तों पर तब तक भूमि पर कब्जा बनाए रखेंगे, जब तक कि नया बंदोबस्त न हो जाए।

177ए. असिंचित दरों पर सिंचित भूमि के मूल्यांकन में वृद्धि।

(1) यदि किसी काश्तकार की भूमि राज्य सरकार के व्यय पर निर्मित नहर द्वारा सिंचित है और यदि ऐसी भूमि का मूल्यांकन असिंचित दरों पर किया गया है, तो काश्तकार, राजस्थान वित्त अधिनियम, 1979 के प्रारम्भ की तारीख से या उस तारीख से, जिससे भूमि पहली बार नहर से सिंचित हुई है, जो भी बाद में हो, नया बन्दोबस्त होने तक 1.50 रुपये प्रति बीघा की दर से बढ़ा हुआ किराया देने के लिए उत्तरदायी होगा; परन्तु यदि ऐसी सिंचित भूमि किसी सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत आती है तथा उस परियोजना के अन्तर्गत अन्य भूमियों के लिए नहरी दरें स्वीकृत की गई हैं, तो पूर्वोक्त 1.50 रुपये प्रति बीघा बढ़ाई गई असिंचित दर के स्थान पर उस परियोजना के अन्तर्गत लागू नहरी दरों में से सबसे कम दर ली जाएगी। स्पष्टीकरण.- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए 'बीघा' का तात्पर्य 5/8 एकड़ के समतुल्य क्षेत्र से होगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत बढ़ा हुआ किराया देने के लिए उत्तरदायी किरायेदार, उस तारीख से 30 दिनों के भीतर, जिससे वह बढ़ा हुआ किराया देने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, इस धारा द्वारा बढ़ाए गए किराए को स्वीकार करने से लिखित रूप में इंकार कर सकता है और ऐसे

इंकार पर, धारा 169 के प्रावधान लागू होंगे जैसे कि बढ़ाया गया किराया धारा 167 के तहत निपटान अधिकारी के आदेश द्वारा निर्धारित किराया हो।

(3) इस धारा के प्रावधान धारा 167 या 172 में किसी बात या धारा 166 के अधीन बंदोबस्त अधिकारी के किसी आदेश या किसी कर निर्धारण पर्चे या किसी कानून, नियम, प्रथा, प्रथा या प्रथा में किसी बात के विपरीत होने पर भी लागू नहीं होंगे। ई. मध्यवर्ती संशोधन

178. अल्पकालीन निपटान।

- जब धारा 175 के दूसरे परन्तुक के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए नियत बन्दोबस्त की अवधि, बन्दोबस्त प्रचालनों के अधीन सम्पूर्ण जिले या अन्य क्षेत्र के लिए नियत अवधि से कम हो और ऐसी अवधि समाप्त हो जाए, तो समाहर्ता या किसी जिले में, जिसमें स्थायी बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया हो, ऐसा बन्दोबस्त अधिकारी, ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार लगान का निर्धारण करेगा।

179. जलोढ़ द्वारा बढ़ाई गई भूमि का बंदोबस्त तथा नदी क्रिया द्वारा कृषि योग्य क्षेत्र कम हो जाने पर मूल्यांकन का संशोधन।

(1) किसी जोत में जलोढ़ द्वारा जोड़ी गई भूमि का इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कलेक्टर या स्थायी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा किराया निर्धारण किया जा सकेगा।

(2) जब किसी भूमि का कृषि योग्य क्षेत्र नदी-संबंधी क्रिया या अन्य कारण से कम हो गया हो, तो कलेक्टर या स्थायी बंदोबस्त अधिकारी मूल्यांकन को संशोधित कर सकता है।

(3) यदि, यथास्थिति, कलेक्टर या स्थायी बंदोबस्त अधिकारी की राय में, किसी जोत की किसी भूमि का मूल्य, उसके कृषि प्रयोजन से गैर-कृषि प्रयोजन में या गैर-कृषि प्रयोजन से कृषि प्रयोजन में परिवर्तन के परिणामस्वरूप परिवर्तित हो जाता है, जब से उसका अंतिम बार मूल्यांकन किया गया था, तो मूल्यांकन को संशोधित किया जा सकेगा और उसका किराया, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, कलेक्टर या स्थायी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसी भूमि के परिवर्तित मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकेगा।

(4) पूर्वगामी उपधारा के अंतर्गत किया गया मूल्यांकन संशोधन तब तक अंतिम नहीं होगा जब तक कि उसे निपटान आयुक्त द्वारा मंजूरी नहीं दे दी जाती।

180. अतिरिक्त नगरीय दरें लगाने की सरकार की शक्ति।

विशेष नगरीय दर - इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगी कि राज्य के किसी भी भाग में विकसित कोई नगरीय क्षेत्र, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, किराये के अतिरिक्त विशेष नगरीय दर के उद्ग्रहण के अधीन होगा। एफ: विविध

181. जब परिचालन बंद हो तो निपटान अधिकारी के समक्ष लंबित आवेदन और कार्यवाहियां।

जब किसी क्षेत्र में बंदोबस्त कार्यवाहियां धारा 142 के अधीन अधिसूचना द्वारा बंद कर दी जाती हैं, तो बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष लंबित सभी आवेदन और कार्यवाहियां, जब तक कि ऐसे क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति न कर दी गई हो, समाहर्ता को अंतरित कर दी जाएंगी, जिसके पास उसके निपटान के लिए बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियां होंगी।

182. त्रुटियों और चूकों का सुधार।

- निपटान अधिकारी स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी भी त्रुटि या चूक को ठीक कर सकता है जो पता चली हो।[\(ए\)](#)मूल्यांकन सर्किलों या मूल्यांकन समूहों के गठन, मृदाओं के वर्गीकरण और किराया-दरों के विकास में किसी भी स्तर पर उसके संबंध में उसके प्रस्तावों को धारा 156 की उप-धारा (5) के तहत मंजूरी दिए जाने से पहले, और[\(बी\)](#)धारा 166 के अंतर्गत किराए का निर्धारण किए जाने से पूर्व किसी भी स्तर पर जोत के किराए के मूल्यांकन में।

183. स्वीकृत किराया दरों की समीक्षा।

धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना द्वारा बन्दोबस्त संक्रियाओं के बंद होने से पूर्व यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाता है कि धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना द्वारा बन्दोबस्त संक्रियाओं के बंद होने से पूर्व धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना द्वारा बन्दोबस्त संक्रियाओं के बंद होने से पूर्व राज्य सरकार को यह समाधान हो जाता है कि धारा 156 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किराया-दरों में किसी त्रुटि या चूक का पता चलने के कारण संशोधन की आवश्यकता है, तो वह इस प्रकार संशोधन कर सकेगी:-[\(ए\)](#)मूल्यांकन मंडलियों या मूल्यांकन समूहों के गठन में, या [\(बी\)](#)मिट्टी के वर्गीकरण में। या [\(सी\)](#)किसी भी वर्ग की भूमि के लिए किराया-दरों के विकास में, आदेश दिया जाएगा कि ऐसी स्वीकृत किराया-दरों की बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी।

[\(2\)](#)इसके बाद निपटान अधिकारी निर्धारित तरीके से अपने संशोधित प्रस्ताव तैयार करने के लिए आगे बढ़ेगा और धारा 155 और 156 के प्रावधान उस पर लागू होंगे।

अध्याय 9 सम्पदा का विभाजन

184. विभाजन.

- "विभाजन" का अर्थ है विभाजित संपत्ति का दो या अधिक भागों में विभाजन, जिनमें से प्रत्येक में एक या अधिक शेयर शामिल हों।

185. विभाज्य सम्पदाएँ।

- सभी सम्पदाएं अविभाज्य मानी जाएंगी जब तक कि प्रथा या अन्यथा द्वारा उनका विभाज्य होना सिद्ध न हो जाए।

186. विभाजन का दावा करने के हकदार व्यक्ति।

[\(1\)](#)विभाज्य संपत्ति का प्रत्येक सह-हिस्सेदार ऐसी संपत्ति में अपने हिस्से के विभाजन का दावा कर सकता है।

[\(2\)](#)ऐसे दावे में कोई भी सह-हिस्सेदार शामिल हो सकता है।

187. विभाजन के लिए आवेदन।

- विभाजन के लिए आवेदन में निर्धारित विवरण दिए जाएंगे और उसके साथ संपदा धारकों के वार्षिक रजिस्टर की प्रमाणित प्रति और कोई अन्य दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, जिन पर विभाजन का दावा आधारित है और इसे संपदा के एक या दो या अधिक पंजीकृत सह-हिस्सेदारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है:परन्तु जब कोई शेयर किसी बंधकदार के कब्जे में हो तो बंधककर्ता या बंधकदार द्वारा विभाजन का कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया

जाएगा जब तक कि दोनों ऐसे आवेदन में सम्मिलित न हो जाएं या उनमें से किसी को उसमें विरोधी पक्ष न बना दिया गया हो।

188. आवेदन किस पर है।

धारा 189 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विभाजन के लिए आवेदन उस जिले के कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें विभाजित की जाने वाली संपदा स्थित है:परन्तु यह कि संग्रहकर्ता किसी ऐसे आवेदन को सुनवाई और निपटान के लिए अपने अधीनस्थ उप-विभागीय अधिकारी या सहायक कलेक्टर को सौंप सकेगा, जो उस समय ऐसे आवेदन को सुनने और निपटाने के लिए सशक्त है।

189. कई जिलों के अंतर्गत आने वाली संपत्ति का विभाजन।

- जब कोई संपदा दो या अधिक जिलों में स्थित हो, तो यदि ऐसे जिले एक ही संभाग में हों तो विभाजन किया जाएगा, जैसा कि आयुक्त निर्देश दे, या यदि ऐसे जिले विभिन्न संभागों में हों तो विभाजन बोर्ड निर्देश दे।

190. दावों का समेकन।

- जहां कई दावेदारों ने एक ही संपदा के विभाजन के लिए अलग-अलग दावे प्रस्तुत किए हों, वहां ऐसे सभी दावों को एक ही दावे के रूप में एक साथ विचारण के प्रयोजन के लिए समेकित किया जाएगा और एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जाएगा।

191. संपत्ति के विभाजन को रोकने की शक्ति।

(1) यदि आवेदन प्राप्त होने पर या विभाजन के किसी अन्य चरण पर, संपत्ति के विभाजन को रोकने या अस्वीकार करने के लिए कोई पर्याप्त कारण प्रतीत होता है, तो कलेक्टर, उप-विभागीय अधिकारी या सहायक कलेक्टर, जिसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है, या जिसके समक्ष आवेदन लंबित है, विभाजन को रोक सकता है और कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दे सकता है।

(2) किसी संपदा का इस प्रकार विभाजन नहीं किया जाएगा कि उसके परिणामस्वरूप एक या अधिक संपदाएं ऐसे क्षेत्र से कम हो जाएं, जैसा कि विहित किया जाए।

192. विभाजन के लिए आवेदन की उद्घोषणा।

- विभाजन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, यदि वह सही है और उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती है, या धारा 191 के तहत अस्वीकार या अस्वीकृत नहीं किया गया है, तो एक उद्घोषणा जारी करेगा जिसमें विभाजन की मांग की गई संपत्ति में दर्ज सह-हिस्सेदारों में से ऐसे लोगों से जो आवेदन में शामिल नहीं हुए हैं, यह आह्वान किया जाएगा कि वे आवेदन जारी होने की तारीख से तीस दिन से कम या साठ दिन से अधिक दिन की अवधि में व्यक्तिगत रूप से या विधिवत् अधिकृत एजेंट के माध्यम से उसके समक्ष उपस्थित हों और विभाजन के बारे में अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, बताएं। उद्घोषणा की एक प्रति प्रत्येक सह-हिस्सेदार को दी जाएगी।

193. हक का प्रश्न उठाने पर आपत्ति।

(1) यदि, इस प्रकार निर्धारित दिन को या उससे पूर्व, किसी अभिलेखित सह-हिस्सेदार द्वारा कोई आपत्ति की जाती है, जिसमें मालिकाना हक का प्रश्न शामिल है, जिसका निर्धारण सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पहले से नहीं किया गया है, तो कलेक्टर या तो - (ए) जब तक

विवादित प्रश्न का निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं कर लिया जाता, तब तक आवेदन स्वीकार करने से इंकार कर देना, या (बी) मामले के किसी भी पक्षकार को ऐसे प्रश्न के निर्धारण के लिए सिविल न्यायालय में पांच माह के भीतर वाद संस्थित करने की आवश्यकता होगी, या (सी) ऐसे प्रश्न के गुण-दोष की संक्षेप में जांच की जाएगी।

(2) जब उपधारा (1) के उपखंड (ख) के अधीन कार्यवाही स्थगित कर दी गई हो, यदि ऐसा पक्षकार अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो कलेक्टर उसके विरुद्ध प्रश्न का निर्णय करेगा। यदि वह वाद संस्थित करता है, तो कलेक्टर सिविल न्यायालय के निर्णय के अनुसार मामले से निपटेगा।

(3) यदि कलेक्टर आपत्ति के गुण-दोष की जांच करने का निर्णय लेता है, तो वह मूलवादों के परीक्षण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम V, 1908) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन पारित सभी डिक्री सिविल न्यायालय की डिक्री मानी जाएंगी और उन पर, यथास्थिति, जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में, उन न्यायालयों में अपील के लिए लागू नियमों के अधीन अपील की जा सकेगी।

194. अपील का निर्णय लंबित रहने तक विभाजन पर रोक।

अपील न्यायालय कलेक्टर को आदेश जारी कर सकेगा, जिसमें उसे अपील के निर्णय होने तक विभाजन पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाएगा, चाहे अपील धारा 193(1)(ख) के अंतर्गत सिविल न्यायालय में लंबित हो या धारा 193(3) के अंतर्गत कलेक्टर न्यायालय में।

195. विभाजन पूरा होने तक संपत्ति की कुर्की।

(1) आवेदन के किसी भी चरण में, कलेक्टर बोर्ड की मंजूरी से, सम्पूर्ण सम्पदा को कुर्क कर सकता है तथा विभाजन पूरा होने तक उसे सीधे प्रबंधन के अधीन रख सकता है।

(2) ऐसी कुर्की के अधीन रहते हुए, संपदा से संग्रहण सर्वप्रथम राजस्व के भुगतान पर तथा संग्रहित राशि के दस प्रतिशत की दर से प्रबंधन और संग्रहण के व्ययों पर लगाया जाएगा, तथा तत्पश्चात् अन्य प्रभारों के भुगतान पर लगाया जाएगा, जिनसे संपदा या उसका कोई भाग कुछ समय के लिए भारग्रस्त रहा होगा, तथा अधिशेष, यदि कोई हो, को सह-हिस्सेदारों के बीच, संबंधित शेषों के अनुपात में, ऐसे समय पर विभाजित किया जाएगा, जब लाभ सामान्यतः विभाज्य हों।

196. परीक्षण की विधि.

(1) कलेक्टर पटवारी को निर्देश देंगे कि (ए) संपत्ति के मानचित्र पर किसी विशिष्ट रंग से उस वास्तविक क्षेत्र को चिह्नित करना जिसे विभाजित किया जाना है, (बी) उस पर वास्तविक मृदा-वर्गीकरण दर्शाने के लिए, (सी) विभाजन को पूरा करने के लिए आवश्यक खसरा (क्षेत्र-पुस्तक) और खतौनी (किसानों का रिकॉर्ड) और अन्य विवरणों से आवश्यक सार तैयार करना, (डी) खुदकाश के रूप में रखे गए भूखंडों (यदि कोई हों) की सूची तैयार करना, (इ) उप-धारकों की सूची तैयार करना, यदि कोई हो, (एफ) विभाजित किये जाने वाले भूमि के भूखंडों के मूल्यांकन की विधि का सुझाव देना, (जी) पेड़ों की सूची तैयार करना, जिसमें स्वामित्व और मूल्य का पूरा विवरण दर्शाया गया हो, (एच) जंगल भूमि और अन्य आय स्रोतों से आय का पूरा ब्यौरा

देना, और (मै) पक्के कुओं की सूची तैयार करना, जिसमें यह दर्शाया जाए कि वे कहां स्थित हैं, वे किसके खेतों की सिंचाई करते हैं, तथा किसके खर्च पर उनका निर्माण किया गया।

(2) यदि कोलेक्टर इसे वांछनीय समझता है, तो वह पटवारी को एक अस्थायी सहायक नियुक्त कर सकता है ताकि पटवारी काम को तेजी से पूरा कर सके। अस्थायी सहायक की लागत का भुगतान पहले वादी द्वारा किया जाएगा और इसे मुकदमे की लागत में शामिल किया जाएगा।

197. मूल्यांकन के सिद्धांतों और शर्तों का निर्धारण।

(1) कलेक्टर, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, विभाजित की जाने वाली संपत्ति में शामिल सभी प्रकार की भूमि के मूल्यांकन के सामान्य सिद्धांतों और शर्तों का निर्धारण करेगा, ताकि उसमें स्थित विभिन्न भूखंडों के मूल्य का एक दूसरे के सापेक्ष उचित अनुमान लगाया जा सके। ऐसा मूल्य न केवल प्रत्येक भूखंड के क्षेत्रफल के साथ भिन्न हो सकता है, बल्कि इसकी मिट्टी के वर्ग, सिंचाई की सुविधाओं, इसके स्वामित्व की प्रकृति, इसके किरायेदारों के व्यक्तिगत गुणों और मूल्य को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों के साथ भी भिन्न हो सकता है।

(2) मूल्यांकन के सामान्य सिद्धांत और शर्तें तय हो जाने के बाद, पटवारी प्रत्येक भूखण्ड का मूल्य तदनुसार निर्धारित करेगा।

198. विभाजन के लिए प्रारंभिक डिक्री।

(1) धारा 196 द्वारा निर्धारित जांच के पूरा होने पर, यदि कलेक्टर इस या किसी भी पूर्व चरण पर आवेदन को खारिज नहीं करता है, तो वह निर्धारित रूप में एक प्रारंभिक आदेश जारी करेगा, जिसमें विभाजन के लिए प्रत्येक दावेदार के हिस्से की प्रकृति और सीमा की घोषणा की जाएगी, उन भागों की संख्या निर्दिष्ट की जाएगी जिनमें संपदा विभाजित की जाएगी और प्रत्येक भाग की सीमा, ऐसे विभाजन के संबंध में उठने वाले सभी विवादित प्रश्नों का निर्णय और उस तरीके का ब्यौरा दिया जाएगा जिसमें विभाजन किया जाना है।

(2) ऐसे किसी भी आदेश में कलेक्टर यह निर्देश दे सकेगा कि किन्हीं दो या अधिक दावेदारों के शेयरों को, यदि वे इसके लिए सहमत हों, विभाजन के प्रयोजनों के लिए संयुक्त किया जा सकेगा और उनके संयुक्त शेयरों के मूल्य के अनुपात में एक भाग को सम्पूर्ण संपदा से अलग किया जा सकेगा, ऐसी स्थिति में नवगठित संपदा में ऐसे प्रत्येक सह-शेयर के संबंधित अधिकारों की भी उसी समय घोषणा की जाएगी।

199. विभाजन किसके द्वारा किया जाएगा।

- जब विभाजन के लिए प्रारंभिक आदेश दिया गया हो तो कलेक्टर पक्षकारों को विभाजन स्वयं करने की अनुमति देगा या इस प्रयोजन के लिए मध्यस्थ नियुक्त करेगा।

200. समझौते द्वारा विभाजन।

- यदि पक्षकार स्वयं विभाजन करने पर सहमत हों, तो (ए) एक तिथि निश्चित की जाएगी जिसके भीतर विभाजन पूरा किया जाना है, (बी) प्रासंगिक अभिलेखों की ऐसी प्रतियां, जिनकी उन्हें आवश्यकता होगी, उन्हें निःशुल्क दी जाएंगी, (सी) पटवारी को निर्देश दिया जाएगा कि वह प्रारंभिक आदेश की शर्तों के अनुसार विभाजन करने तथा कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लाटों के अभिलेख तैयार करने में उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान करे। (डी) वे निर्धारित तिथि को उपस्थित होंगे और पूर्वोक्त रूप से तैयार किए गए लाटों के अभिलेख प्रस्तुत करेंगे, साथ में संपदा का एक मानचित्र भी प्रस्तुत करेंगे जिसमें विभिन्न रंगों में उन विभिन्न लाटों को

दर्शाया जाएगा जिन पर उनके द्वारा संपदा के विभाजित प्रत्येक भाग के लिए आबंटन हेतु सहमति व्यक्त की गई है।(5) कलेक्टर अपनी उपस्थिति में सभी पक्षों या उनके उस संबंध में विधिवत् प्राधिकृत मान्यता प्राप्त एजेंटों से लाटों पर हस्ताक्षर करवाएगा, और(एफ) जब खंड (ई) के तहत कार्रवाई की गई है, तो लाटों को स्वीकार किया जाएगा यदि वे प्रारंभिक आदेश की शर्तों और कानून के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

201. मध्यस्थता द्वारा विभाजन।

(1) यदि पक्षकार विभाजन करने के प्रयोजन के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति करने पर सहमत हो जाते हैं और नियुक्त कर देते हैं, तो कलेक्टर विभाजन को उनकी नियुक्ति के लिए भेज देगा।

(2) मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम X) के प्रावधान ऐसे समझौते और मध्यस्थों तथा उनकी नियुक्ति और कार्यवाहियों के संदर्भ तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णय पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(3) धारा 201 के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो शब्द "पक्षों" के स्थान पर "मध्यस्थ" शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया हो।

(4) मध्यस्थों के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे कलेक्टर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना निर्णय प्रस्तुत करें या कलेक्टर की उपस्थिति में उस पर या लाटों पर हस्ताक्षर करें, किन्तु उन्हें कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले निर्णय और लाटों पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने होंगे, किसी मान्यता प्राप्त एजेंट के माध्यम से नहीं।

202. न्यायालय कब स्वयं विभाजन करेगा.

- यदि पक्षकारों के बीच विभाजन स्वयं करने या इस प्रयोजन के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने पर असहमति हो या जब मध्यस्थता को निरस्त कर दिया गया हो या पंचाट को अपास्त कर दिया गया हो, तो कलेक्टर विभाजन स्वयं करने का निर्णय लेगा।

203. विभाजन लागत का अनुमान और उद्ग्रहण।

(1) जब कलेक्टर ने धारा 202 के अधीन स्वयं विभाजन करने का विनिश्चय कर लिया है, तो वह तुरन्त उसकी लागत का अनुमान लगाएगा और निर्देश देगा कि ऐसी लागत प्रथमतः विभाजन के लिए आवेदक से या सभी सह-हिस्सेदारों से ऐसी किस्तों में और विभाजन की प्रगति के दौरान ऐसे समय पर वसूल की जाए, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(2) यदि प्रथम अनुमानित राशि अपर्याप्त पाई जाती है तो समय-समय पर अनुपूरक अनुमान लगाए जा सकते हैं तथा उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त राशि लगाई जा सकती है।

(3) राज्य सरकार उन मदों को विनिर्दिष्ट करने के लिए नियम बनाएगी जो ऐसे विभाजनों में सम्मिलित की जाएंगी तथा ऐसे विभाजनों की लागतों का निर्धारण करेगी और बोर्ड ऐसे लागतों को विभाजित करने की रीति का निर्धारण करने के लिए नियम बनाएगा।

204. अमीनों आदि की नियुक्ति तथा वारंट जारी करना।

- जब विभाजन की अनुमानित लागत का भुगतान कर दिया जाता है तो विभाजन करने के लिए एक अमीन या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा और कलेक्टर इस प्रयोजन के लिए उसके नाम से कमीशन का वारंट जारी करेगा और उसे सभी आवश्यक कागजात और जानकारी प्रदान करेगा।

205. वारंट के निष्पादन की रीति।

(1) विभाजन करने के लिए पूर्वोक्त रूप से नियुक्त अमीन या अन्य व्यक्ति, कमीशन वारंट की प्राप्ति पर -(मैं) एक डायरी खोलेगा और बनाए रखेगा जिसमें वारंट की प्राप्ति की तारीख, उसके निष्पादन में उसके द्वारा की गई दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही, इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा निरीक्षण किए गए स्थान, उसके समक्ष किए गए दावों और आपत्तियों का सार, उन्हें करने वाले व्यक्ति और उस पर उसके निर्णय का तरीका और उसके कारण दर्ज किए जाएंगे, (ii) व्यक्तिगत निरीक्षण के लिए एक कार्यक्रम तैयार करें और पक्षों को इसकी दो सप्ताह पहले सूचना दें, (iii) संपत्ति को जिन भागों में विभाजित किया जाना है, उनमें से प्रत्येक के लिए प्रारंभिक आदेश की शर्तों के अनुसार एक अनंतिम सूची तैयार करें और रिकॉर्ड पर रखें, तथा (चतुर्थ) पूर्वोक्त कार्यक्रम के अनुसार घटनास्थल पर जाएं, भूमि का निरीक्षण करें, यदि पक्षकार उपस्थित हों तो उनकी बात सुनें और उनकी आपत्तियों का निपटारा करें, उसमें हितबद्ध सभी व्यक्तियों को एकत्र करें ताकि उन्हें मौखिक या लिखित रूप से कोई दावा या आपत्ति करने का अवसर दिया जा सके जो उनके पास ऐसी किसी भूमि के बारे में हो जो कि उस हिस्से में सम्मिलित की जानी है जिसे कि बँटा जाना है, और ऐसे सभी दावों और आपत्तियों का मौके पर ही लम्बरदारों की उपस्थिति में निपटारा करें।

(2) ऐसा अमीन या व्यक्ति तब वारंट को अपनी रिपोर्ट के साथ लौटाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि उसने किस तरह से इसे निष्पादित किया है, उसके द्वारा प्रस्तावित लाटों को दर्ज किया जाएगा और उसे धारण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट किया जाएगा, साथ ही उस अवधि, अनुबंध, पट्टे या लाइसेंस की प्रकृति भी बताई जाएगी जिसके तहत वे इस प्रकार धारण किए गए हैं। रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाएगा - (ए) उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन रखी गई मूल डायरी (बी) रंगीन मानचित्र, जैसा कि धारा 200 के खंड (घ) में निर्दिष्ट है, और (सी) ऐसे अन्य विवरण और विवरणियां जिनमें ऐसे विवरण होंगे जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जा सकेंगे।

206. उद्घोषणा जारी करना।

ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कलेक्टर एक उद्घोषणा जारी करेगा जिसमें सभी संबंधित व्यक्तियों को उसमें नियत की जाने वाली तारीख को उपस्थित होने तथा धारा 205 की उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रस्तावों के विरुद्ध अपने दावे या आक्षेप, यदि कोई हों, बताने के लिए कहा जाएगा और ऐसी उद्घोषणा की एक प्रति पक्षकारों को तामील कराएगा जिसमें उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, तामील से पंद्रह दिन के भीतर दाखिल करें।

207. प्रस्तावों पर विचार तथा दावों और आपत्तियों का निर्धारण।

- निर्धारित तिथि को कलेक्टर -(ए) एक-एक करके सुनें और निपटारा करें -(मैं) पक्षों द्वारा उठाई गई आपत्तियां, और (ii) अन्य व्यक्तियों द्वारा दर्ज किए गए दावे और आपत्तियां, और (बी) फिर प्रस्तावों की जांच करके देखें कि क्या वे प्रारंभिक आदेश की शर्तों के अनुरूप हैं और कानून के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

208. काश्तकार की जोत का विभाजन।

- विभाजन करते समय, जहां तक संभव हो, काश्तकार की जोत का विभाजन टाला जाएगा और जहां ऐसा विभाजन अपरिहार्य हो, वहां प्रत्येक जोत का किराया विभाजित हिस्से पर वितरित किया जाएगा।

209. खुदकाश्त का विभाजन।

- जिन भूमियों में खुदकाश्त अधिकार प्राप्त हो गए हैं और वर्तमान में विद्यमान हैं, उन्हें पृथक् रूप से विभाजित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक भाग को उसका ऐसा भाग आवंटित किया जाए, जो ऐसे भाग को बनाने वाले अंश या अंशों की सीमा के अनुपात में मूल्य में हो।

210. साझा भूमि का आबंटन।

(1) धारा 209 में निर्दिष्ट भूमियों के अलावा साझा रूप से धारित भूमि का आबंटन इस प्रकार किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक भाग को उसका ऐसा भाग मिले जो उसके भाग या भागों के मूल्य के अनुपात में हो।

(2) धारा 209 में निर्दिष्ट भूमियों के अलावा, पृथक् रूप से धारित भूमियों को, जहां तक संभव हो, उन्हें धारण करने वाले सह-हिस्सेदार या सह-हिस्सेदारों के हिस्से में आवंटित किया जाएगा।

211. किसी एक सह-हिस्सेदार द्वारा दूसरे को आबंटित भूमि पर भवन, उद्यान आदि बनाना।

- यदि विभाजन करते समय सह-हिस्सेदार को आवंटित हिस्से में किसी अन्य सह-हिस्सेदार के कब्जे में किसी आवास गृह या अन्य इमारत या बगीचों या फल-सब्जियों द्वारा अधिगृहित भूमि को शामिल करना आवश्यक है या जो ऐसे अन्य सह-हिस्सेदार के लिए विशेष मूल्य की है, क्योंकि उसने अपने खर्च पर उस पर सुधार किए हैं, तो सह-हिस्सेदार को ऐसी भूमि को इमारतों, बगीचों, फल-सब्जियों और उन पर किए गए सुधारों के साथ बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वह इसके लिए उचित भूमि-भाड़ा चुकाए। ऐसी भूमि की सीमा और उसका किराया कलेक्टर द्वारा तय किया जाएगा और ऐसे मामलों में, जहां तक संभव हो, घरों, बगीचों, फल-सब्जियों या सुधार के मालिक को एक निश्चित रास्ता दिया जाएगा, जो वहां से किसी सार्वजनिक राजमार्ग या उसे आवंटित अलग संपत्ति के किसी हिस्से तक जाता हो।

212. तालाब, कुएँ, जल-मार्ग और तटबंध।

- (1) तालाब, कुएँ, जल-मार्ग और तटबंध उस भूमि से संबद्ध माने जाएंगे जिसके लाभ के लिए वे मूलतः बनाए गए थे।

(2) जब ऐसे कार्यों की सीमा, स्थिति या निर्माण से यह आवश्यक हो कि वे दो या अधिक भागों के स्वामियों की संयुक्त संपत्ति बने रहें, जिनमें संपदा विभाजित की जा सकती है, तो कलेक्टर यह निर्धारित करेगा कि प्रत्येक भाग का स्वामी किस सीमा तक उक्त कार्यों का उपयोग कर सकता है और किस अनुपात में उनकी मरम्मत के लिए व्यय ऐसे स्वामी द्वारा वहन किया जाएगा और किस तरीके से उनसे प्राप्त लाभ (यदि कोई हो) विभाजित किया जाएगा।

213. पूजा स्थल तथा श्मशान या कब्रिस्तान।

- विभाजन से पूर्व साझा रूप से धारित पूजा स्थल और श्मशान या कब्रिस्तान तब तक साझा रूप में धारित रहेंगे, जब तक कि उन्हें धारण करने वाले व्यक्ति किसी समझौते द्वारा अन्यथा निर्णय न ले लें, जिसे अभिलेख में दर्ज किया जाएगा।

214. असंकुचितता विभाजन की अनुमति न देने का एक कारण है।

विभाजन करते समय सम्पदा के विभिन्न भागों को, जिनमें विभाजन किया गया है, यथासंभव सघन बनाया जाएगा, परन्तु बोर्ड की मंजूरी के बिना, किसी विभाजन को केवल असमतलता के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

215. विभाजन पर राजस्व का वितरण।

- सभी मामलों में, चाहे विभाजन समझौते द्वारा या मध्यस्थता द्वारा या कलेक्टर द्वारा किया गया हो, कलेक्टर धारा 200 के तहत लाटों को स्वीकार करने या धारा 201 के तहत पंचाट को स्वीकार करने या दावों और आपत्तियों का निपटारा करने और धारा 207 के तहत, अमीन या धारा 204 के तहत जारी वारंट के निष्पादन के लिए सौंपे गए अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए प्रस्तावों की जांच करने के तुरंत बाद, संपदा के राजस्व को उन विभिन्न भागों में वितरित करेगा जिनमें संपदा विभाजित है, और जहां किसी ऐसे हिस्से में एक से अधिक शेयर शामिल हैं, ऐसे शेयर के प्रत्येक धारक की देयता की सीमा भी निर्धारित की जाएगी।

216. विभाजन का क्रम ज्ञात करें।

(1) जब राजस्व पूर्वोक्त रूप से वितरित कर दिया गया हो, तो कलेक्टर निम्नलिखित विवरण निर्दिष्ट करते हुए एक अंतिम आदेश तैयार करेगा, अर्थातः (ए) प्रत्येक भाग को आवंटित विभिन्न वर्गों की भूमि; (बी) धारा 215 के अंतर्गत वितरण पर निर्धारित राजस्व जो उसके लिए देय है; (सी) जहां कोई भाग एक से अधिक सह-हिस्सेदारों के शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है, वहां ऐसे सह-हिस्सेदारों का विवरण तथा उनमें प्रत्येक के हिस्से की प्रकृति और सीमा; और (डी) प्रत्येक सह-हिस्सेदार या कई सह-हिस्सेदारों के अधिकार और दायित्व, जैसा भी मामला हो, उसके लिए या उनके लिए संयुक्त रूप से पूर्वोक्त रूप से चिह्नित हिस्से पर अलग से कब्जा पाने के लिए।

(2) जब निष्कर्ष आदेश किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, जिसे धारा 188 के परन्तुक के अधीन मामला सौंपा गया था, तो ऐसा आदेश कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा, जो आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है या उसे अपास्त कर सकता है या मामले में आगे जांच करने या अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश दे सकता है या स्वयं ऐसी जांच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य ले सकता है या नए मुद्दे तैयार कर सकता है और उन्हें विचारण के लिए निर्देशित कर सकता है: परन्तु यह कि पुष्टि का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक अपील प्रस्तुत करने के लिए दी गई अवधि समाप्त नहीं हो जाती है या यदि अपील ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाती है तो तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसका निपटारा नहीं हो जाता है: आगे यह भी प्रावधान है कि आदेश में परिवर्तन करने या उसे अपास्त करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, न ही कोई अतिरिक्त जांच की जाएगी या अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाएगा, जब तक कि पक्षकारों को ऐसे आदेश के समर्थन में सुनवाई का अवसर न मिल गया हो या ऐसी जांच किए जाने या साक्ष्य लिए जाने के दौरान उन्हें प्रतिनिधित्व का अवसर न मिल गया हो।

217. विभाजन का लिखत।

(1) कलेक्टर संपत्ति से विभाजित प्रत्येक भाग के संबंध में आवेदक या आवेदकों के पक्ष में अंतिम आदेश की शर्तों के अनुसार विभाजन का एक दस्तावेज तैयार करवाएगा, जैसा भी मामला हो,

जिसका हिस्सा या शेयर प्रत्येक ऐसे भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस तारीख को विभाजन प्रभावी होना है, उसे उसमें दर्ज किया जाएगा और प्रत्येक ऐसे दस्तावेज पर राज्य में अपनाए गए केंद्रीय विधानमंडल के भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम II) के अनुसार स्टाम्प शुल्क लगेगा।

(2) ऐसी तारीख, जब तक अन्यथा निर्देशित न किया जाए, अंतिम आदेश की पुष्टि की तारीख के बाद आने वाली जुलाई की पहली तारीख या कलेक्टर द्वारा उसकी पुष्टि की तारीख से होगी।

(3) जिस तारीख से विभाजन प्रभावी होता है, उस दिन से इस प्रकार विभाजित प्रत्येक भाग को सभी प्रयोजनों के लिए एक पृथक संपदा माना जाएगा और उसी प्रकार माना जाएगा, जैसे कि वह मूल रूप से उस व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में बनाया गया था, जिनका वह हिस्सा या हिस्से हैं।

(4) जब विभाजन का दस्तावेज तैयार हो जाए, तो कलेक्टर वार्षिक रजिस्ट्रों को तदनुसार सही करवाएगा तथा बोर्ड को भूमि अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां करवाने के लिए कहेगा।

218. विभाजन पर आबंटित संपत्ति का कब्जे का परिदान।

- कोई व्यक्ति या व्यक्ति, जिन्हें विभाजन के प्रलेख में कोई भूमि आबंटित की गई है, विभाजन के अन्य पक्षकारों और उनके विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध उस पर पृथक कब्जे का हकदार होगा और कलेक्टर, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा धारा 217 की उपधारा (1) के अधीन विभाजन के प्रलेख में अभिलिखित तारीख से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय इस प्रयोजन के लिए उसको आवेदन किए जाने पर, उस प्रलेख को इस प्रकार प्रभावी करेगा मानो वह स्थावर संपत्ति पर कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री हो।

219. जटिल सम्पदा का विभाजन।

- जब किसी संपदा में दो या अधिक गांव या गांवों के हिस्से शामिल हों, तो राज्य सरकार उसे प्रशासनिक सुविधा के लिए जितनी आवश्यक हो, उतनी संपदाओं में विभाजित करने का निर्देश दे सकती है। ऐसा निर्देश प्राप्त होने पर कलेक्टर, संबंधित संपदा-धारक द्वारा किए गए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, संपूर्ण संपदा के राजस्व को उन कई संपदाओं में वितरित करेगा, जिनमें इसे विभाजित किया गया है, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, और तदनुसार वार्षिक रजिस्ट्रों को सही करेगा। इस प्रकार बनाई गई संपदाएं उस पर वितरित राजस्व के लिए अलग-अलग जिम्मेदार होंगी।

220. राजस्व का कपटपूर्ण या त्रुटिपूर्ण वितरण।

जब इस अध्याय के अधीन विभाजन करते समय, कपट या भूल के कारण राजस्व गलत वितरित कर दिया गया हो, तो बोर्ड किसी भी समय मूल संपदा के राजस्व का उन विभिन्न संपदाओं में, जिनमें वह विभाजित है, ऐसा वितरण करने का आदेश दे सकेगा, जैसा कि यदि भूल या कपट न होता, तो विभाजन के समय किया गया होता।

221. कम मूल्यांकित सम्पदाओं से अधिक मूल्यांकित सम्पदाओं को धन वापसी।

(1) बोर्ड किसी भी मामले में धारा 220 के अधीन निर्देश दे सकता है कि कोई स्वामी जिसकी सम्पत्ति का कम मूल्यांकन किया गया पाया गया है, उससे प्रत्येक वर्ष के लिए, जो कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा, जिसमें उसने अपनी पृथक सम्पत्ति पर कब्जा रखा है, किसी सम्पत्ति के अभिलेखित स्वामी को, जिसका अधिक मूल्यांकन किया गया है, उस वार्षिक राशि

के बराबर राशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाएगी, जिससे प्रथम वर्णित सम्पत्ति का कम मूल्यांकन किया गया पाया गया है, और भुगतान न करने पर राशि को राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और उस स्वामी को भुगतान किया जाएगा, जिसे वह देय है।

(2) इस धारा के अंतर्गत पारित किसी भी आदेश पर किसी भी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

222. एक ही गांव का भाग बनने वाली सम्पदाओं का चकबंदी।

यदि दो या अधिक राजस्व देने वाली सम्पदाएं एक ही गांव के भाग हैं, तो सम्पदाधारक उन्हें एक ही सम्पदा में समेकित करने के लिए कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं, और कलेक्टर अपने विवेकानुसार ऐसे आवेदन को स्वीकार कर सकते हैं, और ऐसे मामले में वार्षिक रजिस्ट्रों को तदनुसार सही करेंगे।

223. यह अध्याय सरकार और संपदा-धारक के बीच विभाजन पर लागू नहीं होगा।

(1) इस अध्याय के प्रावधान किसी संपत्ति के उसके धारक और राज्य सरकार के बीच विभाजन पर लागू नहीं होंगे और जब कभी ऐसा विभाजन आवश्यक हो, तो वह कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। बशर्ते कि कलेक्टर के प्रस्ताव बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) ऐसा प्रत्येक विभाजन राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय 10 राजस्व संग्रहण

224. राजस्व, भूमि और उसकी उपज पर प्रथम भार।

(1) प्रत्येक संपदा या होल्डिंग पर निर्धारित राजस्व या किराया उस पर तथा उसके किराए, लाभ या उपज पर प्रथम भार होगा।

(2) ऐसी सम्पदा या होल्डिंग के किराये, लाभ और उपज को किसी सिविल या राजस्व न्यायालय के निर्णय या आदेश की संतुष्टि में तब तक लागू नहीं किया जाएगा, जब तक कि उससे संबंधित सभी बकाया राजस्व या किराये का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

225. राजस्व के लिए उत्तरदायित्व।

(1) किसी सम्पदा के सभी धारक और सह-हिस्सेदार, उस समय देय राजस्व के लिए राज्य सरकार के प्रति संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी होते हैं।

(2) किसी संपदा से परे स्थित किसी होल्डिंग के सभी किरायेदार और सह-किरायेदार, उस समय देय किराए के लिए राज्य सरकार के प्रति संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) किसी संपदा या होल्डिंग के कब्जे में आने वाले सभी व्यक्ति, कब्जे में आने के समय देय सभी राजस्व या किराये के बकाये के लिए जिम्मेदार होंगे।

(4) इस अध्याय में "धारक" से तात्पर्य अपने फायदे के लिए कब्जा रखने वाले व्यक्ति से है और इसमें धारक के अधिकारों का बंधककर्ता और पट्टेदार भी शामिल है।

226. बकाया और चूककर्ताओं के भुगतान के संबंध में नियम।

- राजस्व या किराया ऐसी किस्तों में, ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे समयों और स्थानों पर तथा ऐसी रीति से दिया जाएगा, जैसा विहित किया जाए, और इस प्रकार न दी गई कोई राशि राजस्व या किराए का बकाया हो जाएगी, और उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति चूककर्ता हो जाएंगे: बशर्ते कि जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, राज्य सरकार को देय राजस्व या किराया सर्किल के पटवारी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

227. प्रमाणित लेखा का बकाया के संबंध में साक्ष्य होना।

- तहसीलदार द्वारा प्रमाणित लेखा विवरण, अध्याय के प्रयोजन के लिए, बकाया, उसकी राशि और चूककर्ता व्यक्ति के अस्तित्व का निर्णायक साक्ष्य होगा: परन्तु इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति के विरोध के अधीन भुगतान करने तथा कलेक्टर के समक्ष पृथक स्वतंत्र कार्यवाहियों में लेखा की शुद्धता पर प्रश्न उठाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

228. बकाया वसूली की प्रक्रिया।

- राजस्व या किराये का बकाया निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से एक या अधिक द्वारा वसूल किया जा सकता है: (ए) किसी भी चूककर्ता पर मांग की रिट या उपस्थित होने का आदेश देकर; (बी) उसकी चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा; (सी) उस विशिष्ट क्षेत्र, शेयर, पट्टी या संपदा की कुर्की करके, जिसके संबंध में बकाया देय है; (डी) ऐसे शेयर या पट्टी को विलायक सह-हिस्सेदार को हस्तांतरित करके; (इ) ऐसे विशिष्ट क्षेत्र या पट्टी या संपूर्ण संपदा की बिक्री द्वारा; (एफ) चूककर्ता की अन्य अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा, बशर्ते कि खंड (ई) के प्रावधान जागीर भूमि या भूमि स्वामी की संपदा पर लागू नहीं होंगे।

229. उपस्थित होने की मांग और उद्धरण की रिट।

- जब राजस्व या किराये का बकाया देय हो जाता है, तो मांग रिट जारी की जा सकती है, जिसमें चूककर्ता को उसमें उल्लिखित समय के भीतर राशि का भुगतान करने या उसमें उल्लिखित तिथि को उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है।

229क. किस्त देने की शक्ति।

(1) कलेक्टर, वास्तविक कठिनाई के मामलों में, आदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के तहत या राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) के तहत प्रभार्य राजस्व या किराये के बकाया का भुगतान, जिसके लिए धारा 229 के तहत मांग की रिट या उद्धरण जारी किया गया है, तीन वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होने वाली किशतों की संख्या में और ब्याज के भुगतान के लिए ऐसी शर्तों पर भुगतान किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, हालांकि, इस शर्त के अधीन कि यदि किसी भी किस्त के भुगतान में चूक की जाती है, तो बकाया राशि और उस पर देय ब्याज की पूरी राशि एकमुश्त देय होगी।

(2) जब कोई स्थावर संपत्ति ऐसे बकाया की वसूली के लिए इस अध्याय के अधीन कलेक्टर द्वारा कुर्क की गई हो, तो कुर्की, उपधारा (1) के अधीन किशतें नियत करने वाले किसी आदेश के होते हुए भी, तब तक जारी रहेगी जब तक कि बकाया की पूरी रकम, देय ब्याज, यदि कोई हो, और कुर्की का खर्च चूककर्ता द्वारा नहीं चुका दिया जाता।

230. चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय।

- कलेक्टर चूककर्ता की चल संपत्ति को कुर्क कर सकता है और बेच सकता है। इस धारा के तहत आदेशित प्रत्येक कुर्की और बिक्री सिविल न्यायालय की डिक्री के तहत चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के लिए उस समय लागू कानून के अनुसार की जाएगी। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम V) की धारा 60 के प्रावधान में उल्लिखित विवरणों के अलावा, धार्मिक उपयोग के लिए विशेष रूप से अलग रखी गई वस्तुओं को इस धारा के तहत कुर्की और बिक्री से छूट दी जाएगी। कुर्की और बिक्री की लागत राजस्व या किराए के बकाया में जोड़ी जाएगी और उसी प्रक्रिया से वसूली योग्य होगी।

231. भूमि की कुर्की।

(1) कलेक्टर, इसमें पूर्व विनिर्दिष्ट किसी अन्य आदेशिका के अतिरिक्त या उसके स्थान पर, किसी विशिष्ट क्षेत्र, अंश, पट्टी या संपदा को, जिसके संबंध में बकाया हो, कुर्क कर सकेगा तथा अपने प्रबंधन में ले सकेगा, और ऐसी कुर्की बकाया राशि के परिसमापन तक जारी रहेगी।

(2) बकाया राशि के भुगतान पर भूमि मुक्त कर दी जाएगी तथा प्राप्त अधिशेष राशि, यदि कोई हो, चूककर्ता या उसके कानूनी प्रतिनिधि को सौंप दी जाएगी।

232. प्रबंधक की शक्तियां और दायित्व

.- जहां कोई भूमि प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन है, वहां कलेक्टर किसी अनुबंध से आबद्ध होगा जो कुर्की के समय चूककर्ता और काश्तकारों के बीच विद्यमान था और वह इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति का प्रबंधन करने और उससे प्राप्त सभी किराया और लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति का संग्रह राजस्व या किराए की किसी किस्त के भुगतान पर लगाया जाएगा जो कुर्की के पश्चात देय हो सकती है और कुर्की और प्रबंधन की लागत पर लगाया जाएगा और किसी अधिशेष का उपयोग उस बकाया का भुगतान करने पर लगाया जाएगा जिसके कारण कुर्की की गई थी।

233. कुर्की की उद्घोषणा।

(1) जब कलेक्टर धारा 231 के अधीन कोई भूमि कुर्क करता है तो वह उसकी उद्घोषणा जारी करेगा।

(2) ऐसी घोषणा की तारीख के पश्चात या नियत तारीख की प्रत्याशा में, कलेक्टर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भूमि के किराये या किसी अन्य परिसंपत्ति के लिए किया गया कोई भी भुगतान, भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को कलेक्टर को भुगतान के दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

234. चूककर्ता के हिस्से का अंतरण।

- जब किसी शेयर या पट्टी या संपदा के संबंध में बकाया राशि बकाया हो, तो कलेक्टर, बोर्ड की पूर्व मंजूरी से, इसके बाद निर्दिष्ट किसी भी प्रक्रिया के अतिरिक्त या उसके स्थान पर, ऐसे शेयर या पट्टी को मंजूरी की तारीख के बाद की पहली जुलाई से दस वर्ष से अधिक अवधि के लिए संपदा-धारक के अलावा संपदा के सभी या किसी भी सह-हिस्सेदार को हस्तांतरित कर सकता है, इस शर्त पर कि वे बकाया राशि का भुगतान करेंगे, और ऐसी शर्तों पर जो बोर्ड प्रत्येक मामले में निर्धारित कर सकता है। ऐसा हस्तांतरण उस संपदा के सह-हिस्सेदारों की संयुक्त और अलग-अलग देयता को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें इसे लागू किया जाता है।

(2) जब अंतरण की अवधि समाप्त हो जाती है, तो शेयर या पट्टी उसके संपदा-धारक को वापस कर दी जाएगी, तथा ऐसे शेयर या पट्टी के संबंध में किसी बकाया के लिए सरकार या अंतरिती की ओर से कोई दावा नहीं किया जाएगा।

235. चूककर्ता के विशिष्ट क्षेत्र, पट्टी या संपदा की बिक्री।

- जब कलेक्टर की यह राय हो कि (इसके पूर्व) विनिर्दिष्ट अन्य आदेशपत्र बकाया की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो वह ऐसी सभी या किन्हीं अन्य आदेशोंपत्रों के अतिरिक्त या उनके स्थान पर, उस विशिष्ट क्षेत्र, पट्टी या संपदा को, जिसके संबंध में ऐसा बकाया बकाया है, नीलामी द्वारा बेच सकेगा: परन्तु यह कि कोई विशिष्ट क्षेत्र, पट्टी या संपदा किसी ऐसे बकाया के लिए नहीं बेची जाएगी जो उस समय अर्जित हुआ हो जब वह - (ए) कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबंधन के अधीन, या (बी) कलेक्टर के प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन।

236. भूमि का भारमुक्त विक्रय किया जाना।

(1) पूर्ववर्ती धारा के अंतर्गत बेची गई भूमि सभी भारग्रस्तताओं से मुक्त बेची जाएगी, और ऐसी भूमि के संबंध में क्रेता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले किए गए सभी अनुबंध नीलामी बिक्री पर क्रेता के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाएंगे।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, निवास-गृह या विनिर्माण के निर्माण के लिए या बगीचों, तालाबों, नहरों, पूजा-स्थल या श्मशान या कब्रिस्तान के लिए, अस्थायी या शाश्वत, सद्भावनापूर्ण पट्टों के अधीन धारित भूमि पर लागू नहीं होती है, तथा ऐसी भूमि का उपयोग ऐसे पट्टों में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता रहता है।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विक्रय किए जाने के पूर्व किसी भी समय यह निदेश दे सकेगी कि उसे भूमि में उसके धारक द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके माध्यम से वह दावा करता है, सृजित ऐसे हितों या अधिकारों के अधीन कर दिया जाए, जैसा वह ठीक समझे।

237. उस सम्पत्ति के अलावा जिसके सम्बन्ध में चूक की गई है, में चूककर्ता के हित के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्तियाँ।

(1) यदि बकाया राशि उपर्युक्त किसी भी प्रक्रिया द्वारा वसूल नहीं की जा सकती है और चूककर्ता किसी अन्य संपदा का स्वामी है या उसमें उसका कोई हित है, या किसी अन्य संपदा में उसका कोई शेयर है या कोई अन्य अचल संपत्ति है, तो कलेक्टर ऐसी संपदा या शेयर या अन्य अचल संपत्ति के विरुद्ध उसी प्रकार कार्यवाही कर सकता है मानो वह वह भूमि हो जिसके कारण इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन राजस्व या किराया देय है: बशर्ते कि ऐसी प्रक्रिया से केवल चूककर्ता के हित को छोड़कर किसी अन्य हित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) राजस्व या किराये के बकाया के रूप में वसूली योग्य धनराशि, जो किसी विशिष्ट भूमि के संबंध में देय नहीं है, इस धारा के अंतर्गत चूककर्ता की किसी भी अचल संपत्ति के विरुद्ध आदेशिका द्वारा वसूल की जा सकेगी।

238. विक्रय की उद्घोषणा।

(1) जब किसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति की बिक्री धारा 235 या धारा 237 के अधीन मंजूर कर दी गई हो, तो कलेक्टर आशयित बिक्री की घोषणा जारी करेगा, जिसमें बेची जाने वाली भूमि, उस पर निर्धारित राजस्व (यदि कोई हो), वह बकाया जिसके लिए उसे बेचा जाना है, बिक्री का

समय और स्थान, भूमि को भारमुक्त बेचा जाना है या नहीं तथा अन्य कोई विवरण, जिसे कलेक्टर आवश्यक समझे, निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति चूककर्ता को दी जाएगी।

239. विक्रय कब और किसके द्वारा किया जाएगा।

(1) इस अध्याय के अधीन प्रत्येक विक्रय या तो कलेक्टर द्वारा स्वयं किया जाएगा या उसके द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से नियुक्त सहायक कलेक्टर या तहसीलदार द्वारा किया जाएगा।

(2) ऐसी कोई भी बिक्री रविवार या अन्य प्राधिकृत अवकाश के दिन या इसकी घोषणा जारी होने की तारीख से कम से कम तीस दिन की समाप्ति के बाद तक नहीं की जाएगी।

(3) कलेक्टर समय-समय पर बिक्री को स्थगित कर सकता है।

240. बेची गई सम्पत्ति के लिए बोली लगाने या उसे अर्जित करने का प्रतिषेध।

- किसी ऐसे विक्रय के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने वाला कोई अधिकारी, तथा ऐसे अधिकारी द्वारा नियोजित या उसके अधीनस्थ कोई व्यक्ति, राज्य सरकार या कोर्ट ऑफ वार्ड्स की ओर से ही, बेची गई संपत्ति या उसमें किसी अप्रत्यक्ष हित के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः बोली नहीं लगाएगा, उसे अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा।

241. विक्रय कब रोका जा सकेगा।

- यदि चूककर्ता उस बकाया का भुगतान कर देता है जिसके संबंध में भूमि या अन्य अचल संपत्ति बेची जानी है, बिक्री के लिए नियत दिन से पहले किसी भी समय, राजस्व या किराए का भुगतान प्राप्त करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को या कलेक्टर को, या उस उप-विभाग के प्रभारी सहायक कलेक्टर को, जिसमें भूमि या अन्य अचल संपत्ति स्थित है, तो बिक्री रोक दी जाएगी।

242. क्रेता द्वारा जमा, जमा न करने पर पुनः बिक्री।

- क्रेता घोषित किए गए व्यक्ति को अपनी बोली की रकम का पच्चीस प्रतिशत तुरन्त जमा करना होगा और ऐसी जमा राशि न जमा करने की स्थिति में भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति तुरन्त पुनः बेच दी जाएगी; और ऐसा व्यक्ति प्रथम विक्रय में होने वाले व्ययों और पुनः विक्रय पर होने वाली कीमत की किसी कमी के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे कलेक्टर उससे वसूल कर सकेगा, मानो वह राजस्व का बकाया हो।

243. क्रय धन का भुगतान कब किया जाना है।

- (1) क्रय-धन की पूरी राशि बिक्रीकर्ता द्वारा बिक्री की तारीख से पंद्रहवें दिन या उससे पहले कलेक्टर कार्यालय में जमा कर दी जाएगी।

(2) यदि क्रय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो विक्रय के व्ययों का भुगतान करने के पश्चात जमा राशि सरकार को जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को पुनः बेचा जाएगा, तथा चूककर्ता क्रेता को संपत्ति पर या उस राशि के किसी भाग पर सभी दावों से हाथ धोना पड़ेगा, जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।

244. पुनः विक्रय से होने वाली हानि के लिए क्रेता का दायित्व।

- यदि विक्रय की आय, जो अंततः की जाती है, ऐसे चूककर्ता क्रेता द्वारा बोली गई कीमत से कम है, तो अंतर उससे वसूल किया जा सकेगा, मानो वह राजस्व का बकाया हो।

245. पुनः विक्रय से पूर्व उद्घोषणा।

धारा 239 के अधीन स्थगन के पश्चात कोई विक्रय और क्रय राशि के भुगतान में चूक होने पर धारा 242 के अधीन कोई पुनः विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि मूल विक्रय के लिए विहित रूप से नई उद्घोषणा जारी नहीं कर दी जाती।

246. बकाया जमा करने पर विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन।

- कोई व्यक्ति जिसकी भूमि या अन्य अचल संपत्ति इस अधिनियम के अधीन बेची गई है, वह बिक्री की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी भी समय कलेक्टर के कार्यालय में निम्नलिखित जमा करने पर बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है - (ए) क्रेता को क्रय-राशि के पांच प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए; तथा (बी) बकाया के कारण विक्रय की घोषणा में निर्दिष्ट उस रकम का भुगतान करने के लिए, जिसकी वसूली के लिए विक्रय का आदेश दिया गया था, उसमें से वह रकम घटाकर, जो विक्रय की ऐसी घोषणा की तारीख से उस कारण भुगतान की गई हो; तथा (सी) बिक्री की लागत यदि ऐसी जमा राशि तीस दिन के भीतर जमा कर दी जाती है, तो कलेक्टर बिक्री को रद्द करने का आदेश पारित करेगा: परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऐसी बिक्री को अपास्त करने के लिए धारा 247 के अधीन आवेदन करता है तो वह इस धारा के अधीन आवेदन करने का हकदार नहीं होगा: यह भी प्रावधान है कि यदि भूमि धारा 236 के अधीन भारमुक्त होकर बेची गई है, तो इस धारा के अधीन बिक्री अपास्त होते ही भार पुनः बहाल हो जाएगा।

247. अनियमितता आदि के कारण विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन।

- बिक्री की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी भी समय, प्रकाशन या संचालन में किसी तात्त्विक अनियमितता या गलती के आधार पर बिक्री को रद्द करने के लिए कलेक्टर को आवेदन किया जा सकेगा। किन्तु कोई भी बिक्री ऐसे आधार पर तब तक रद्द नहीं की जाएगी जब तक आवेदक कलेक्टर को समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता कि ऐसी अनियमितता या गलती के कारण उसे पर्याप्त क्षति हुई है।

248. बिक्री की पुष्टि या उसे रद्द करने का आदेश।

विक्रय की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, यदि धारा 246 या धारा 247 में वर्णित कोई आवेदन नहीं किया गया है, या यदि ऐसा आवेदन किया गया है और उसे अस्वीकार कर दिया गया है, तो कलेक्टर विक्रय की पुष्टि करने वाला आदेश पारित करेगा और यदि धारा 247 के अधीन ऐसा आवेदन किया जाता है और उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो कलेक्टर विक्रय को अपास्त करने वाला आदेश पारित करेगा।

249. अनियमितता या भूल पर आधारित दावों का निषेध।

यदि धारा 247 के अधीन कोई आवेदन उसके लिए अनुज्ञात समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो विक्रय के प्रकाशन या संचालन में अनियमितता या भूल के आधार पर सभी दावे वर्जित हो जाएंगे: परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात धोखाधड़ी के आधार पर किसी विक्रय को अपास्त करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर रोक नहीं लगाएगी।

250. विक्रय रद्द कर दिए जाने पर क्रय राशि की वापसी।

जब कभी किसी भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति की बिक्री धारा 248 के अधीन रद्द कर दी जाती है तो क्रेता क्रय धन को ब्याज सहित, छह प्रतिशत प्रति वर्ष से अनधिक दर पर या ब्याज रहित, जैसा कलेक्टर उचित समझे, वापस पाने का हकदार होगा।

251. क्रेता को क्रय प्रमाणपत्र का कब्जा दिया जाना।

(1) इस अधिनियम के अधीन भूमि या अन्य अचल संपत्ति की बिक्री की पूर्वोक्त रीति से पुष्टि हो जाने के पश्चात् कलेक्टर उस व्यक्ति को, जिसे क्रेता घोषित किया गया है, ऐसी संपत्ति का कब्जा सौंप देगा, उसे इस आशय का प्रमाणपत्र देगा कि उसने वह संपत्ति खरीद ली है, जिसका प्रमाणपत्र में उल्लेख है, और ऐसा प्रमाणपत्र ऐसी संपत्ति का वैध अंतरण माना जाएगा, किन्तु उसे हस्तांतरण के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम XV) की धारा 89 में दिए गए प्रावधान के।

(2) यदि धारा 235 के अधीन भूमि को उसके संबंध में देय राजस्व या किराये के कारण बेचा गया है, तो प्रमाण पत्र में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि क्रेता ने वह भूमि, जिसका प्रमाण पत्र में उल्लेख है, सभी भारों से मुक्त होकर खरीदी है।

252. विक्रय की आय का उपयोग।

जब इस अधिनियम के अधीन भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति की बिक्री की पुष्टि हो जाती है, तो बिक्री की आय का उपयोग प्रथमतः किसी बकाया के भुगतान में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बिक्री की पुष्टि की तारीख को चूककर्ता से राज्य सरकार को देय उसकी वसूली के लिए उपगत लागतें भी हैं, चाहे बकाया राजस्व या किराए का हो, या राजस्व या किराए के बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली राशियों का हो और द्वितीयतः, यदि बिक्री राजस्व या किराए के एक हिस्से के रूप में वसूली योग्य राशि की वसूली के लिए हुई हो, किन्तु राज्य सरकार को देय नहीं हो, तो पूर्वोक्त लागतों सहित उस राशि का भुगतान किया जाएगा और अधिशेष (यदि कोई हो) उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसकी भूमि बेची गई है; या यदि बेची गई भूमि अंशों में थी, तो सह-हिस्सेदारों को सामूहिक रूप से, या उनके अभिलिखित हितों की राशि के अनुसार, कलेक्टर के विवेकानुसार।

253. राजस्व या किराये के लिए क्रेता का दायित्व।

- किसी भूमि के क्रेता के रूप में विक्रय प्रमाण-पत्र में नामित व्यक्ति, ऐसी भूमि के संबंध में देय होने वाली सभी राजस्व या किराये की किस्तों के लिए उत्तरदायी होगा।

254. सह-हिस्सेदारों द्वारा पूर्वक्रय।

- जब धारा 235 या धारा 237 के अधीन बेची गई कोई भूमि किसी संपदा का भाग है, तो उस संपदा में कोई भी अभिलेखित सह-हिस्सेदार, उस व्यक्ति के अलावा जिसकी भूमि बेची गई है, यदि भूखंड किसी अजनबी को बेच दिया गया है, तो उक्त भूमि को अंतिम बोली की राशि पर लेने का दावा कर सकता है: बशर्ते कि पूर्वक्रय की उक्त मांग बिक्री के सात दिन के भीतर की जाए, और बशर्ते कि दावेदार बिक्री की अन्य सभी शर्तों को पूरा करता हो।

255. हटाया गया।

256. विविध राजस्व और अन्य धन की वसूली।

- इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित धनराशि राजस्व बकाया के समान वसूल की जा सकेगी:-(ए) इस अधिनियम या राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम, 1952 (राजस्थान अधिनियम 5, 1952) के अतिरिक्त किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा घोषित समस्त धनराशियां:- (मैं) राजस्व या भू-राजस्व या किराये के बकाया के रूप में वसूली योग्य या वसूली योग्य होना; या (ii) मांग या सार्वजनिक मांग होना या मांग या सार्वजनिक मांग के रूप में वसूली योग्य या वसूलनीय होना या मांग या सार्वजनिक मांग के बकाया के रूप में होना; (बी) राज्य सरकार को या राज्य सरकार के किसी विभाग या अधिकारी को या किसी स्थानीय प्राधिकरण को किसी कानून या कानून का बल रखने वाले नियम के तहत दरों, शुल्कों, करों, प्रभारों या अन्य देयताओं के रूप में देय सभी धनराशियां, भले ही ऐसा कानून या नियम उन्हें राजस्व या भूमि राजस्व या किराए के बकाया के रूप में वसूली योग्य या वसूलने योग्य या मांग या सार्वजनिक मांग होने या मांग या सार्वजनिक मांग के बकाया के रूप में वसूली योग्य या वसूलने योग्य घोषित न करता हो; (सी) राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या अधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय सभी धनराशियाँ, (मैं) इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा, जो सिविल या आपराधिक न्यायालय नहीं है, लगाए गए या दिए गए शुल्क, जुर्माने, दंड, मुआवजे या लागत के रूप में, या (ii) चारागाह, वन अधिकार, मत्स्य मिल, भूमि के प्राकृतिक उत्पाद, जल-दर, सिंचाई शुल्क, सिंचाई कार्यों का रखरखाव और प्रबंधन आदि के कारण; (डी) भूमि या जल या अन्य अचल संपत्ति के उपयोग या कब्जे के कारण, चाहे वह राज्य सरकार की हो या नहीं, या उसके किसी उत्पाद या उससे प्राप्त आय के कारण या किसी अन्य कारण से राज्य सरकार को देय सभी किराए, प्रीमियम, उपकर, दरें, शुल्क और रॉयल्टी; (इ) किसी अनुदान, पट्टे या अनुबंध के तहत राज्य सरकार को देय सभी धनराशियां, जो यह प्रावधान करती हैं कि उन्हें राजस्व या भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

257. जमानतदारों से धन की वसूली।

प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन या किसी अनुदान, पट्टे या संविदा के अधीन प्रतिभू बना है, जहां सुरक्षित राशि मूलधन से बकाया या राजस्व के रूप में वसूली योग्य है, वह राशि या उसका कोई भाग, जिसे वह अपने सुरक्षा बांड की शर्तों के अधीन देने के लिए दायी हो गया है, संदाय करने में असफल होने पर उसके विरुद्ध इस प्रकार कार्यवाही की जा सकेगी मानो ऐसी राशि या उसका भाग राजस्व का बकाया है।

257ए. धारा 256 और 257 में निर्दिष्ट धन की वसूली के लिए आवेदन।

(1) कोई अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे धारा 256 या धारा 257 में निर्दिष्ट कोई धनराशि देय है, कलेक्टर को निर्धारित प्रपत्र में लिखित आवेदन करेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्:- (ए) वह अधिकारी या प्राधिकारी जिसे राशि देय है, (बी) उस व्यक्ति का नाम और विवरण जिससे राशि प्राप्त होनी है, (सी) देय राशि और उसकी प्रकृति, (डी) वह अवधि, यदि कोई हो, जिसके लिए यह देय है और वह तारीख जब यह पहली बार देय हुआ, (इ) वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राशि वसूल की जा सकती है, (एफ) जहां संभव हो, वह संपत्ति जिसके विरुद्ध प्रक्रिया निष्पादित की जा सकती है, और (जी) ऐसे अन्य विवरण जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं। परन्तु ऐसा आवेदन उन मामलों में आवश्यक नहीं होगा, जिनमें उस कानून के अनुसार, जिसके अधीन ऐसी

धनराशि शोध और भुगतान योग्य है, प्रमाणपत्र या प्रमाणित लेखा विवरण या अन्य दस्तावेज, जिसमें यथासम्भव पूर्वोक्त विशिष्टियां निर्दिष्ट की गई हों, भेजा जाना अपेक्षित है और कलेक्टर को भेजा जा चुका है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन, प्रमाणपत्र, लेखा विवरण या अन्य दस्तावेज, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार वसूली के प्रयोजन के लिए, उस पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी को देय बकाया के अस्तित्व, ऐसे बकाया की रकम और चूककर्ता व्यक्ति का निर्णायक साक्ष्य होगा।

257बी. विरोध के तहत भुगतान और आगे का उपाय।

कार्यवाही का संदाय-(1) यदि धारा 256 या धारा 257 में निर्दिष्ट किसी धनराशि की वसूली के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन कार्यवाही की जाती है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी समय, ऐसी कार्यवाही में कुर्क की गई किसी सम्पत्ति के विक्रय में गिराए जाने के पूर्व, दावा की गई धनराशि का संदाय कर सकेगा और साथ ही ऐसी कार्यवाही करने वाले राजस्व अधिकारी को स्वयं या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित आक्षेप दे सकेगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई रकम संदत्त की जाती है, तो ऐसी रकम विरोध सहित उस अधिकारी या प्राधिकारी को भेजी जाएगी जिसके कहने पर कार्यवाही प्रारंभ की गई थी।

(3) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अनुसार विरोध के अधीन भुगतान करने वाले व्यक्ति को विरोध के अधीन भुगतान की गई पूरी राशि या उसके भाग की वसूली के लिए वाद संस्थित करने का अधिकार होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई वाद नहीं लाया जाएगा या संस्थित नहीं किया जाएगा, यदि कोई विधि, जिसके अधीन विरोध के अधीन दी गई धनराशि देय है, उस व्यक्ति को, जिससे ऐसी धनराशि वसूल की गई थी, वाद, अपील, आवेदन या अन्य कार्यवाही के माध्यम से उपचार प्रदान करती है।

(5) धारा 256 और 257 में निर्दिष्ट धनराशियों की वसूली के लिए इस अध्याय के अधीन की गई कार्यवाही में राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील या संदर्भ नहीं होगा।

257सी. वह व्यक्ति जिससे राशि प्राप्त की जानी है, परिभाषित।

धारा 257-ए और 257-बी के प्रयोजनों के लिए, "जिन व्यक्तियों से कोई राशि बकाया है" पद या उसी प्रभाव की कोई अन्य पद का तात्पर्य धारा 257-ए की उपधारा (1) के अधीन आवेदन में इस प्रकार नामित व्यक्ति से होगा, चाहे ऐसी राशि उससे व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के रूप में बकाया हो, जिससे वह राशि बकाया थी और इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित होगा - (मैं) जो धारा 257 के अधीन उस व्यक्ति का जमानतदार है जिससे राशि देय है या थी, या (ii) जिसका नाम बाद में उस व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित या जोड़ा जाता है, जिससे राशि देय है या थी।

257डी. अध्याय के उपबंध अधिनियम के प्रारंभ पर देय राशियों पर लागू होंगे।

राजस्व या किराये की वसूली के संबंध में इस अध्याय के उपबंध राजस्व या किराये के सभी बकाया पर तथा इस अधिनियम के प्रारंभ पर देय राजस्व बकाया के रूप में धारा 256 और 257 के अधीन वसूलनीय धनराशि पर लागू होंगे।

अध्याय 11

विविध

258. लागत आदि की वसूली

- इस अधिनियम के अधीन सरकार को देय सभी दरें, लागतें, प्रभार, फीस, जुर्माना, दंड और अन्य धनराशियां राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएंगी।

259. सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र अपवर्जित ।

- इस अधिनियम में किए गए किसी स्पष्ट प्रावधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या विधि द्वारा अन्यथा अपवादित होने के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले और इसके द्वारा उपबंधित किसी मामले के संबंध में कोई भी वाद या अन्य कार्यवाही किसी सिविल न्यायालय में नहीं लाई जाएगी या संस्थित नहीं की जाएगी:परन्तु यदि किसी सीमा विवाद या सम्पदाधारकों के बीच किसी अन्य विवाद में हक का प्रश्न अन्तर्वर्लित हो तो ऐसे प्रश्न के न्यायनिर्णयन के लिए सिविल वाद लाया जा सकेगा।

260. प्रतिनिधिमंडल।

- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, (ए)नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बोर्ड या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या भूमि अभिलेख निदेशक या कलेक्टर को सौंप सकता है, या (बी)निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून या ऐसे अन्य कानून के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नियुक्त या गठित किसी अधिकारी या प्राधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों और प्रदत्त शक्तियों का (ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के अपवर्जन तक पालन किया जाएगा) और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अन्य विधिपूर्वक नियुक्त या गठित अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किया जाएगा, चाहे ऐसा अन्य अधिकारी या प्राधिकारी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून या ऐसे अन्य कानून के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नियुक्त या गठित किया गया हो, या (सी)बोर्ड या किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या भूमि अभिलेख निदेशक पर लगाए गए और प्रदत्त कर्तव्यों का पालन करने और शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता है, या (डी)इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपनी शक्तियों को, इस अधिनियम के अधीन या ऐसे अन्य विधि के अधीन नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसे अन्य विधि के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन गठित या नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए विधिपूर्वक गठित या नियुक्त किसी प्राधिकारी या अधिकारी को प्राधिकृत करना।

(2) इस धारा में प्रदत्त प्रत्यायोजन की शक्ति के क्षेत्राधिकार के बारे में संदेह व्यक्त किए जाने के कारण, जैसा कि यह 16 नवम्बर, 1961 के पूर्व था, इस प्रकार के संदेहों को दूर करने और स्पष्ट करने के लिए यह अधिनियमित किया जाता है कि, किसी न्यायालय (सिविल या राजस्व) न्यायाधिकरण या अन्य सक्षम प्राधिकारी के किसी निर्णय, आदेश या फैसले में किसी बात के होते हुए भी और इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा उक्त दिन से पूर्व जारी की गई किसी

अधिसूचना या किसी कानून के नियम या व्याख्या में रूप, भाषा या संदर्भ के किसी दोष या चूक के होते हुए भी, (ए) सोलह नवम्बर, 1961 के पूर्व इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा शक्तियों और कर्तव्यों का किया गया सब प्रत्यायोजन, इसके द्वारा संशोधित उपधारा (1) के अनुसार विधिपूर्वक और वैध रूप से किया गया समझा जाएगा, मानो ऐसे संशोधन उस समय किए गए थे, और (बी) ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रत्यायोजित करने वाली सभी अधिसूचनाएं, जब तक अधिक्रमित नहीं कर दी जातीं, प्रभावी बनी रहेंगी और अपने स्वरूप के अनुसार प्रभावी रहेंगी।

261. नियम बनाने की शक्ति।

(1) बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के उपबंधों और उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप नियम बना सकेगा- (ए) बोर्ड और उसके अधिकारियों के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया को विनियमित करना, (बी) धारा 14 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर, बहीखाते और लेखा निर्धारित करना, (सी) धारा 155(1) के तहत किराया-दर प्रस्तावों के प्रकाशन का तरीका निर्धारित करना, (डी) इस अधिनियम के अंतर्गत टेंटों का मूल्यांकन और निर्धारण करने में कलेक्टरों और बंदोबस्त अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए, (इ) धारा 155(2) के तहत सार्वजनिक नोटिस देने का तरीका निर्धारित करना, (एफ) धारा 164(3) के अंतर्गत किरायेदारों और भूमि धारकों को मूल्यांकन खरीद किस प्रकार सौंपी जाएगी, इसका निर्धारण करना, (जी) अधिकारों, रीति-रिवाजों और अन्य मामलों को निर्देशित करना जिन्हें बंदोबस्त अधिकारी को वाजिब-अल-अर्ज या दस्तूर गनवाई में सुनिश्चित करना और दर्ज करना है और वह तरीका निर्धारित करना जिससे उन्हें सुनिश्चित किया जाना है, (एच) संबंधित गांव के निवासियों को वाजिब-उल-अर्ज या दस्तूर-गंवई पढ़ने के लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थान को अधिसूचित करने का तरीका निर्धारित करना, (मैं) धारा 178 के अंतर्गत उन क्षेत्रों के लिए किराया निर्धारण में कलेक्टरों और बंदोबस्त अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए, जिनके लिए अल्पकालिक बंदोबस्त स्वीकृत किए गए थे, (जे) धारा 179 के तहत जलोढ़ द्वारा जोड़ी गई भूमि का मूल्यांकन और नदी संबंधी क्रिया या कृषि से गैर-कृषि उद्देश्य के लिए या इसके विपरीत भूमि के परिवर्तन के परिणामस्वरूप मूल्यांकन में संशोधन को विनियमित करना, (क) धारा 182 के तहत त्रुटियों और चूक को ठीक करने में निपटान अधिकारियों की प्रक्रिया को विनियमित करना, (मैं) धारा 183 (2) के तहत संशोधित प्रस्तावों को तैयार करने को विनियमित करना, (एम) धारा 187 के अंतर्गत विभाजन के लिए आवेदन में शामिल किए जाने वाले विवरणों को निर्धारित करना, (एन) धारा 198 के अंतर्गत विभाजन के लिए प्रारंभिक आदेश का प्रारूप निर्धारित करना, (ओ) धारा 203 के अंतर्गत विभाजन की लागत को किस प्रकार विभाजित किया जाएगा, इसका निर्धारण करना, (पी) धारा 205 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और विवरणियां तथा उनमें अंतर्विष्ट किए जाने वाले विवरण निर्धारित करते हुए, (क्यू) धारा 219 के तहत जटिल सम्पदाओं के विभाजन और उसके राजस्व के वितरण को विनियमित करना, (आर) इस अधिनियम के अधीन किसी न्यायिक या निपटान कार्यवाही के संबंध में वसूल की जा सकने वाली लागतों को विनियमित करना, जो विभाजन के मामलों की कार्यवाही में राज्य सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली लागतों से भिन्न हैं, (एस) किसी न्यायालय, अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत किसी न्यायिक या निपटान मामले में कोई कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित या सशक्त किए जाने की प्रक्रिया को विनियमित करना, (टी) न्यायिक और निपटान कार्यवाही के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों को

क्रियान्वित करने के लिए, और (यु) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी न्यायिक और निपटान कार्यवाहियों में सभी न्यायालयों, अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए। (2) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नियम बना सकेगी, - (मै) धारा 4 के अंतर्गत बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की योग्यताएं निर्धारित करना, (ii) धारा 10 के अधीन वह रीति विहित करना जिससे बोर्ड के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सके तथा उसका कारोबार वितरित किया जा सके, (iii) प्रथम अनुसूची के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे विषयों को विहित करना, जिन्हें इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए न्यायिक विषय समझा जा सकेगा, (चतुर्थ) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी राजस्व न्यायालयों और अधिकारियों के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करना, (वी) पटवारियों, गिरदावरो, कानूनगो या भूमि अभिलेख निरीक्षकों और सदर कानूनगो की नियुक्तियों को विनियमित करना, उनकी योग्यताएं और सेवा की शर्तें निर्धारित करना और उनके कर्तव्यों को निर्धारित करना, (छठी) छोड़ा गया, (सात) (viii), (ix), (x) हटाया गया। (ग्यारह) वह तरीका निर्धारित करना जिससे धारा 88 के तहत राज्य की संपत्ति वाली भूमि का निपटान किया जा सके और वह तरीका जिससे उस धारा के तहत जांच या आदेश की सूचना दी जा सके, (xi-क) वह रीति विहित करना जिससे धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करने के लिए अनुमति दी जाएगी, वह अधिकारी या प्राधिकारी जिसे ऐसी अनुमति दी जाएगी, ऐसे आवेदन में दी जाने वाली विशिष्टियां; वह रीति जिससे जांच की जाएगी, वे निबंधन और शर्तें जिन पर अनुमति दी जा सकेगी; नगरीय मूल्यांकन के उद्ग्रहण की दर और रीति; ऐसे रूपांतरण पर राज्य सरकार द्वारा प्रभारित किए जाने वाले प्रीमियम के उद्ग्रहण की दर और रीति, तथा धारा 90-क की उपधारा (5) के अधीन अधिरोपित की जाने वाली देय राशि। (बारहवीं) धारा 39 के तहत चारागाह भूमि पर मवेशियों के चरने को विनियमित करना, (तेरहवीं) धारा 94 के तहत वनों और वन वृद्धि के नियंत्रण और प्रबंधन को विनियमित करना, (चौदह) धारा 95 के अधीन गांवों के आबादी क्षेत्र के विकास के लिए भूमि का आरक्षण, ऐसे क्षेत्र में भूमि का आबंटन और ऐसे आबंटन के लिए किए जाने वाले भुगतान या भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को विनियमित करना, ऐसे क्षेत्र में आबंटिती के अधिकारों को परिभाषित करना और उस भूमि की सीमा निर्धारित करना जो धारा 98 के अधीन ऐसे भुगतान या प्रीमियम से मुक्त होकर उसमें निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग के लिए दी जा सकेगी, (xv) धारा 97 के तहत नीलामी के आयोजन को विनियमित करना, (xvi) धारा 99 के तहत घरों या इमारतों के निर्माण, रखरखाव, विध्वंस, मरम्मत और विस्तार को विनियमित करना, (सत्रह) औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में भूमि की बिक्री को धारा 100 के अंतर्गत विनियमित करना, (अठारह) धारा 101 के तहत कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के आवंटन को विनियमित करना, (उन्नीस) धारा 109 के अधीन भूमि अभिलेख अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया या केवल अभिलेख संक्रिया के संचालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना, (xx) धारा 122 और 131 के अंतर्गत मानचित्र और फील्ड पुस्तकों की तैयारी, सत्यापन और रखरखाव की विधि निर्धारित करना, (तेईस) उक्त धाराओं के अधीन क्षेत्र पुस्तकों का स्वरूप और विषय-वस्तु निर्धारित करना तथा वह रीति और अंतराल निर्धारित करना जिससे उनमें परिवर्तन दर्ज किए जाएंगे, (बाईस) धारा 114 और 132 में निर्दिष्ट अधिकारों के अभिलेख और वार्षिक रजिस्ट्रों की तैयारी, सत्यापन और रखरखाव की पद्धति को विनियमित करना, धारा 114 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रों के अलावा अन्य रजिस्ट्रों को अधिकारों के अभिलेख के घटकों के रूप में तैयार करने को

निर्दिष्ट करना, और धारा 121 में उल्लिखित के अलावा अन्य विवरणों को खतौनी में निर्दिष्ट करने को विहित करना, [\(तेईस\)](#) धारा 124 के अधीन जांच करने में भूमि अभिलेख अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना; [\(चौबीस\)](#) धारा 115 के अंतर्गत सरकारी भूमि की सूची तैयार करने की पद्धति को विनियमित करना तथा ऐसी भूमि के संबंध में जांच करने का तरीका निर्धारित करना, [\(पच्चीस\)](#) धारा 118 के तहत खुदकाश भूमि का निर्धारण और रिकॉर्डिंग करने की पद्धति को विनियमित करना, [\(छब्बीस\)](#) गांवों के निवासियों के निवास के लिए आरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र के निर्धारण और निर्धारण को विनियमित करना। [\(सत्तर\)](#) धारा 120 के अंतर्गत गांवों की सूची तैयार करने का प्रारूप, विषय-वस्तु और तरीका निर्धारित करना, [\(अठारह\)](#) धारा 132 के अधीन वार्षिक रजिस्टर तैयार करने के लिए अंतराल निर्धारित करना, उसमें परिवर्तन दर्ज करने का तरीका तथा ऐसे परिवर्तनों को दर्ज करने के लिए ली जाने वाली फीस निर्धारित करना, [\(तेईस\)](#) अध्याय 7 के अधीन तैयार किए गए मानचित्र, फील्ड बुक और रजिस्टर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले रहने के समय और शर्तों को निर्धारित करना, वह फीस जिसके भुगतान पर उनमें प्रविष्टियों की प्रतियां तैयार और जारी की जा सकेंगी तथा ऐसी प्रतियों के सत्यापन की रीति, [\(xxx\)](#) धारा 147 के अंतर्गत निपटान कार्यों के संचालन में निपटान अधिकारी की प्रक्रिया को विनियमित करना, [\(xxxii\)](#) धारा 150 के अंतर्गत मूल्यांकन वृत्तों या मूल्यांकन समूहों को विभिन्न मृदा वर्गों में विभाजित करने को विनियमित करना, [\(xxxiii\)](#) धारा 165 के अधीन वस्तु के रूप में किराये की वसूली रोकने वाला आदेश प्रकाशित करने का तरीका निर्धारित करना, [\(xxxiv\)](#) धारा 175 के तीसरे प्रावधान के अंतर्गत आने वाले मामलों में निपटान के मध्यवर्ती संशोधनों को विनियमित करना, [\(xxxv\)](#) धारा 180 के तहत विशेष शहरी दर लगाने को विनियमित करना, [\(xxxvi\)](#) धारा 197 के अंतर्गत विभाजन के प्रयोजनों के लिए भूमि के मूल्यांकन के सामान्य सिद्धांतों और शर्तों के निर्धारण को विनियमित करना, [\(xxxvii\)](#) धारा 203 के अंतर्गत विभाजन की लागत और उसके भुगतान की किशतों और समय के निर्धारण को विनियमित करना, [\(xxxviii\)](#) धारा 223 के अंतर्गत संपत्ति धारक और राज्य सरकार के बीच संपत्ति के विभाजन को विनियमित करना, [\(xxxix\)](#) धारा 226 के अधीन किशतें निर्धारित करना, जिन व्यक्तियों को, समय और स्थान तथा वह रीति जिससे राज्य सरकार को देय राजस्व या किराया दिया जाएगा, [\(xl\)](#) धारा 229 के अधीन मांग और उद्धरण रिट जारी करने को विनियमित करना, यह निर्देश देना कि कौन से अधिकारी या अधिकारियों के वर्ग द्वारा ऐसी आदेशिकाएं जारी की जाएंगी तथा चूककर्ताओं से वसूल की जाने वाली लागतों को निर्धारित करना, [\(xli\)](#) धारा 234 के तहत किसी संपत्ति या उसके किसी विशिष्ट हिस्से या पट्टी को हस्तांतरित किए जाने या धारा 235 के तहत बेचे जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना, [\(xlii\)](#) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी गैर-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में या उसमें वसूल की जाने वाली लागतों को विनियमित करना, जो निपटान से संबंधित नहीं है, [\(xliii\)](#) इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा निपटान से संबंधित न होने वाले किसी गैर-न्यायिक मामले में नीलामी करने के लिए अपेक्षित या सशक्त किए जाने की प्रक्रिया को विनियमित करना, [\(xliv\)](#) उन सभी विषयों को विनियमित करना, जो इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा किए जाने के अलावा विहित किए जा सकते हैं या किए जाने अपेक्षित हैं या जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं या बनाए जाने अपेक्षित हैं, और [\(xlv\)](#) सामान्यतः इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए।

262. पटवारी आदि का लोक सेवक होना।

अध्याय 3 के अधीन नियुक्त प्रत्येक पटवारी, गिरदावर, कानूनगो या भू-अभिलेख निरीक्षक और सदर कानूनगो तथा उनमें से किसी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का केन्द्रीय अधिनियम XLV) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा तथा उन सभी या उनमें से किसी के द्वारा रखे गए सभी सरकारी अभिलेख और दस्तावेज लोक अभिलेख और राज्य की संपत्ति माने जाएंगे।

263. निरसन और व्यावृत्ति।

(1) इस अधिनियम के लागू होने से निम्नलिखित निरस्त हो जाएंगे, जहां तक इसमें निहित विषय इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कवर किए जाते हैं, या उनके अनुरूप हैं, अर्थात: - (ए) द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम; (बी) इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित, द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के अलावा, संविदाकारी राज्य का कोई कानून; तथा (सी) खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट अधिनियमों या कानूनों को संशोधित करने वाले कोई भी कानून।

(2) इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियम या कानून को निरस्त करने से कोई भी प्रथा वैध नहीं हो जाएगी जो इस अधिनियम के पारित होने से ठीक पहले अवैध थी।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ पर राज्य के किसी भाग में प्रचलित कोई प्रथा या प्रथा, जो वहां कानून का बल रखती है, यदि ऐसी प्रथा या प्रथा इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल या असंगत है, तो ऐसी प्रतिकूलता या असंगति की सीमा तक प्रभावी नहीं रहेगी। पहली अनुसूची (धारा 23 देखें) न्यायिक मामलों की सूची

1. धारा 88 की उपधारा (2) के अंतर्गत दावे।

2. चारागाह भूमि पर मवेशियों को चराने के अधिकार के संबंध में विवाद।

3. वन विकास पर उपयोग के अधिकार और वन भूमि से बहिष्कार के संबंध में विवाद।

4. सीमा विवादों का निपटारा।

5. अधिकारों के अभिलेख और वार्षिक रजिस्ट्रों में प्रविष्टियों के संबंध में विवाद।

6. किरायेदारों के वर्ग या कार्यकाल से संबंधित विवाद।

7. उत्तराधिकार, स्थानांतरण या अन्यथा पर उत्परिवर्तन।

8. देय किराये या राजस्व से संबंधित विवाद।

9. वाज-उल-अर्ज या दस्तूर गँवई से संबंधित विवाद।

10. राजस्व या लगान से मुक्त भूमि की जांच और मूल्यांकन।

11. सम्पदा का विभाजन एवं समेकन।

12. इस अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना, दंड, जब्ती और जब्ती का अधिरोपण।

13. मुआवजे का निर्धारण।

14. इस अधिनियम के अधीन विक्रय और नीलामी।

15. ऐसे अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं

दूसरी अनुसूची(धारा 263 देखें)निरस्त किये गये अधिनियमों की सूची

1. राजस्थान प्रादेशिक प्रभाग अध्यादेश, 1949।

2. राजस्थान राजस्व बोर्ड अध्यादेश, 1949।

3. राजस्थान राजस्व न्यायालय (पदनाम) अध्यादेश, 1949।

4. राजस्थान राजस्व न्यायालय (प्रक्रिया एवं अधिकारिता) अधिनियम, 1951।

5. अलवर राज्य भूमि राजस्व संहिता।

6. भरतपुर राजस्व संहिता।

7. भरतपुर भू-राजस्व मैनुअल।

8. बीकानेर भू-राजस्व अधिनियम, 1945।

9. बूंदी राज्य भू-राजस्व अधिनियम, 1942।

10. बांसवाड़ा कृषिवैद माल।

11. दुर्गपुर राजस्व नियम।

12. जयपुर राज्य अनुदान भूमि पट्टा अधिनियम 1947।

13. जयपुर भू-राजस्व अधिनियम, 1947।

14. जयपुर ग्राम सेवा अधिनियम, 1948।

15. करौली राज्य भू-राजस्व संहिता।

16. कोटा राजस्व परिपत्र।

17. मारवाड़ भू-राजस्व अधिनियम, 1949।

18. मारवाड़ जागीर बंदोबस्त विनियम, 1949।

19. कानूनगो मेवाड़ राजस्व न्यायालय अधिनियम, 1949।

20. शाहपुरा कुवैद दखिल खरिज, 1923।

21. मेवाड़ राजस्व संहिता अधिनियम, 1947।

22. सिरौही भू-राजस्व अधिनियम, 1947।